सम्पादक :—
श्री० रामरखसिंह सहगल

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... ... ६) रु०
छः माही चन्दा ... ५) रु०
तिमाही चन्दा ... ... ३) रु०
एक प्रति का मूल्य ... ≡)
Annas Three Per Copy

भविष्य

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक

आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है।

तार का पता :—
'भविष्य' इलाहाबाद

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए!

वर्ष १, खण्ड २ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार; ५ फ़रवरी, १९३१ | संख्या ७, पूर्ण संख्या १९

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम की कुछ महत्वपूर्ण क़ुर्बानियाँ

जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
हुब्बुल वतन मिनल इमान

—मोहम्मद साहब

कालीकट कॉङ्ग्रेस की सुप्रसिद्ध कार्यकर्त्री—श्रीमती सेमुअल पेरन—जो हाल ही में जेल गई हैं।

नीमार (सी० पी०) ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के 'डिक्टेटर' वयोवृद्ध—श्री० बाबू तोताराम जी सुखदाने—जिन्हें जङ्गल-क़ानून तोड़ने के अपराध में ३ मास का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया है।

कालीकट कॉङ्ग्रेस की सुप्रसिद्ध कार्यकर्त्री—श्रीमती सी० कुन्ती कावे—जो हाल ही में जेल गई हैं।

धारवाड़ के सुप्रसिद्ध चित्रकार—श्री० नारायण राव हम्पासागर—जिन्हें ३ मास का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया है।

धारवाड़ और हुबली कॉङ्ग्रेस कमिटियों के 'डिक्टेटर'—श्री० गुरुराज उदयपिथर—जिन्हें ६ मास का कठिन कारावास-दण्ड मिला है।

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' (हिन्दी अथवा उर्दू-संस्करण) का प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड २ | इलाहाबाद—वृहस्पतिवार—५ फ़रवरी, १६३१ | संख्या ७, पूर्ण संख्या १६

बोरसद में पुलिस द्वारा माँ-बहिनों का घोर अपमान !

देवियाँ बन्दूक़ के कुन्दों, जूतों और लाठियों से अपमानित की गईं !!

इलाहाबाद के कलेक्टर की विचित्र आज्ञा :: 'फ़ौज को सलाम करो !'

मेरठ-षड्यन्त्र केस में अब तक क़रीब ७॥ लाख व्यय हो चुके हैं !

"जब तक स्वराज्य न मिलेगा, मैं अहमदाबाद न लौटूँगा" —महात्मा गाँधी

पं० मोतीलाल नेहरू का सन्दिग्ध जीवन :: सपरिवार लखनऊ की यात्रा

(५ वीं फ़रवरी के प्रातःकाल तक आए हुए 'भविष्य' के ख़ास तार)

—कलकत्ते का समाचार है, कि बाँदाबिला सत्याग्रह आन्दोलन के नेता श्री० विजयकृष्ण राय गिरफ़्तार कर, पुलिस की हिरासत में रक्खे गए हैं। यह नहीं मालूम, कि वे किस अभियोग पर गिरफ़्तार किए गए हैं।

—कलकत्ते का समाचार है, कि बङ्गाल-प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के भूतपूर्व सेक्रेटरी श्री० किरणशङ्कर रॉय, श्री० पूर्णचन्द्र दास, श्री० मनमोहन भट्टाचार्य, श्री० पुरुषोत्तम राय और किरणचन्द्र दास पर बङ्गाल-सरकार की ओर से एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें बङ्गाल-प्रान्तीय सत्याग्रह-समिति को ग़ैर-क़ानूनी क़रार दिया गया है। एक दूसरी नोटिस के द्वारा उन्हें इन संस्थाओं में भाग न लेने की आज्ञा दी गई है।

—अहमदाबाद का समाचार है कि गुजरात-विद्यापीठ के अध्यापक जे० कुमारप्पा को वहाँ के अतिरिक्त ज़िला-मैजिस्ट्रेट ने एक नोटिस दी है, जिसमें उन्हें २०वीं फ़रवरी को अदालत में हाज़िर होकर इसका कारण दिखाने के लिए कहा गया है कि 'यङ्ग-इण्डिया' में विद्रोहात्मक लेख निकालने के कारण, १ साल के लिए उनसे ५००) रुपए का मुचलका क्यों नहीं लिया जाय? पुलिस ने उनके मकान की तथा विद्यापीठ की तलाशियाँ लीं और वह कुछ काग़ज़ उठा ले गई।

—अहमदाबाद का समाचार है कि धरासना नामक सत्याग्रह के नेता—सेठ रणछोड़लाल जेल से छूट कर वहाँ आ गए। उन्होंने महात्मा जी के पास एक तार भेज कर पूछा है कि "आप अहमदाबाद कब तक आएँगे?" महात्मा जी ने उत्तर दिया है—"स्वराज्य मिलने ही पर वहाँ आऊँगा।"

—कलकत्ते का समाचार है कि श्री० देवेन्द्रनाथ चक्रवर्ती की—जो श्री० सेनगुप्त के कलकत्ता पहुँचने के समय, हावड़ा स्टेशन पर आकस्मिक घटना के कारण घायल हो गए थे, मृत्यु हो गई। उनके मृत-शरीर के साथ एक जुलूस निकाला गया।

—कलकत्ते की ख़बर है कि दो महिलाओं ने, जिन्हें पिकेटिङ्ग के अभियोग में ५०)-५०) रुपए ज़ुर्माने अथवा ३ सप्ताह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है, अपने मामले की अपील की है।

—लन्दन से ख़बर आई है कि मिस्टर जिन्ना, जो कि गोलमेज़ परिषद् के सदस्य बन कर विलायत गए थे, हिन्दुस्तान वापस न लौटेंगे। हाल की यह ख़बर थी कि विलायत में रह कर वे वहाँ की पार्लामेण्ट के सदस्य बनने का विचार कर रहे हैं। इस विषय में उनका मत जानने के उद्देश्य से फ़्री प्रेस का सम्वाददाता उनसे मिला था। मिस्टर जिन्ना ने कहा कि—"यह ख़बर बिल्कुल ठीक है, मेरा इरादा इङ्गलैण्ड में रह कर प्रिवी कौन्सिल में वकालत करने का है। इसके पश्चात् मैं पार्लामेण्ट का सदस्य बनने का प्रयत्न करूँगा; क्योंकि आगामी वर्ष के लगभग भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई पार्लामेण्ट में लड़नी पड़ेगी। इस समय मैं यह नहीं बता सकता, कि मैं इङ्गलैण्ड के किस राजनैतिक दल में सम्मिलित होऊँगा।"

—मि० हरिराजस्वरूप के एक प्रश्न के उत्तर में होम मेम्बर सर जेम्स क्रेरार ने कहा है, कि मेरठ षड्यन्त्र केस में सन् १६३० के अन्त तक ७,३२,०००) रुपया ख़र्च हो चुका है।

—अहमदाबाद का समाचार है कि एक साधारण सभा में वहाँ के नागरिकों ने बोरसद में किए गए, महिलाओं पर लाठी-प्रहार की घोर निन्दा की।

महात्मा गाँधी का लॉर्ड इर्विन को पत्र

कहा जाता है, कि प्रधान-मन्त्री की घोषणा पर शान्त और असम्भ्रान्त-भाव से विचार करने के पहिले महात्मा गाँधी गवर्नमेण्ट से हृदय परिवर्तन का प्रमाण चाहते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने लॉर्ड इर्विन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उनसे परीक्षा के लिए, पुलिस की ज़्यादतियों के लगभग आधे दर्जन मामलों की, जिनका उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, सरकारी जाँच करने की प्रार्थना की है। यदि वायसराय इस प्रकार की जाँच की आज्ञा दे देंगे तो, कहा जाता है, कि महात्मा गाँधी उसे सन्धि का एक बड़ा चिन्ह मानेंगे और प्रधान-मन्त्री की घोषणा से लाभ उठाने के लिए कॉङ्ग्रेस से प्रार्थना करेंगे !

'भविष्य' के विशेष सम्वाददाता की जाँच से पता लगा है, कि पं० मोतीलाल नेहरू का शरीर इस समय जीवन और मृत्यु के बीच में अवस्थित है ! उनका स्वास्थ्य विशेष चिन्ताजनक होने के कारण उन्हें परिवार के लोग इलाज के लिए लखनऊ ले गए हैं। उनके साथ सारा परिवार गया है और गए हैं समस्त भारत के नेतागण, जिनके चिन्ता की कोई सीमा नहीं है—महात्मा जी भी आपके साथ हैं। परमात्मा आपको इस आपत्ति-काल में देश के सर पर सलामत रक्खें—'भविष्य'-परिवार की ओर से हमारी यही प्रार्थना है।

अनेक महत्वपूर्ण समाचार नहीं जा सके !

हमें आशा थी, कि प्रधान-मन्त्री के वक्तव्य प्रकाशित होने के बाद तथा कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी के सदस्यों की रिहाई के बाद—दमन-चक्र का वेग बहुत-कुछ कम हो जायगा; पर यह हमारा भ्रम-मात्र सिद्ध हुआ। जितनी गिरफ़्तारियाँ तथा दमन के समाचार समस्त भारत से इस सप्ताह हमारे पास आए हैं, उतने कभी नहीं आए थे। फलतः इस अङ्क में "आहुतियाँ" शीर्षक स्तम्भ में आधी भी गिरफ़्तारियों के समाचार नहीं छप सके। "देश के प्राङ्गण" शीर्षक स्तम्भ के भी कई पृष्ठ कम्पोज़ रहने पर भी स्थानाभाव के कारण नहीं जा सके। "हिंसात्मक क्रान्ति की लहर" शीर्षक स्तम्भ के भी लगभग २ पृष्ठ स्थानाभाव के कारण नहीं जा सके हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ब्लाक—जिनका प्रकाशन आवश्यक था—नहीं जा सके ! हमें इस बात का अत्यन्त खेद है, पर पाठकगण इसका कारण दृष्टि में रखते हुए, आशा है, हमें क्षमा करेंगे। ये सारे समाचार आगामी अङ्क में मिल जायँगे, पाठकगण इस बात का इतमीनान रक्खें।

—स० 'भविष्य'

—चटगाँव का २८ वीं जनवरी का समाचार है, कि राष्ट्रीय झण्डा फहराने के अपराध में, श्री० सितांशुदास और श्री० अधीरदास नामक दो नवयुवक गिरफ़्तार किए गए हैं।

यहाँ १४४ वीं धारा ५ वीं मार्च तक के लिए जारी की गई है।

—नदियाद का २५ वीं जनवरी का समाचार है, कि आनन्द के दो स्वयंसेवक, विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देते समय गिरफ़्तार कर लिए गए।

—सिलहट की २६वीं जनवरी की ख़बर है, कि वहाँ की पुलिस ने कॉङ्ग्रेस सङ्घ पर छापा मारा और श्री० सच्चिदानन्द दास, श्री० ब्रजेन्द्रनन्दन दास तथा ६ स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार किया। ये स्वयंसेवक पीछे छोड़ दिए गए।

पुलिस ने विद्याश्रम तथा कॉङ्ग्रेस सङ्घ के अध्यक्ष श्री० क्षीरोदचन्द्र देव के मकान की भी तलाशी ली। किन्तु कुछ नहीं मिला।

—नोआखाली का २८ वीं जनवरी का समाचार है, कि श्री० चन्द्रकान्त भट्टाचार्य, श्री० लुत्फ़ुर्रहमान और श्री० अखिलचन्द्र सील, शराब की दूकान पर धरना देने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए। वे अभी हिरासत में रक्खे गए हैं।

—दिनाजपुर का २७ वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ के कॉङ्ग्रेस-ऑफ़िस की तलाशी ली गई और पुलिस अनेक काग़ज़-पत्र, राष्ट्रीय झण्डे तथा अन्य कुछ वस्तुएँ उठा कर ले गई।

शहर के भिन्न-भिन्न भागों में ५ मकानों की तलाशियाँ ली गईं और ५ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए। इन पर भारतीय दण्ड विधान की ११७ वीं धारा के अनुसार अभियोग लगाया गया। इनमें २ छोड़ दिए गए हैं। १ को ज़मानत पर छोड़ा गया है।

—बालुरघाट कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० नलिनीकान्त अधिकारी भी, जो दिनाजपुर आए थे, भारतीय दण्ड-विधान की ११७ वीं और १९७ वीं धाराओं के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। कहा जाता है कि वे ज़मानत पर छोड़े गए हैं।

—बालुरघाट का २७ वीं जनवरी का समाचार है, वहाँ, कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० नलिनी कान्त अधिकारी, सेक्रेटरी श्री० सुरेन्द्र चन्द्र बागची, डॉ० सुशील रञ्जन चटर्जी, श्री० सरोज रञ्जन चटर्जी और श्री० रामाकान्त समाजदार के मकानों की तलाशियाँ एक ही समय में ली गईं। पुलिस कुछ कागज़ पत्र उठा कर ले गई तथा अनुपस्थित होने के कारण नलिनीकान्त अधिकारी को छोड़ कर सभी गिरफ़्तार किए गए।

—जेसोर का २६वीं जनवरी का समाचार है, कि पुलिस ने ख़ूब सवेरे वहाँ के कॉङ्ग्रेस ऑफ़िस के मकान को घेर लिया, और ५ कार्यकर्त्ताओं को गिरफ़्तार किया, जिनमें श्री० हरिपद भट्टाचार्य, एम० ए० तथा उपेन्द्रनाथ घोष भी हैं।

—मुज़फ़्फ़रपुर का २८ वीं जनवरी का समाचार है, कि श्रीमती सुनीति देवी चक सिकन्दर नामक स्थान को जाते समय गिरफ़्तार कर ली गईं। इस ज़िले में महिला की गिरफ़्तारी का यह पहला ही मौक़ा है। आप एक प्रमुख कार्यकर्त्ता की पत्नी हैं, जो पटना कैम्प जेल में सज़ा भोग रहे हैं।

—फ़ीरोज़पुर का २७ वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोका और लोगों को हट जाने के लिए कहा। लोगों ने ऐसा करने से इन्कार किया। तब पुलिस ने ११ मनुष्यों को, जिनमें सतीश घोष वकील तथा डॉ० परेश घोष आदि प्रमुख सज्जन भी हैं, गिरफ़्तार कर लिया।

—मिदनापुर का २६ वीं जनवरी का समाचार है, कि स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर जुलूस निकालने के सम्बन्ध में ७ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं।

—भीमवरम् का २६वीं जनवरी का समाचार है, कि स्वतन्त्रता-दिवस मनाने के सम्बन्ध में, के० सत्यनारायण और टी० वेङ्कट चेलापति नामक दो सत्याग्रही नवयुवक गिरफ़्तार किए गए हैं।

—बल्लवपुर का २६वीं जनवरी का समाचार है, कि श्रीयुत सुसेन कुमार मुखर्जी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। आपके मकान की तलाशी ली गई, किन्तु कोई सन्देहजनक वस्तु नहीं पाई गई।

—बेतिया का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ के सब-इन्सपेक्टर ने, झण्डा-अभिवादन के समय उपस्थित एक को छोड़ सभी सज्जनों को गिरफ़्तार कर लिया है। ६ अन्य सज्जन भी स्वतन्त्रता-दिवस के सम्बन्ध में होने वाली सभा में उपस्थित होने के कारण गिरफ़्तार किए गए हैं।

—छपरे का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि दिघवारा के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता बाबू हीरालाल सर्राफ़ अन्य तीन कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ताओं के साथ १७ (१) धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं।

—ख़बर है कि खड़गपुर (मुङ्गेर) के बड़हिया थाना में सातूसिंह नामक एक स्वयंसेवक, स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर, १७ (१) धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया गया है।

—छपरा का २८वीं जनवरी की ख़बर है कि रघुनाथपुर के कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ता पं० रामदास पाण्डेय अन्य तीन स्वयंसेवकों के साथ १७ (१) धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए।

—पेशावर का २६वीं जनवरी का समाचार है, कि चारसद्दा के ४ व्यक्ति 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' चिल्लाने के कारण गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—बम्बई का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि गुजराती पत्र 'हम' के सम्पादक श्री० बनमालीदास व्यास अपने मकान पर, प्रेस-ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। इसके पहले, प्रेस की तलाशी भी ली गई थी और ऑफ़िस के एक कर्मचारी जैनुल्लादीन गिरफ़्तार किए गए थे।

—कलकत्ते का २री फ़रवरी का समाचार है कि 'आनन्द-बाज़ार पत्रिका' के सम्पादक श्री० बङ्किमचन्द्र सेन तथा 'लोकमान्य' के सम्पादक श्री० रमाशङ्कर त्रिपाठी को ६-६ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है। श्री० त्रिपाठी को नमक-क़ानून के लिए उकसाने के अभियोग में ३ माह की अतिरिक्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

—भटकल का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ की वानर सेना के नायक श्री० दत्तात्रेय मङ्गेस भट्ट और बाबाभट्टा नामक एक ११वर्षीय बालक १७ (१) धारा के अनुसार मर्दुमशुमारी के नम्बर मिटाने तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को उकसाने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए हैं।

—अमृतसर का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ, सरदार कृपालसिंह, लाला तेजराम और सरदार पूरनसिंह, स्वाधीनता-दिवस के सम्बन्ध में, १७ (१) धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए।

लाहौर का जलालदीन नामक एक कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ता भी गिरफ़्तार किया गया है।

—अहमदाबाद का ३१ वीं जनवरी का समाचार है कि पञ्चमुहाल के डिक्टेटर डॉ० मानिकलाल को १ माह की सादी क़ैद की सज़ा और १००) रुपए जुर्माने अथवा १ सप्ताह की अतिरिक्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

—अम्बाला का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि पुलिस ने वहाँ ११ मनुष्यों को १७ (१) धारा के अनुसार गिरफ़्तार किया है। इनका अपराध यही था, कि नेताओं की रिहाई की ख़बर पाकर, ये राष्ट्रीय झण्डा लेकर सड़कों पर राष्ट्रीय गान गाते हुए और नारे लगाते हुए फिर रहे थे।

—नवसान (हुगली) का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि डॉ० राधाकृष्णपाल, श्री० अवनिपति सेन गुप्त, डॉ० गोवर्ण दे, खुदीराम दे और देवेन्द्रनाथ मल्लिक १०७वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए।

श्री० सुभाषचन्द्र बोस को ६ माह की सज़ा

कलकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने श्री० सुभाषचन्द्र बोस को, दङ्गा करने तथा ग़ैर-क़ानूनी जमाव में सम्मिलित होने के अभियोग में ६ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है। श्री० बोस ने अदालत की कार्यवाही में कोई भाग नहीं लिया। उन्होंने अदालत में इस बात की शिकायत की, कि हिरासत में वे अभी तक भूखे रक्खे गए हैं। स्नान आदि का भी कोई प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है। अपने ज़ख़्मों के लिए बार-बार डॉक्टरी सहायता माँगने पर भी उन्हें केवल टिंक्चर-आयोडिन दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने आपसे अपनी शिकायतों को लिख कर देने के लिए कहा। किन्तु आपने ऐसा करने से अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि उनकी बाँह में भी चोट आई थी। आप लाल बाज़ार के हवालात में रक्खे गए हैं। आपने कहा है कि 'पृथ्वी पर यदि कोई नरक है, तो वह लाल बाज़ार का हवालात है।"

—कलकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने, पुलिस कमिश्नर की आज्ञा के विरुद्ध राष्ट्रीय झण्डा फहराने के अभियोग में श्री० अविनाश चन्द्र भट्टाचार्य को १ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है।

—कानपुर का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ श्री० मन्नालाल पाण्डे, श्री० लालताप्रसाद, श्री० मन्नीलाल, श्री० गङ्गाचरण, श्री० शिवभजन, श्री० सरजूप्रसाद और श्री० मिट्ठूलाल को ४-४ माह की तथा श्री० रामावतार, श्री० गोकरणनाथ शुक्ल और श्री० बन्दीदीन को ३-३ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है। श्री० चन्द्रमौलि मिश्र को ३ माह की सख़्त क़ैद और ५०) रुपया जुर्माना अथवा १ माह की अतिरिक्त क़ैद की सज़ा, तथा श्री० मथुरा और श्री० लक्ष्मीनारायण को ३-३ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है।

—हरदोई का २६वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ की ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के वाइस प्रेज़िडेण्ट सेठ रुमेश्वरनाथ तथा अन्य १३ व्यक्तियों को, जो कुछ दिन पहले गिरफ़्तार किए गए थे, ६-६ माह की कड़ी क़ैद और १५) से ५०) रुपए तक के जुर्माने की सज़ा दी गई है।

—तामलुक का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ स्वतन्त्रता-दिवस के समारोह में भाग लेने के कारण ८७ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए। इनमें २१ को भिन्न-भिन्न अवधि की सज़ाएँ दी गई हैं।

—मुन्शीगञ्ज (ढाका) का २८वीं जनवरी का समाचार है कि श्री० सन्तोषचन्द्र पाल तथा अन्य कॉङ्ग्रेस स्वयंसेवकों को, जो गत १४वीं जनवरी को धरना देने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए थे, भारतीय दण्ड-विधान की १५१वीं धारा के अनुसार ६-६ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है।

—अहमदाबाद का २९वीं जनवरी का समाचार है, कि कैरा ज़िले की 'डिक्टेटर' श्रीमती भक्ति लक्ष्मी गोपालदास देसाई को अपने एक भाषण के सम्बन्ध में, ६ माह की क़ैद और २००) रुपए जुर्माना अथवा १॥ माह की अतिरिक्त क़ैद की सज़ा दी गई है। आप साबरमती जेल में 'ए' श्रेणी में रक्खी गई हैं।

—इटावा का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट ने पं० रामकुँवर त्रिपाठी को, ११वें ऑर्डिनेन्स की ३री धारा के अनुसार ६ माह की कड़ी क़ैद और ५०) रु० जुर्माने अथवा १ माह की अतिरिक्त क़ैद की सज़ा दी है। श्री० त्रिपाठी ने मैजिस्ट्रेट को इसके लिए धन्यवाद दिया। विचाराधीन क़ैदी की हैसियत में जेल में रहते हुए उनका वज़न १४ पौण्ड घट गया है।

—कलकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि बङ्कशाल अदालत के अतिरिक्त प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने ४ बङ्गाली युवकों को अक्टरलोनी स्मारक के समीप दङ्गा करने के अपराध में ज़ुर्माने की सज़ाएँ दी हैं।

युवकों ने कहा कि, उन लोगों ने केवल राष्ट्रीय झण्डा फहराया था, कोई गोलमाल उन्होंने नहीं किया था। इतना कहने के अतिरिक्त उन्होंने अदालत की और किसी कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

—कलकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि जोड़ाबगान के चतुर्थ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने श्री० विजयचन्द्र मण्डल को, एक कुली को विदेशी वस्त्र की गाँठों को ले जाने में बाधा पहुँचाने के अपराध में २००) रुपया जुर्माना अथवा ४ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी है।

७ स्वयंसेवकों को, जिनमें एक महिला भी है, पिकेटिङ्ग के सम्बन्ध में पुलिस की आज्ञा न मानने के अपराध में ५०)-५०) रुपए का ज़ुर्माना हुआ है।

—कलकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ के तीसरे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने तीन व्यक्तियों को बड़ा बाज़ार में पिकेटिङ्ग करने के अभियोग में १-१ सप्ताह की सादी क़ैद की सज़ा दी है।

तीन अन्य व्यक्तियों को हड़ताल सम्बन्धी पर्चे बाँटने और रखने के अभियोग में प्रेस-एक्ट के अनुसार १-१ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है।

पिकेटिङ्ग के सम्बन्ध में पुलिस की आज्ञा न मानने के अभियोग में और तीन मनुष्यों की भी ५०)-५०) रुपए जुर्माना अथवा एक माह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है।

—कलकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है कि श्री० दुर्गाचरण दत्त नामक एक कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ता को हड़ताल सम्बन्धी पर्चे बाँटने के अभियोग में १ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है।

—बारीसाल का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि श्री० सुकुमार सेन गुप्त को वहाँ के पुलिस मैजिस्ट्रेट ने प्रेस-एक्ट के अनुसार तीन माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है।

—बजबज के श्री० कार्तिकचन्द्र घोष को 'स्वाधीनता-दिवस' नामक पर्चा बाँटने के अभियोग में ३ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है।

—कलकत्ते का एक समाचार है कि श्री० गुलाबचन्द्र भन्सारी को, जो स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर गिरफ़्तार किए गए थे, जोड़ाबगान के चतुर्थ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने ४ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है।

—खुलना का २८वीं जनवरी का समाचार है कि श्री० असीमकृष्ण घोष को १८७वीं धारा के अनुसार ६ सप्ताह की क़ैद और १००) रुपया जुर्माना अथवा १ माह की अतिरिक्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

—बाँकुरा का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि १४४वीं धारा के अनुसार एक आज्ञापत्र ७ दिन के लिए यहाँ जारी किया गया है। स्वतन्त्रता-दिवस के जुलूस के सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं।

—फ़रीदपुर का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ की ज़िला भद्र अवज्ञा-समिति के अध्यक्ष श्री० विजयकृष्ण बैनर्जी को, जो गत १९वीं नवम्बर को जवाहर-दिवस के सम्बन्ध में दण्ड-विधान की १०८वीं धारा के अनुसार बीमारी की अवस्था में ही गिरफ़्तार किए गए थे, ९ मास की सादी क़ैद की सज़ा दी गई।

—कलकत्ते का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि 'वङ्गवाणी' के सम्पादक श्री० गोपाललाल सन्याल को अलीपुर के पुलिस मैजिस्ट्रेट ने, स्वतन्त्रता-दिवस के समारोह में भाग लेने के अभियोग में तीन माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है। श्री० सन्याल ने अदालत की कार्यवाही में कोई भाग नहीं लिया।

—मुज़फ़्फ़रपुर का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता बाबू अवधेश्वरप्रसाद सिंह को, जो सोनपुर से पटना जाते समय गिरफ़्तार किए गए थे, १७ (१) धारा के अनुसार ६ माह की क़ैद की सज़ा दी गई है।

अब्दुलग़फ़्फ़ार ख़ाँ के लेफ़्टेनेण्ट गिरफ़्तार

पेशावर का ३०वीं जनवरी का समाचार है, १४४वीं धारा को भङ्ग कर, अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ की रिहाई के सम्बन्ध में एक सभा करने के अभियोग में ख़ाँ अब्बास ख़ाँ, जो अब्दुल ग़फ़्फ़ार के लेफ़्टीनेण्ट कहे जाते हैं तथा कुछ अन्य लोग गिरफ़्तार किए गए हैं।

—कलकत्ते का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि पुलिस कमिश्नर की आज्ञा के विरुद्ध स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर जुलूस निकालने के अपराध में, श्री० गोपाल भन्सारी को ४ माह की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

—मछलीपट्टम का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि श्री० जी० रामब्रह्मम् और श्री० वी० रामब्रह्मम् को स्वाधीनता-दिवस के सम्बन्ध में ३-३ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है।

—पेशावर का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि टङ्क के अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने, डेरा इस्माइल ख़ाँ के लाला मोहनलाल और लाला चेलाराम को राजद्रोह के अपराध में प्रत्येक को ३-३ वर्ष की कड़ी क़ैद, और क्रमशः २,०००) और ५००) रुपए के जुर्माने की सज़ा दी है। दोनों ने अपने मामले की फिर से जाँच किए जाने का प्रार्थना-पत्र जुडिशियल कमिश्नर के पास दिया है।

—बम्बई का २९वीं जनवरी का समाचार है, कि बम्बई सत्याग्रह समिति के भूतपूर्व सेक्रेटरी श्री० एस० के० पटेल को, जो प्रो० घरपुरे के साथ २८वीं जनवरी को गिरफ़्तार किए गए थे, १ साल की कड़ी क़ैद और ५००) रुपया जुर्माने की सज़ा दी गई है। जुर्माना न देने पर ३ माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी।

—आरामबाग़ का ३०वीं जनवरी का समाचार है कि दण्ड-विधान की १४४वीं धारा के विरोध में, स्वाधीनता दिवस मनाने तथा उसके सम्बन्ध में जुलूस निकालने के सम्बन्ध में वहाँ ३० से अधिक व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं। कहा जाता है कि पुरसुरा में, राष्ट्रीय नारे लगाते हुए स्वयंसेवक थाने तक में घुस गए थे।

—कलकत्ते का २९वीं जनवरी का समाचार है, कि श्री० शचीन्द्रनाथ बोस तथा कुछ अन्य अभियुक्तों को कलकत्ता पुलिस-एक्ट की ६२ (ए) धारा के अनुसार १००)-१००) रुपए जुर्माना हुआ है। जुर्माना न देने पर दो माह की सादी क़ैद भुगतनी पड़ेगी।

—अमनौर (सारन) का १ली फ़रवरी का समाचार है, कि श्रीमती रामस्वरूपा देवी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। इनके पति बाबू हरमाधो सिंह भी, जो अमनौर के एक भारी ज़मींदार हैं—हज़ारीबाग़ जेल में सज़ा भुगत रहे हैं।

—कराची का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कराची सत्याग्रह समिति के भूतपूर्व डिक्टेटर सेठ हरिदासलाल जी को वहाँ के सिटी मैजिस्ट्रेट ने क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार ६ माह की कड़ी क़ैद और ५००) रुपए जुर्माने की सज़ा दी है।

—मद्रास का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि श्री० वाई० ए० सुन्दरम् राजद्रोह के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

लगानबन्दी आन्दोलन

अहमदाबाद का ३१ वीं जनवरी का समाचार है कि हलाल तालुक़े के महालकारी ने किसानों के कर न देने के कारण, उन पर यह आज्ञा जारी की है कि वे अपने खेतों से अनाज काट कर न ले जायँ। वहाँ के ४ गाँवों ने इस सम्बन्ध में सत्याग्रह करने का विचार किया, और वे दल बाँध कर, खेतों से अनाज उठा लाए। कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में ३ मनुष्य गिरफ़्तार किए गए हैं।

९ महिलाओं को सज़ाएँ

कलकत्ते का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि जोड़ाबगान के ४थे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने, पिकेटिङ्ग के सम्बन्ध में पुलिस की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने के अभियोग में एक महिला को ५०) जुर्माने अथवा १ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी है। ८ अन्य महिलाओं को, जिनमें एक के गोद में बच्चा है, भारतीय दण्ड-विधान की २८३ वीं धारा के अनुसार १००)-१००) रुपया जुर्माने अथवा २ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है।

वहाँ के ३रे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने २ स्वयंसेवकों को ६०)-६०) रुपए जुर्माने अथवा १ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी है तथा एक स्वयंसेवक से १००) रु० का मुचलका माँगा गया है।

—कानपुर का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि विदेशी वस्त्र की गाँठों को नेशनल बैङ्क से हटाए जाने से रोकने के अपराध में श्री० रामचरण और श्री० जयनारायण नामक दो व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं।

—मुज़फ़्फ़रपुर का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ की थाना कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० सुखदेवप्रसाद क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ड एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—बम्बई का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि दो स्वयंसेवकों को १७ (१) धारा के अनुसार, विदेशी वस्त्र की गाँठों को हटाए जाने में बाधा पहुँचाने के अभियोग में ४-४ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है।

—बम्बई का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि पाध्ये नामक एक १२ वर्षीय बालक, जो विलपारले की वानर-सेना का उपाध्यक्ष है, अन्य २ स्वयंसेवकों के साथ, मर्दुमशुमारी के नम्बर मिटाने के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिया गया। वहाँ के उन होटलों की तलाशियाँ भी ली गईं जहाँ वे स्वयंसेवक रहते थे।

* * *

हिंसात्मक क्रान्ति की लहर

बम्बई में एक स्त्री ने पुलिस वालों पर गोलियाँ चलाई थीं!

सिम्सन षड्यन्त्र के दिनेश गुप्ता को फाँसी की सज़ा

क्रान्तिवाद का प्रचार कैसे किया गया :: बम्बई षड्यन्त्र केस का सनसनीपूर्ण उद्घाटन

लाहौर में बम-फ़ैक्टरी पकड़ी गई :: तीन क्रान्तिकारी गिरफ़्तार

बम्बई षड्यन्त्र केस

बम्बई का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि आज षड्यन्त्र केस के निम्न-लिखित अभियुक्तों को श्री० एच० पी० एच० दस्तूर, चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। (१) श्री० गणेश रघुनाथ वैशम्पायन (२) श्री० जनार्दन बापट (३) श्री० पुरुषोत्तम बरवे (४) श्री० शिवराम देवघर (५) श्री० सदाशिव के० उपाध्याय (६) श्री० विष्णु जी धामनकर तथा (७) श्री० शङ्कर जेशिन्दे। इस मामले में निम्न-लिखित अभियुक्त अभी तक फ़रार हैं। श्री० सुखदेवराज उर्फ़ बुद्धिमान उर्फ़ अर्जुन, श्रीमती दुर्गादेवी उर्फ़ शारदा, श्री० स्वामी राव उर्फ़ एस० एम० राव उर्फ़ नाना साहब। श्री० विश्वनाथ राव वैशम्पायन, पुरुषोत्तम सुत्तर। सरकारी वकील ने इक़बाली गवाह के कुछ गीत आरम्भ में कचहरी में पेश किए। इन गीतों द्वारा क्रान्तिवाद का प्रचार किया गया था।

इक़बाली गवाह का बयान

इक़बाली गवाह ने अपने बयान में कहा, कि सन् १९२५ में वह दादर-मण्डल का मन्त्री था। सन् १९२९ तक वह इस पद पर रहा, जब श्रीयुत बरवे मण्डल के उपमन्त्री नियुक्त हुए। गवाह ने कहा कि श्रीयुत वैशम्पायन ने मेरी लड़की के ब्याह में वर ढूँढ़ने में मेरी बड़ी सहायता की थी।

श्रीयुत वैशम्पायन उन दिनों वज़ीरस्तान में काम करते थे। बम्बई वह केवल ब्याह में सम्मिलित होने के लिए ही आए थे। श्री० वैशम्पायन ने जब यह सुना कि मैं मण्डल का मन्त्री नियुक्त हो गया हूँ, तो उन्होंने मुझे बधाई दी। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि व्यायामशाला में मैं अपने प्रभाव द्वारा लोगों में शस्त्र परिचालन की रुचि पैदा करूँ।

वकील-सफ़ाई ने कहा कि व्यायामशाला को बम्बई कॉरोपरेशन १,००० रुपया वार्षिक की सहायता देता है।

गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि श्री० वैशम्पायन के आदेशानुसार मैंने व्यायामशाला में 'गणपति-उत्सव' मनाने की आयोजना की। इस उत्सव में क्रान्तिकारी गीत गाए गए थे। व्यायामशाला के दूसरे सञ्चालक श्रीयुत काले थे, क्योंकि मेरी उनके साथ नहीं पटती थी। इस कारण मुझे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा।

सन् १९३० में श्रीयुत वैशम्पायन की बम्बई में तबदीली हो गई। और वह पहले-पहल अपने एक मित्र के पास ठहरे, फिर वह दादर में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। मैं प्रायः उनके घर पर आया-जाया करता था। मुझे उन्होंने बताया, कि उन्होंने फ़ौज में रह कर सारी सैनिक शिक्षा प्राप्त कर ली है और उन्होंने यह भी बताया, कि देहली में 'नौजवान भारत-सभा' के कुछ सदस्यों से उनकी भेंट हुई थी। नौजवान भारत-सभा के कुल ७० सदस्य थे और श्रीयुत सरदार भगतसिंह उस सभा के मन्त्री थे। श्री० वैशम्पायन ने मुझे यह बताया, कि वह सरदार भगतसिंह से एसेम्बली में बम्ब फेंके जाने के दो दिन पहले मिला था।

"मैजिस्ट्रेट को थप्पड़"

अप्रैल १९३० में मैं श्रीयुत वैशम्पायन के मकान पर उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे कहा, कि कोई दो व्यक्ति ऐसे बताओ जो हमारी आज्ञानुसार काम करने को तैयार हों। मुझे श्रीयुत बापट का ध्यान आया, मैंने उसका नाम ले दिया। श्री० बापट चार-पाँच वर्ष तक फ़ौज में काम कर चुका था। श्री० वैशम्पायन के कहने पर मैंने उनकी श्री० बापट से भेंट करा दी।

इन्हीं दिनों बान्दरा के मैजिस्ट्रेट मि० फ़रनैन्स ने मि० खैर को दो वर्ष का कड़ा कारावास-दण्ड दिया था। श्रीयुत वैशम्पायन ने श्रीयुत बापट से कहा कि यह मैजिस्ट्रेट बड़ा दुष्ट है, तुम जाकर आज उसके मुँह पर दो थप्पड़ रसीद कर दो। उन्होंने कहा कि यदि तुम यह काम कर आए तो तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण समझा जाएगा और भविष्य में तुम्हें अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने को दिए जाएँगे, परन्तु श्री० बापट इस परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका।

एक दिन श्रीयुत वैशम्पायन ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्रभात-फेरियों के विषय में क्या विचार है। मैंने कहा कि बिना काम चिल्लाना व्यर्थ है। हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो पुलिस की लाठियों को, जिनसे कि वह अत्याचार करते हैं, छीन लावें।

क्रान्तिवाद का प्रचार

श्रीयुत वैशम्पायन ने कहा कि मैं सभाओं तथा प्रभात-फेरियों में उपदेशों तथा गीतों द्वारा क्रान्तिवाद का प्रचार करूँ। मैंने उनके आदेशानुसार कई सभाएँ कीं, जिनमें श्रीयुत वैशम्पायन ने व्याख्यान दिए। श्रीयुत वैशम्पायन ने अखाड़ों तथा व्यायामशालाओं में, सर्व-साधारण में सैनिक भाव "मिलटरी स्पिरिट" उत्पन्न करने का प्रस्ताव किया तथा एक ऐसा बुलेटिन निकालने का विचार किया, जिसके द्वारा लोगों में क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया जा सके।

एक दिन श्रीयुत वैशम्पायन ने मुझे श्रीयुत सावरकर की लिखी एक पुस्तक, जिसका नाम "वार ऑफ़ इण्डिपेण्डेन्स" दिखाई और मुझे बताया कि यह किताब लाहौर में छपवाई गई है और इसका मूल्य ५) रुपए रक्खा गया है। इस पुस्तक की १०० प्रतियाँ श्रीयुत वैशम्पायन ने मँगवाई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लाभ होगा वह श्रीयुत सरदार भगतसिंह को छुड़ाने के प्रयत्न में व्यय किया जाएगा। मैंने उन प्रतियों को बेचने का वचन दिया।

२९वीं जनवरी को इक़बाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि एक दिन श्रीयुत गणेश दामोदर सावरकर का माली मेरे पास आया। उसने मुझे एक चिट्ठी दी, जिसमें श्रीयुत सावरकर ने मुझसे १९ प्रतियाँ "वार ऑफ़ इण्डिपेण्डेन्स" की माँगी थीं।

वकील-सफ़ाई ने एतराज़ किया कि जिन बातों का मामले के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, उनका वर्णन नहीं होना चाहिए।

इक़बाली गवाह ने आगे बयान देते हुए कहा कि श्रीयुत वैशम्पायन ने मुझे एक 'गीता-क्लास' खोलने के लिए कहा। इस गीता-क्लास में श्रीयुत वैशम्पायन भगवद्-गीता की व्याख्या किया करते थे। यह क्लास सितम्बर १९३० में शुरू की गई थी।

क्रान्तिवाद के प्रचार के लिए श्रीयुत वैशम्पायन ने गणपति-उत्सव के समय 'परेल ट्रैम्वे यूनियन' की एक सभा में व्याख्यान दिया और यह विद्यार्थियों के साथ मिल कर वादाविवाद भी किया करते थे।

अगस्त; १९३० के आरम्भ में श्रीयुत वैशम्पायन ने अपनी धर्मपत्नी को भावनगर में डॉ० काणे के पास भेज दिया। श्रीमती वैशम्पायन की अनुपस्थिति में एक व्यक्ति जिसको 'स्वामी' कहा जाता था, दो अन्य व्यक्तियों के साथ श्रीयुत वैशम्पायन के पास रहने लगा।

मैं श्रीयुत वैशम्पायन के घर पर एक गुजराती महिला को, जिसकी आयु लगभग २६ वर्ष होगी, तथा उसके एक पुत्र को जिसकी आयु लगभग आठ वर्ष होगी प्रायः देखा करता था। एक दिन जब मैं उनके घर पर गया तो मैंने देखा कि सब दरवाज़े बन्द हैं। मैंने अन्दर जाकर देखा, कि एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम खरे बताया, अपने एक साथी के साथ बातें कर रहा था। श्रीयुत खरे को मराठी नहीं आती थी।

क्रान्तिकारी दल का एक बालक

मैंने खरे को उस बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। बालक के सिर पर लम्बे-लम्बे सुन्दर बाल थे। कुछ दिनों के बाद मुझे श्रीयुत वैशम्पायन ने बताया कि श्रीमती शारदा अपने बालक के साथ भावनगर चली गई हैं।

चार-पाँच दिन के पश्चात श्रीमती शारदा अपने बालक सहित वापस लौट आईं। क्योंकि श्रीमती वैशम्पायन अभी तक भावनगर से न लौटी थीं। इसलिए श्रीमती शारदा घर का खाना बनाया करती थीं; कभी-कभी 'सूर्य' भोजनालय से भी खाना आता था।

श्रीयुत वैशम्पायन ने मुझे Telegraph Co-operative Society से १,००० रुपया उधार लेने को कहा। पूछने पर उसने बताया, कि उसने अपनी आय का बहुत सा अंश श्रीयुत सरदार भगतसिंह को छुड़ाने के प्रयत्न में ख़र्च किया है। क्योंकि अब श्रीयुत बापट के लिए एक मोटरकार ख़रीदने का विचार था, इसलिए उन्हें

रुपए की आवश्यकता हुई। मुझे यह भी बताया गया कि यह मोटरकार समय-समय पर "अपने काम" में लाई जाएगी।

पाँच अक्टूबर को मेरे घर पर एक सभा हुई। श्रीयुत वैशम्पायन के साथ श्रीयुत शिन्दे भी आए। श्रीयुत वैशम्पायन ने हम दोनों का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि श्रीयुत शिन्दे के पास मोटरकार है, जो हमको समय पड़ने पर "देश के काम" के लिए मिल सकती है। श्रीयुत शिन्दे ने कहा—"मोटर सदा आपकी सेवा में उपस्थित है।"

ख़ाँ साहब सैयद आदिल साहब डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस सी० आई० डी० लाहौर ने गवाही देते हुए कहा, कि मैं लाहौर षड्यन्त्र-केस की जाँच करता रहा हूँ। जिसमें कि श्रीयुत सरदार भगतसिंह, श्रीयुत राजगुरु तथा श्रीयुत सुखदेव को फाँसी-दण्ड मिला था। उसमें एक अभियुक्त श्रीयुत यतीन्द्रनाथ दास का अनशन के कारण जेल में देहान्त हो गया। इस मामले की जाँच के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया था। इस मामले में निम्न-लिखित पाँच अभियुक्त फ़रार थे। श्रीयुत चन्द्रशेखर आज़ाद उर्फ़ पण्डित जी, श्रीयुत भगवतीचरण उर्फ़ अर्जुन, श्रीयुत कैलाशपती उर्फ़ कालीचरण तथा दो और थे। गवाह ने कहा कि लाहौर में एक बम-फ़ैक्टरी में तीन अभियुक्त पकड़े गए थे।

मैजिस्ट्रेट—इन बातों का इस मामले से क्या सम्बन्ध है? तुम्हारा कहना है कि अभियुक्तों ने सरकार को उलटने के लिए सन् १९३० में षड्यन्त्र रचा। जो घटनाएँ सन् १९२९ में हुई हैं, उनका सन् १९३० के षड्यन्त्र से क्या सम्बन्ध हो सकता है?

सरकारी वकील ने बताया, कि श्रीमती दुर्गादेवी तथा एक और अभियुक्त, जो इस मामले में अभी तक फ़रार हैं, लाहौर षड्यन्त्र-केस से भी सम्बन्ध रखते हैं।

मैजिस्ट्रेट—मैं यह जानना चाहता हूँ, कि क्या अभियुक्तों ने सम्राट के विरुद्ध युद्ध की योजना की थी?

सरकारी वकील—हमारे पास इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

इस बीच ख़ाँ साहब को बाहर भेज दिया गया था। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें फिर बुलाया और गवाही लेनी शुरू की।

गवाह ने कहा कि मैंने श्रीयुत भगवतीचरण के घर की लाहौर षड्यन्त्र-केस के सम्बन्ध में तलाशी ली। वहाँ पर मैंने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गादेवी को देखा।

सरकारी वकील—तुम तलाशी लेने क्यों गए थे?

सफ़ाई के वकील ने एतराज़ किया कि इन बातों का वर्तमान मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या पुलिस यह साबित करना चाहती है, कि यदि एक मनुष्य क्रान्तिकारी है तो उसकी पत्नी भी क्रान्तिकारिणी होगी? जो गवाही अभी तक दी गई है, उसका वर्तमान केस के साथ रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं है।

सरकारी वकील ने उत्तर दिया कि हम यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि श्रीयुत सुखदेव, जो इस वर्तमान केस में फ़रार है—बम्बई में रुपया इकट्ठा करने के लिए आया। यह पया श्रीयुत सरदार भगतसिंह को ले जाने वाली जेल की लॉरी पर बम फेंक कर उनको छुड़ाने की योजना में व्यय होना था।

लाहौर में बम के धड़ाके के बाद श्रीमती दुर्गादेवी लापता हो गईं। तब से आज तक पुलिस के अथक परिश्रम करने पर भी उनका कोई पता नहीं चला।

पुलिस श्रीमती जी की तलाश लाहौर षड्यन्त्र-केस के सम्बन्ध में भी कर रही है।

वैद्य विला सैण्टाक्रूज़ में एक फ़ोटो मिली थी, गवाह ने उसे शनाख़्त किया कि यह फ़ोटो बुद्धिमान की है।

गवाह ने कहा कि मैंने श्रीयुत सुखदेवराज को सन् १९२९ में गिरफ़्तार किया था।

मैजिस्ट्रेट—फिर वह ग़ायब कैसे हो गया?

सरकारी वकील—उसके विरुद्ध मुक़द्दमा वापस ले लिया गया था।

वकील-सफ़ाई—श्रीमान, इस बात को नोट कर लें।

गवाह को "वार ऑफ़ इण्डिपेण्डेन्स" नामक पुस्तक की कुछ प्रतियाँ दिखाई गईं। गवाह ने कहा कि यह पुस्तक लाहौर के क्रान्तिकारियों ने छपवा कर बाँटी थी।

३०वीं जनवरी को इक़बाली गवाह ने बयान देते हुए कहा, कि ९ अक्टूबर को मैं श्रीयुत वैशम्पायन से मिला तो उसने मुझे कहा कि श्रीयुत सरदार भगतसिंह जैसे युवक फाँसी पर लटकाए जा रहे हैं, पर महाराष्ट्र अभी तक चुपचाप है। समय आ गया है कि कुछ ठोस काम किया जाय। लाहौर षड्यन्त्र के अभियुक्त बम्बई की ओर आशापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, भगतसिंह के बदले की गूँज सारे महाराष्ट्र में सुनाई देनी चाहिए।

श्रीयुत वैशम्पायन ने मुझे श्रीयुत देवधर के पास मोटर का प्रबन्ध करने के लिए भेजा। देवधर ने श्री० शिन्दे की सहायता से मोटरकार का प्रबन्ध कर दिया। जब मैं वापस लौटा तो श्रीयुत वैशम्पायन के घर पर श्रीयुत बुद्धिमान, बापट, स्वामी तथा श्रीमती शारदा बड़ी गम्भीरता से बातचीत कर रहे थे; इसलिए मैंने अन्दर आना उचित न समझा। इतने में श्रीयुत शिन्दे मोटरकार भी ले आया। श्री० बापट ने मोटरकार की परीक्षा की और कहा कि यह काम लायक़ है।

कुछ समय पश्चात् श्रीयुत बुद्धिमान तथा श्रीमती शारदा, अपने पुत्र हरी के साथ, मोटर में चढ़ कर कहीं चले गए। मुझे श्रीयुत बर्वे, शिन्दे तथा बाल के साथ मालाबार हिल पर देख-रेख करने के लिए श्रीयुत वैशम्पायन ने भेजा। हम रात के १२ बजे तक वहीं रहे। परन्तु कोई विशेष घटना न होने से वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद श्री० बापट मेरे घर पर आया। उसके साथ श्रीयुत स्वामी भी था। श्री० बापट ने मुझे बताया कि उन्होंने लेमिङ्गटन रोड के थाने को "ठाँ" "ठाँ" करके (रिवॉल्वर से) जड़ से हिला दिया है। श्री० स्वामी ने श्री० बापट को चुप रहने के लिए कहा, परन्तु मेरे आग्रह करने पर उसने मुझे स्वयं ही बताया कि हम पिछले तीन दिन से पुलिस-कमिश्नर की तलाश में थे। यदि हमारे पास कल मोटरकार होती तो कमिश्नर आज जीवित न होता। स्वामी ने बताया, कि पहले वह मालाबार हिल, पुलिस कमिश्नर की तलाश में गए, परन्तु कड़ा बन्दोबस्त होने के कारण वे कुछ न कर पाए। आख़िरकार बहुत से पुलिस के थानों का चक्कर काटते हुए हम लेमिङ्गटन रोड पुलिस-स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ पर हमने अपनी मोटर खड़ी कर दी। थोड़े ही समय के बाद एक और मोटर थाने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक यूरोपियन अफ़सर और एक अङ्गरेज़ महिला उतरे। श्री० बुद्धिमान को गोली चलाने की आज्ञा दी गई, किन्तु वह एक क्षण के लिए झिझका। इसी बीच में श्रीमती शारदा ने फ़ायर आरम्भ कर दिए। फिर श्री० बुद्धिमान और श्री० बापट ने भी गोलियाँ चलाईं। एक गोली मोटर के टायर में लगी! उसके पश्चात् हम लोग वहाँ से मोटर में भाग आए।

श्री० स्वामी ने यह भी कहा कि हमने आज सरदार भगतसिंह का बदला ले लिया है। हमें अब एक परचा छपवा कर बाँटना चाहिए। गवाह ने कचहरी में एक परचा शनाख़्त किया, जो कि श्री० स्वामी ने छपवाने के लिए लिखा था।

गवाह ने बयान जारी रखते हुए कहा, कि इतने में श्रीयुत वैशम्पायन भी मेरे घर पहुँच गया। उसने कहा कि आज का काम उचित नहीं हुआ, सब बच्चों का खेल ही रहा।

* * *

लाहौर षड्यन्त्र केस

लाहौर, २९वीं जनवरी का समाचार है, कि आज षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को ठीक दस बजे कचहरी में लाया गया। अभियुक्तों ने आते ही 'इनक़िलाब ज़िन्दाबाद' 'भगतसिंह ज़िन्दाबाद' इत्यादि क्रान्तिकारी नारे लगाए।

इन्द्रपाल का बयान

इक़बाली गवाह इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि रात्रि के समय श्री० भगवतीचरण, यशपाल, जाट, तथा मैंने जाकर रेलवे लाइन के नीचे बम गाड़ दिए। हम घर से दस बजे गए थे और प्रातःकाल ४ बजे हम सारे काम से निश्चिन्त होकर लौटे। उस रात को बहुत ठण्ड पड़ रही थी। इसलिए कोई मनुष्य उस समय उस स्थान पर नहीं आता-जाता था। हम बहुत से तारों के गुच्छे साथ ले गए थे। इनकी लम्बाई लगभग ३०० फ़ीट होगी। कुहरे के मारे कुछ सूझ नहीं पड़ता था। ज्यूँ-त्यूँ करके हमने बमों को दबा दिया और तार का एक सिरा उनके साथ जोड़ दिया। तार का दूसरा सिरा हमने कुएँ की मेंड़ के पास लाकर छोड़ दिया, और तार महीन घास इत्यादि से ढाँप दिया। यह सब हमने २१-२२ की रात को किया। जब हम मकान पर वापस आए तो हंसराज तथा अमीरचन्द वहाँ पर उपस्थित थे।

मि० सलीम (जज)—आपके पहले बयान में लिखा है कि अमीरचन्द अभियुक्त सवेरे नौ बजे आया।

इन्द्रपाल—यह मेरा बयान नहीं है, यह पुलिस ने स्वयं जोड़ दिया होगा।

गवाह ने कहा कि २२ दिसम्बर को हंसराज ने स्विच फ़िट किए। हंसराज बाज़ार से एक दर्जन बैटरियाँ मोल ले आया था। वह बैटरियाँ एक बक्स में लगा कर तार के साथ एक स्विच से फ़िट कर दी गईं। हम बक्स लेकर रेलवे लाइन पर गए, और सारा बन्दोबस्त फिर से निरीक्षण किया। रात के नौ बजे हम नई देहली में वापस लौटे। वहाँ अमीरचन्द इत्यादि सब सामान बाँध कर सोए थे।

उसी रात को एक व्यक्ति आसफ़ नामी आया और यशपाल से बातें करके चला गया। जब हम रात को बातें कर रहे थे तो हंसराज ने शीशी निकाल कर दिखाई और कहा कि आक्रमण करने के समय यदि कोई देख ले तो इस शीशी को खोल देना। सब बेहोश हो जाएँगे। मुझे पता नहीं कि आक्रमण के लिए कौन चुना गया था, परन्तु मेरा अनुभव है कि यशपाल को यह काम सौंपा गया था।

वाइसराय पर आक्रमण

२२ दिसम्बर को मैं और हंसराज लाहौर वापस लौट आए। दूसरे दिन हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि वाइसराय की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया है, परन्तु वाइसराय बच निकला।

इन्हीं दिनों मेरी भेंट सरनदास अभियुक्त से हुई। उसकी बातचीत से मुझे पता चला कि वह क्रान्तिकारी विचारों का है। उसने मुझे ऐसी पुस्तकें मोल लेने को कहा, जिनमें क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया गया हो। मैंने 'बन्दी-जीवन' 'विजया' आदि पुस्तकें मोल ले लीं।

२८ दिसम्बर को श्रीमती दुर्गावती ने मुझे एक पत्र दिया। वह पत्र अमीरचन्द के लिए था, परन्तु बहुत ढूँढ़ने पर भी वह मुझे न मिला। मैंने इसे फाड़ कर पढ़ा। इसमें साईकल के सम्बन्ध में कुछ लिखा था। कुछ दिन के पश्चात अमीरचन्द मुझे मिला तो मैंने उसे पत्र के सम्बन्ध में सब कुछ बता दिया।

२ जनवरी को मैंने पञ्जाब प्रिन्टिङ्ग प्रेस के पीछे एक मकान ले लिया। इस मकान में मैं अपने छोटे भाइयों

के साथ रहा करता था। पण्डित रूपचन्द ग्वालमण्डी वाली बैठक ही में रहने लगा।

श्रीमती दुर्गा का पत्र

एक दिन धर्मपाल अभियुक्त श्रीमती दुर्गावती का पत्र लेकर मेरे पास आया। उसमें लिखा था कि सनातन-धर्म कॉलेज के सामने सन्ध्या के समय एक मनुष्य मुझे मिलेगा। मैं इस आज्ञानुसार नियत स्थान पर पहुँच गया। वहाँ मेरी श्रीयुत भगवतीचरण जी से भेंट हुई। श्री० भगवतीचरण ने मुझे बताया कि यशपाल को पञ्जाब प्रान्त का सञ्चालक बना दिया गया। इस कारण से वह पञ्जाब में मेरे पास ठहर कर काम करेगा। मैंने उसको अपने पास आश्रय देना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात मैं तथा हंसराज वहाँ से लौट आए। श्री० भगवतीचरण, यशपाल, जाट तथा अमीरचन्द मेरे मकान पर ही रहे।

इन्हीं दिनों यशपाल ने मुझे बताया कि वाइसराय पर आक्रमण के लिए उसको क्यों चुना गया था। श्री० भगवतीचरण, चूँकि सारे दल के सञ्चालक थे, इस कारण यह काम यशपाल को, जो केवल प्रान्तीय सञ्चालक था, सौंपा गया था। दूसरे वह फ़ौजी वर्दी, जो कि आक्रमण के समय काम में लाई जाने वाली थी, यशपाल के अतिरिक्त किसी दूसरे को पूरी न आती थी।

श्रीयुत भगवतीचरण तथा यशपाल इन दिनों मेरे मकान पर रहा करते थे। इन्हीं दिनों श्रीयुत चन्द्रशेखर भी मेरे पास आए और दूसरे क्रान्तिकारियों से मिले। मुझे श्रीयुत भगवतीचरण ने बहुत सी हिदायतें कीं, कि काम किस प्रकार से करना चाहिए।

तीसरी जनवरी को इक़बाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि श्रीयुत भगवतीचरण के साथ बातचीत करने के बाद मैंने श्री० यशपाल का ठहराना स्वीकार कर लिया। २ जनवरी को श्रीमती दुर्गादेवी ने श्री० धर्मपाल के द्वारा मुझे अपने मकान पर बुलाया और कहा कि सन्ध्या के छः बजे एक व्यक्ति रेशमी रूमाल हाथ में लिए गोलबाग़ में तुम्हें मिलेगा। उसका नाम शिव होगा। वह जो कुछ पूछे बता देना। मैं सन्ध्या को नियत स्थान पर पहुँचा। कुछ काल तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् एक व्यक्ति हाथ में रेशमी रूमाल लिए हुए आया। उसने मुझसे श्रीयुत भगवतीचरण तथा श्रीयुत यशपाल का पता पूछा, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें दो-तीन दिन में इनका पता बताऊँगा।

कुछ दिन पश्चात् श्री० यशपाल लाहौर आया तो मैंने उसे श्री० शिव की बाबत बताया, परन्तु मुझे पता चला कि वह उससे पहले ही मिल चुका है।

विप्लव-दल का सङ्गठन

श्री० यशपाल ने मुझे बताया कि जब कोई घोषणा "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" की ओर से की जाती है, तो उसके नीचे बलराज के हस्ताक्षर रहते हैं। यदि कोई घोषणा "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन" की ओर से की जाती है, तो उसके नीचे प्रेज़िडेण्ट "कर्तारसिंह" के हस्ताक्षर रहते हैं। 'बलराज' को कमाण्डर-इन-चीफ़ और 'कर्तार सिंह' को प्रेज़िडेण्ट लिखा जाता है। रिपब्लिकन एसोसिएशन का काम क्रान्तिवाद का प्रचार करना है। 'रिपब्लिकन आर्मी' का काम 'एक्शन' करना है। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का मेम्बर हिन्दुस्तान आर्मी का मेम्बर भी हो सकता है। मेम्बर बनने के तीन स्टेज होते हैं। पहली स्टेज में व्यक्ति सहायक होता है, फिर धीरे-धीरे उसको 'सदस्य' होने के पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं।

"फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ बॉम"

श्रीयुत यशपाल अपने साथ बहुत से परचे पञ्जाब में बाँटने के लिए लाया था। जिनका शीर्षक "फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ बॉम" था। मैंने यशपाल से पूछा कि इतने परचे तुमने कहाँ से लिए हैं। उसने कहा कि पार्टी का एक प्रेस कलकत्ता में है, वहाँ पर एक पुस्तक भी छप रही है, जिसका नाम "वार ऑफ़ इण्डिपेण्डेन्स" है। यह पुस्तक सरकार द्वारा ज़ब्त थी।

कुछ दिन के पश्चात् मैं और श्री० यशपाल रावलपिण्डी गए और वहाँ पर "फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ बॉम" नामक परचे बाँट दिए। वहाँ पर हमारी भेंट श्रीयुत सरनदास, श्रीयुत हरीराम पहलवान तथा श्रीयुत गोपालकृष्ण से हुई।

लाहौर में फिर बम का सामान मिला

एक दर्जन नवयुवक गिरफ़्तार

लाहौर ३१वीं जनवरी का समाचार है, कि कल रात को दस बजे लाहौर पुलिस ने मि० हार्डिङ्ग सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस की अध्यक्षता में शीशा मोती बाज़ार में एक दुकान की तलाशी ली और कुछ नवयुवकों को, जो दुकान के अन्दर बैठे थे, गिरफ़्तार कर लिया। दुकान की तलाशी लेने पर एक सेर के लगभग मन्सल पुटाश इत्यादि विस्फोटक पदार्थ, तथा कुछ नारियल के खोल और एक नली मिली।

यह भी पता चला है कि पुलिस ने श्रीयुत बिहारीलाल तथा श्रीयुत दिवानचन्द रङ्गरेज़ों की दुकानों की तलाशियाँ लीं। श्रीयुत बिहारीलाल की दुकान से पुलिस को मन्सल और पुटाश मिला। पुलिस ने और भी कई जगह तलाशी ली, पर कोई सन्देहजनक वस्तु नहीं मिली।

गिरफ़्तार हुए व्यक्ति में से निम्न-लिखित व्यक्तियों के नाम विदित हो सके हैं। श्री० कृष्णगोपाल, श्री० बिहारीलाल, श्री० दिवानचन्द, श्री० कँवरसेन। कँवरसेन का भाई, जो उन्हें मिलने आया हुआ था, पुलिस उसे भी पकड़ ले गई।

देहली षड्यन्त्र केस

देहली का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि श्रीयुत धन्वन्तरि के वकील श्रीयुत बी० बी० तवकले ने उनकी ज़मानत के लिए एक आवेदन-पत्र दिया है, जिसकी सुनाई तीसरी फ़रवरी को सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने होगी।

भुसावल बम-केस

जलगाँव का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि भुसावल बम-केस में उस केस के अभियुक्त भगवानदास को मुख़बिर जयगोपाल की हत्या के प्रयत्न के अभियोग में आजन्म कालेपानी की सज़ा दी गई है।

सिम्सन-हत्याकाण्ड

दिनेशचन्द्र गुप्त का बयान और फाँसी

२८वीं जनवरी को अलीपुर में मामले की कार्यवाही फिर से प्रारम्भ हुई। दिनेश गुप्त पर दण्ड-विधान की ३०२ री धारा के अनुसार हत्या का और ३०७वीं की धारा के अनुसार हत्या के प्रयत्न के अभियोग लगाए गए हैं। दिनेश गुप्त ने अपने बयानों में अपने उस समय के वक्तव्य को, जो उसने अस्वस्थावस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट को दिया था, ठीक बतलाया और अपने को निर्दोष क़रार दिया। उसका वक्तव्य अदालत में पढ़ा गया था और उससे पता लगता है कि दिनेश गुप्त जमालपुर (मैमनसिंह) के पोस्ट-मास्टर का तीसरा लड़का है। उसने पिकेटिङ्ग आन्दोलन में ढाका यूनिवर्सिटी की बी० ए० फ़ाइनल कक्षा से अपना अध्ययन छोड़ दिया था। उसके बाद वह आसाम के कई स्थानों में घूमता रहा और इसी सिलसिले में मिदनापुर भी गया, जहाँ उसका भाई वकालत करता है। वह ८वीं दिसम्बर को यूरोपियन वेष में कलकत्ते आया और हावड़ा स्टेशन से ज़ूलोजिकल गर्डेन गया, परन्तु उस समय वहाँ के दरवाज़े बन्द थे।

वहाँ से वह डलहाउज़ी स्क्वॉयर आया और कौतूहलवश सेक्रेट्रियट में घुस गया। उसे इस बात का पता नहीं था कि उस इमारत में कौन सा ऑफ़िस है। उस शहर में भी वह दो-तीन बार से अधिक नहीं आया और यही कारण उसकी इमारत-सम्बन्धी अनभिज्ञता का है। जब वह ऊपर गया तो उसने किसी चीज़ का भयङ्कर धड़ाका सुना। इस आवाज़ से डर कर वह भागा, और भागने के साथ ही किसी यूरोपियन ने उसकी ओर गोली छोड़ी। दिनेश रक्षा के लिए एक कमरे में घुस गया, परन्तु कमरे में प्रवेश करने के पहले ही उसे गर्दन में गोली लग चुकी थी। गोली खाकर दिनेश बेहोश हो गया और बहुत देर बाद उसे अस्पताल में होश आया। उसने गोली मारने वाले को पहचान नहीं पाया,

स्वर्गीय लेफ़्टेनेण्ट-कर्नल एन० एस० सिम्पसन, आई० एम० एस०

न तो उसके पास कोई सूट-केस था और न उसके साथ कोई साथी था। उसके पास दस रुपए थे और वह जमालपुर अपने पिता के पास जाना चाहता था। वह हरिकुमार गुप्त को पहचानता था।

इसके बाद दिनेश की ओर से ट्रिब्यूनल के सम्मुख एक दरख़्वास्त पेश की गई, जिसमें सरकार की ओर से बङ्गाल गवनमेण्ट के जुडीशियल सेक्रेटरी मि० जे० डब्ल्यू० नेल्सन की गवाही इङ्गलैण्ड में एक कमीशन द्वारा ली जाने की प्रार्थना की गई थी। दरख़्वास्त पर ऑर्डर लिख दिया गया था, परन्तु वह उसे सुनाया नहीं गया।

२री फ़रवरी का समाचार है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त दिनेश गुप्त को फाँसी की सज़ा दे दी !!

लाहौर में बम फ़ैक्टरी

लाहौर का ३१वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ की पुलिस ने तीन हिन्दू नवयुवकों को सूर्योदय के पहले बम बनाने के अभियोग में गिरफ़्तार किया है। कहा जाता है, कि उनके पास बम बनाने के विस्फोटक पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अभियुक्त चौदह दिन के लिए पुलिस-हवालात में भेज दिए गए हैं।

रामचरन शर्मा पाण्डिचेरी में गिरफ़्तार

मद्रास का २९वीं जनवरी का समाचार है, कि पाण्डिचेरी-स्थित एक ब्रिटिश ख़ुफ़िया पुलिस के मि० अब्दुल सलाम ने आगरे के रामचरन शर्मा को गिरफ़्तार किया है, जो पाण्डिचेरी में दस वर्ष से ऊपर से रह रहा है। उसका सम्बन्ध मेरठ षड्यन्त्र-केस और अन्य बहुत से षड्यन्त्रों से बतलाया जाता है और उनके सम्बन्ध में उस पर बहुत से गिरफ़्तारी के वारण्ट भी निकाले गए हैं। वह विल्लूपुरम से मद्रास आते समय २८वीं जनवरी को रास्ते में गिरफ़्तार कर लिया गया।

* * *

—मिदनापुर का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि पुलिस ने मिदना बार-एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री० उपेन्द्रनाथ मैती के घर को सवेरे घेर लिया, और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इस मकान के साथ-साथ कुछ अन्य मकान भी, ग़ैर-क़ानूनी संस्थाओं के स्थान क़रार दिए गए हैं। श्री० मैती के घर में ताला लगा दिया गया है, और उनसे अपने परिवार के साथ दूसरी जगह चले जाने के लिए कहा गया है।

दोपहर में, पुलिस ने श्री० उमेशचन्द्र बेरा के मकान पर भी अधिकार जमा लिया।

—कलकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि बङ्गाल कॉङ्ग्रेस सत्याग्रह समिति, नारी सत्याग्रह समिति बड़ा बाज़ार-कॉङ्ग्रेस कमिटी तथा बङ्गाल-भद्र-अवज्ञा-समिति ग़ैर-क़ानूनी क़रार दी गई हैं।

नाडियाद २५वीं जनवरी—'बॉम्बे क्रॉनिकल' का एक सम्वाददाता लिखता है कि नाडियाद के मामलतदार लगान की वसूली के लिए गाँव-गाँव घूम रहे हैं। गत २१वीं जनवरी को वे मितराल में गए, और वहाँ के करसनदास नरोत्तम को मालगुज़ारी देने के लिए बुलाया। किन्तु उनकी अनुपस्थिति में उनकी पुत्री ने कहा कि "हम एक पाई भी न देंगे।"

३४ पटेलों ने इस्तीफ़ा दे दिया

'बॉम्बे क्रॉनिकल' का एक सम्वाददाता २६वीं जनवरी को धारवार से समाचार देता है, कि गत सप्ताह में अनकोला तालुक़े के ३४ पटेलों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ७ पटेल पहले ही इस्तीफ़ा दाख़िल कर चुके हैं। इस प्रकार वहाँ के ६३ पटेलों में कुल २२ रह गए हैं।

—कलकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 'एडवान्स' के दफ़्तरों की तलाशियाँ ली गईं। कहा जाता है कि ये तलाशियाँ, श्री० राजेन्द्र देव के, युद्ध-समिति के अध्यक्ष चुने जाने के सम्बन्ध में समाचार छापने के सम्बन्ध में ली गई हैं। पुलिस इस सम्बन्ध में कुछ काग़ज़-पत्र उठा ले गई है।

—मद्रास का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि गोडाउन स्ट्रीट पर विदेशी वस्त्र की दूकानों पर धरना देते समय श्री० के० भाष्यम् और श्री० सुन्दरम् गिरफ़्तार किए गए, किन्तु घटनास्थल से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दिए गए। कहा जाता है कि श्री० भाष्यम् पीटे भी गए थे। स्वयंसेवकों को बलपूर्वक घटनास्थल से हटाया गया।

—नई दिल्ली का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि कुछ स्वयंसेवक, विदेशी वस्त्र की गाँठों को ले जाने से रोकते समय व्यापारियों द्वारा पीटे गए।

कहा जाता है कि कुछ व्यापारी विदेशी कपड़े की गाँठों को स्टेशन से लिए जा रहे थे। रास्ते में स्वयंसेवकों ने उन्हें रोका। कहा जाता है कि इस पर व्यापारियों ने उन्हें पीटा। इसी बीच किसी ने उन गाँठों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। पर पुलिस तुरत घटनास्थल पर पहुँच गई, और आग बुझा डाली गई। इस सम्बन्ध में १७ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए, किन्तु सभी पीछे छोड़ दिए गए।

—पेशावर का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ के चीफ़ कमिश्नर ने, दो महीने के लिए वहाँ 'उकसाव ऑर्डिनेन्स' जारी किया है।

—कृष्णगढ़ का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि पुलिस ने कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० प्रफुल्लकुमार भट्टाचार्य, श्री० सरोजित बनर्जी, श्री० धीरेन्द्रनाथ सरकार के मकानों की तथा नवीन प्रेस और नदिया ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी की तलाशियाँ लीं। पुलिस कुछ काग़ज़-पत्र ले गई। कहा जाता है कि ये तलाशियाँ स्वतन्त्रता-दिवस के पर्चे के सम्बन्ध में ली गई हैं।

महात्मा जी की ११ शर्तें

१—शराब की बिक्री बिल्कुल बन्द कर दी जाय।

२—विनिमय की दर को घटा कर १ शि० ४ पे० कर दिया जाय।

३—मालगुज़ारी कम से कम आधी कर दी जाय और उस पर धारा-सभा का नियन्त्रण रख दिया जाय।

४—नमक-कर उठा लिया जाय।

५—शुरुआत में फ़ौजी ख़र्च कम से कम आधा कर दिया जाय।

६—घटी हुई मालगुज़ारी के अनुसार उच्च कर्मचारियों का वेतन आधा या उससे भी कम कर दिया जाय।

७—विदेशी कपड़े पर इतनी चुङ्गी लगाई जाय कि वह न आ सके।

८—भारतीय जहाज़ों के लिए समुद्र-तट सुरक्षित करने का क़ानून पास किया जाय।

९—जो लोग साधारण न्यायालय द्वारा हत्या या हत्या करने की चेष्टा के दोषी ठहराए गए हैं, उनके सिवा और सब राजनैतिक क़ैदियों को छोड़ दिया जाय। सब राजनैतिक मुक़द्दमे वापस ले लिए जायँ; १२४ (अ) की धारा और १८१८ का रेगुलेशन तथा इस प्रकार के और दूसरे क़ानून रद्द कर दिए जायँ और सभी भारतीय निर्वासितों को स्वदेश लौटने की आज्ञा दी जाय।

१०—ख़ुफ़िया पुलिस का महकमा या तो उठा दिया जाय या वह जनता के अधीन कर दिया जाय।

११—जनता के नियन्त्रण में आत्म-रक्षा के लिए हथियार रखने के पर्वाने दिए जाँ।

—बम्बई का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ सन्ध्या समय आज़ाद मैदान में, महात्मा गाँधी के भाषण के लिए एक सभा की आयोजना की गई। सभा में भीड़ इतनी ज़्यादे थी कि एक ६० वर्ष की वृद्धा की, दम घुट जाने के कारण मृत्यु हो गई, और क़रीब ३१ मनुष्य घायल हो गए।

—बर्दवान के ज़िला मैजिस्ट्रेट ने दण्ड-विधान की १४४वीं धारा के अनुसार एक आज्ञा-पत्र निकाल कर श्री० सरोजकुँवर मुखर्जी को वहाँ दो महीने तक भाषण न देने की आज्ञा दी है।

—कानपुर का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 'लाल इमली' के माल की नीलामी के समय धरना देने वाले स्वयंसेवकों पर लाठी और जूते तक चलाए गए। फल-स्वरूप वानर-सेना के ४ बालकों को चोट आई है।

मद्रास-कौन्सिल में सरकार की हार

"लाठी-वर्षा नहीं रोकी जायगी तो परिणाम भीषण होगा"

मद्रास का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ की कौन्सिल में श्री० भाष्यम् और श्री० सुन्दरम् पर लाठी-वर्षा करने के सम्बन्ध में प्रश्न किए गए। होम-मेम्बर ने इस विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। इस पर पूछा गया कि 'क्या सरकार जाँच कमिटी नियुक्त करेगी?' उत्तर में कहा गया कि जाँच की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवाद में कहा गया कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं रोकी जायगी तो परिणाम भीषण होगा। श्री० वेङ्कटचलम चेट्टी ने जाँच के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया और ६१ पक्ष में तथा २७ विपक्ष में होने के कारण वह पास हो गया। १०० कपड़े के व्यापारियों के हस्ताक्षर-युक्त एक अर्ज़ी भी पेश की गई, जिसमें लाठी-वर्षा की निन्दा की गई थी। श्री० चेट्टी ने अपने आवेशपूर्ण भाषण में कहा कि जो पुलिस के अफ़सर इस लाठी-वर्षा के ज़िम्मेदार हैं, उन पर मुक़द्दमा चलाने की आज्ञा दी जाय। श्री० सुब्बरायन ने कहा कि इस प्रकार ज़मीन पर गिरे हुए मनुष्य पर लाठी चलाना अमानुषिकता है। अङ्गरेज़ी न्याय किसी गिरे हुए आदमी पर लाठी चलाने की आज्ञा नहीं देता।

"फ़ौज को सलाम करो"

कहा जाता है कि इलाहाबाद के ज़िला बोर्ड की शिक्षा-समिति के चेयरमैन को, ग्राम्य-पाठशालाओं के शिक्षकों के प्रति इस सम्बन्ध में आज्ञा देने के लिए, स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट मि० एच० बमफ़ोर्ड ने निम्न-लिखित पत्र लिखा है :—

"मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक है कि नई पीढ़ी के लोग फ़ौज को देखें और उसके प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करें। इसलिए मेरा यह विचार है कि पाठशालाओं के शिक्षकों के प्रति यह आज्ञा जारी की जाय कि सेना के उस ओर से जाते समय, वे अपने विद्यार्थियों को सड़कों पर ले आवें, और उनसे फ़ौज को सलाम करने के लिए कहें।"

महात्मा जी का 'डेली हेरल्ड' को तार

"प्रधान-मन्त्री की घोषणा अपर्याप्त है"

महात्मा जी ने लन्दन के एक पत्र 'डेली हेरल्ड' के पास एक तार भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि "प्रधान-मन्त्री की घोषणा अपर्याप्त है। किन्तु अन्य कॉङ्ग्रेस नेताओं के साथ मैं उस पर खुले दिल से विचार करने को तैयार हूँ। सर सप्रू आदि के अनुरोध के अनुसार मैंने घोषणा पर अपना अन्तिम फ़ैसला स्थगित कर दिया है। मैं प्रतिष्ठापूर्ण शान्ति की खोज में हूँ। शान्तिपूर्ण वातावरण के लिए ये बातें आवश्यक हैं :—

(१) सभी कॉङ्ग्रेस दल के क़ैदियों को रिहा कर दिया जाय।

(२) दमनकारी ऑर्डिनेन्सों को वापस ले लिया जाय।

(३) ज़ब्तशुदा जायदादें लौटा दी जायँ।"

प्रधान-मन्त्री की घोषणा पर महात्मा जी ने पहली बार अपनी यह सम्मति प्रकाशित की है।

—कलकत्ते का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट की १६वीं धारा के अनुसार एक नोटिस के द्वारा वहाँ के ४० व्यक्तियों को, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, जिन-जिन संस्थाओं को ग़ैर-क़ानूनी क़रार दिया गया है, उनमें भाग न लेने की आज्ञा दी गई है।

महिलाओं पर पुलिस के नृशंस अत्याचार

महिलाएँ लाठियां, बन्दूकों की मूठों और जूतों की ठोकरों से आहत की गईं

'स्त्री-सितम दिन' पर पुलिस की नृशंस लीला

श्रीमती गाँधी तथा अन्य दो महिलाओं का वक्तव्य

श्रीमती कस्तूरीबाई गाँधी ने २१ वीं जनवरी को 'स्त्री-सितम दिन' के अवसर पर, बोरसद में होने वाले पुलिस के अत्याचारों का जो मार्मिक वर्णन किया था, उसका सारांश नीचे दिया जाता है :—

"स्त्रियों पर लाठी-प्रहार करने में पुलिस ने वास्तव में बड़ी निर्दयता से काम लिया है। पुलिस ने लाठियों की जो गहरी चोटें उनकी छाती, कमर, पीठ और अन्य अङ्गों पर की हैं और उनके सिर के बाल पकड़ कर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसकी भर्त्सना हिन्दी-शब्दों में नहीं की जा सकती। मैंने उन स्त्रियों से, जो जुलूसों में सम्मिलित हुई थीं और जिन्होंने लाठियाँ खाई थीं, पूछा कि क्या वे इसी प्रकार के अत्याचार सहने के लिए फिर ऐसे जुलूसों में भाग लेंगी? उत्तर में उन्होंने उत्साहपूर्वक अपनी सहमति प्रकट की। इस घटना से इस बात का पता लग जाता है कि वर्तमान गवर्नमेण्ट के अत्याचारों से वे गुजरात की महिलाएँ कितनी रुष्ट हो गई हैं। बोरसद की पुलिस के पास इन लज्जाहीन और निर्दय आघातों के लिए कोई उत्तर नहीं है। क्या तालुक़े की स्त्रियों को अपनी बहिनों पर होने वाले पुलिस के इन नृशंस अत्याचारों का विरोध करने का अधिकार नहीं है? पूछ-ताछ करने पर मुझे मालूम हुआ है कि पुलिस ने जुलूस में सम्मिलित होने वाले स्त्री-पुरुषों को इस प्रकार का कोई नोटिस या चेतावनी नहीं दी कि यदि जुलूस बन्द नहीं किया जायगा तो उस पर लाठी-प्रहार किया जायगा। पुलिस के अत्याचारों की यह सीमा है। मैंने अपने जीवन में पुलिस के ऐसे अत्याचार न तो देखे हैं और न सुने हैं।"

श्रीमती कस्तूरीबाई गाँधी

लेडी विद्यागौरी तथा लेडी सुलोचना चिनू भाई का वक्तव्य

उसी 'स्त्री-सितम दिन' के अवसर पर लेडी विद्यागौरी रमन भाई और लेडी सुलोचना चिनू भाई ने भी अपनी जाँच के अनुभवों का वर्णन इस प्रकार किया था :—

"२१वीं जनवरी को बोरसद में स्त्रियों के जुलूस पर लाठी-प्रहार का हाल सुन कर हम अहमदाबाद से वहाँ जाँच के लिए गईं। बोरसद से भद्रान जाते समय रास्ते में हमें मालूम हुआ कि जुलूस श्रीमती लीलावती पर होने वाले पुलिस के नृशंस व्यवहार के विरोध में निकाला गया था। २१वीं जनवरी को जुलूस न निकालने का कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया था। सत्याग्रह आश्रम और बोरसद तालुक़े की उन महिलाओं को देखने से, जो पुलिस के प्रहारों से आहत होकर भद्रान अस्पताल में पड़ी थीं; यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी चोटों की पीड़ा असह्य है। उसके बाद हम जोशीपुरा गाँव के पास के मँड़वों में गईं। वहाँ हमने तीस स्त्रियों को लाठियों, बन्दूकों की मूठों और जूतों की ठोकरों से आहत देखा। ज़रोला गाँव के पास के मँड़वों में एक बूढ़ी स्त्री और एक बच्ची लाठियों के प्रहारों से पीड़ित मिली। पुलिस के इन नृशंस अत्याचारों के समय उन महिलाओं ने जो सत्याग्रही भाव दिखाया है, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इन महिलाओं के सगे-सम्बन्धियों ने अपनी माँ-बहिनों और स्त्रियों पर होने वाली इन नृशंसताओं को अपनी आँखों से देखा, परन्तु उन्होंने चूँ तक नहीं की; उनकी भी हम प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकतीं। इतना होने पर भी पुलिस का उस दिन का व्यवहार अत्यन्त हीन और लज्जाजनक था! जिन ऑफ़िसरों ने कोमल नारी-जाति पर यह भयङ्कर अत्याचार करने की आज्ञा दी है, उनकी भर्त्सना के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। यदि हमने अपनी आँखों से साक्षात् इन अत्याचारों की लीला न देखी होती, तो हमें उन रिपोर्टों पर, जो हमने पत्रों में पढ़ी थीं, अवश्य सन्देह होता। परन्तु हमें अब पूरा विश्वास हो गया है कि इन नृशंस अत्याचारों के लिए केवल पुलिस ज़िम्मेदार है। स्त्रियों के सिवाय उस रोज़ पुरुष भी लाठियों से बुरी तरह पीटे गए थे।"

* * *

बर्मा में विद्रोहियों का आतंक

मिशन स्कूल जला डाला गया

रङ्गून का समाचार है, कि थारावड्डी में विद्रोहियों का उत्पात अभी जारी है। वे अकेले-दुकेले गाँव वालों की हत्या कर डालते हैं, घरों में आग लगा देते हैं तथा नाना प्रकार के उपद्रव मचाते हैं। ऐसी घटनाएँ वहाँ रोज़ हो रही हैं। किन्तु तो भी परिस्थिति पहले की अपेक्षा शान्त बतलाई जाती है। कहा जाता है कि विद्रोहियों का पहले के समान सङ्गठन अब नहीं रहा।

कहा जाता है, ४ मनुष्य एक गाड़ी पर धान लाद कर मिनला बाज़ार बेचने के लिए लिए जा रहे थे, विद्रोहियों ने उन्हें मार डाला और अनाज लूट लिया। इसी प्रकार एक गाँव के मुखिए के घर में, जिसने एक विद्रोही को गिरफ़्तार करने में पुलिस की सहायता की थी, आग लगा दी गई। पेयावेयो के अमेरिकन मिशन स्कूल में भी विद्रोहियों ने आग लगा दी। बर्मा के गवर्नर स्वयं थारावड्डी आए थे। गवर्नमेण्ट का ऐसा ख़याल है, कि इन विद्रोहियों के दमन के लिए उसे फ़ौज की सहायता लेने की विशेष आवश्यकता न पड़ेगी। इस कार्य के लिए पुलिस ही काफ़ी समझी जाती है। कहा जाता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर अस्थायी पुलिस-स्टेशन क़ायम किए जायँगे, और उसमें बड़ी तायदाद में पुलिस रक्खी जायगी, जो समय पर गाँव वालों को सहायता दे सके। सर जेम्स क्रेरार ने श्री० गयाप्रसादसिंह के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि बर्मा-विद्रोह में २,६०० मनुष्यों के भाग लेने का अन्दाज़ा लगाया गया है। विद्रोहियों की ओर के लगभग ३०० मनुष्य मारे गए, १३० घायल हुए और १,२५० पकड़े गए।

पुलिस की ओर के ३ मनुष्य मारे गए और ७ घायल हुए, इसके अतिरिक्त १ जङ्गल विभाग के इञ्जीनियर, १० गाँव के मुखिए और सरकारी कर्मचारी मारे गए।

आगामी कॉङ्ग्रेस के सभापति सरदार पटेल चुने गए

एक स्थानीय समाचार है कि आनन्दभवन में, कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गत १ली फ़रवरी को निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया है—"देश की वर्तमान नाज़ुक अवस्था को देखते हुए कार्यकारिणी समिति अपने विशेष अधिकारों के द्वारा श्री० सरदार पटेल को, कराची में होने वाली कॉङ्ग्रेस के लिए सभापति चुनती है।

"वर्तमान अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी, जब तक नए चुनाव का प्रबन्ध न हो जाय, तब तक काम करती रहेगी।

"कार्यकारिणी समिति की अगामी बैठक १३वीं फ़रवरी को, अध्यक्ष द्वारा निर्णीत स्थान पर होगी।"

—दिल्ली का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि पुलिस ने निमि प्रेस की तलाशी ली, और महमुदल नामक मौलवी की 'फ़तवा' नामक पुस्तक को उठा ले गई।

—लाहौर का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि पुलिस ने ज़ब्त पुस्तक 'वतन का राज' के सम्बन्ध में, पुस्तक-विक्रेता नारायणदत्त एण्ड सन्स की दूकान की तलाशी ली। कहा जाता है कि उक्त पुस्तक की २७० प्रतियाँ वहाँ पाई गईं।

* * *

बंगाली नेताओं का सिंहनाद

'बिना हिंसात्मक और अहिंसात्मक क़ैदियों को छोड़े समझौता नहीं हो सकता'

श्री० सेन गुप्त की गर्जना

नई दिल्ली का २८ वीं जनवरी का समाचार है, कि श्री० जे० एम० सेन गुप्त ने जेल से छूटने पर इलाहाबाद रवाना होने के पहले एसोशिएटेड प्रेस' को निम्न वक्तव्य दिया है :—

"कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के सदस्य की हैसियत से मैं उसका निर्णय पालन करने के लिए बाध्य हूँ और इसलिए जब तक हम लोग सर तेजबहादुर सप्रू, श्री० शास्त्री और श्री० जयकर से मुलाक़ात न कर लेंगे, मैं प्रधान-मन्त्री की घोषणा पर अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता।

श्री० जे० एम० सेन गुप्त

"परन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि एक ओर वायसराय महोदय घोषणा पर साम्य भाव से विचार करने की अपील करते हैं और दूसरी ओर वे अभी भी राजनैतिक क़ैदियों से जेलें भरते जा रहे हैं। उसी रोज़, जिस रोज़ वायसराय ने अपनी अपील प्रकाशित की है, और नेता जेलों से मुक्त किए गए हैं; कलकत्ते में जो काण्ड हुआ है उससे यह प्रतीत नहीं होता कि उनका उद्देश्य शान्ति की स्थापना है। चाहे प्रधान-मन्त्री की योजनाओं से हमारे उद्देश्य की सिद्धि हो या न हो, परन्तु यदि आप (वायसराय) समझते हैं कि उन योजनाओं से हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता और यदि आप कॉङ्ग्रेस की माँगों के अनुसार उसके उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें जेल से मुक्त करने पर भी उस उद्देश्य की सिद्धि होना आसान नहीं है। और यदि आप कॉङ्ग्रेस की माँगों की पूर्ति करने के लिए तैयार हैं तो सब राजनैतिक क़ैदियों को मुक्त करो, ऑर्डिनेन्सों को रद्द करो और सभी विचारों के राजनैतिज्ञों के साथ अपनी व्यावहारिक नीति बदल दो।

राजनैतिक क़ैदियों का छुटकारा

"मेरा बहुत दिनों से यही विचार रहा है कि जब राजनैतिक समझौते या राजनैतिक क़ैदियों को छुटकारा देने की समस्या सामने आवे, उस समय हिंसात्मक और अहिंसात्मक राजनैतिक क़ैदियों में कोई भेद-भाव नहीं हो सकता। यदि इङ्गलैण्ड और भारत में सच्चा समझौता होना है—यदि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता देने की योजना हो रही है—तो सब हिंसात्मक और अहिंसात्मक राजनैतिक क़ैदियों का छुटकारा नितान्त आवश्यक है। यद्यपि हम दोनों के स्वतन्त्रता-प्राप्ति के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु उनके और हमारे उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं है। क्या सन्धि के समय इङ्गलैण्ड आयर्लैण्ड से यह कह सकता था कि यद्यपि दो देशों में समझौता हो रहा है, परन्तु वह उन राजनैतिक क़ैदियों को मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है जो युद्ध के समय हिंसात्मक अपराधों के अपराधी थे? इसके विपरीत वे ही आयरिश नेता, जो यदि स्वतन्त्रता के युद्ध के समय ज़िन्दा गिरफ़्तार कर लिए जाते तो अङ्गरेज़ों के द्वारा फाँसी पर लटका दिए गए होते, युद्ध समाप्त होने पर सन्धि करने के लिए अङ्गरेज़ों के साथ एक ही टेबिल के आस-पास बैठे थे।

ऑर्डिनेन्स को रद्द करो

"बङ्गाल के तीन चार-सौ व्यक्ति बिना किसी अभियोग और अदालती कार्यवाही के केवल इसलिए जेलों में ठूँस दिए हैं कि पुलिस को उन पर हिंसात्मक होने का सन्देह है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनमें से अधिकांश सच्चे कॉङ्ग्रेसवादी हैं। उनमें से कुछ माननीय व्यक्ति हैं और कुछ कॉङ्ग्रेस संस्थाओं के पदाधिकारी रह चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जब तक वे सब राजनैतिक क़ैदी जो हिंसात्मक या अहिंसात्मक अपराधों के अभियोगों में अदालती कार्यवाही द्वारा या बिना कार्यवाही के जेलों में सड़ रहे हैं, मुक्त न कर दिए जायँगे; जब तक हिंसात्मक या अहिंसात्मक अपराधियों की अदालती कार्यवाही बन्द न कर दी जायगी और जब तक सब ऑर्डिनेन्स और वे क़ानून जिनके अनुसार लोग बिना किसी कार्यवाही के जेल में बन्द कर दिए जा सकते हैं; किसी प्रकार की सन्धि-योजना पर विचार नहीं किया जा सकता।"

'प्रधान मन्त्री का 'स्वराज्य' बंगाल को अस्वीकार है'

हिंसात्मक और अहिंसात्मक राजनैतिक क़ैदी छोड़े जायँ,

श्री० सुभाषचन्द्र बोस की गर्जना

श्री० सुभाष बोस ने एक सप्ताह की सज़ा के बाद जेल से छूट कर प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड की घोषणा के विषय में अपनी सम्मति निम्न प्रकार दी है :—

"प्रधान मन्त्री ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जो घोषणा की है, वह ऐसी नहीं है कि भारतीय उस पर प्रसन्न हो सकें। उनकी इस घोषणा में सच्ची स्वाधीनता देने की झलक नहीं है। यदि मैं बङ्गाल के भाव को ठीक-ठीक समझता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ऐसी अपर्याप्त और असन्तोषजनक घोषणा बङ्गाल को स्वीकार नहीं हो सकती। और मुझे विश्वास है कि अन्य प्रान्त भी बङ्गाल से सहमत होंगे। मेरा सदा से यह विश्वास रहा है कि पूर्ण स्वाधीनता केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि इङ्गलैण्ड और सारे विश्व की शान्ति के लिए भी अत्यन्त अनिवार्य है। अङ्गरेज़ों को जो अधिकार इङ्गलैण्ड में प्राप्त हैं, वही अधिकार भारतीयों को भारत में प्राप्त हो जाने पर भारत और इङ्गलैण्ड दोस्त हो सकते हैं और हो जायँगे। परन्तु जब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं होती, तब तक संसार के वायुमण्डल पर अशान्ति की घटाएँ मँडराती रहेंगी।

"मैं सम्मानपूर्ण समझौते के विषय में नहीं हूँ, परन्तु समझौते की बातचीत प्रारम्भ होने के पहले यथार्थ में सद्भाव का प्रमाण मिलना चाहिए। सन्धि प्रारम्भ होने साथ ही हिंसात्मक और अहिंसात्मक सभी प्रकार के क़ैदियों की मुक्ति हृदय-परिवर्तन का ख़ासा प्रमाण है। हिंसा की हम चाहे जितनी निन्दा करें, पर इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि जिन लोगों ने दुर्भाग्य से हिंसा के मार्ग का अनुसरण किया है, उन्होंने अपनी बुद्धि में देश-सेवा के विश्वास से ही इसे पकड़ा है। मैं इतना और कह देना चाहता हूँ कि क़ैदियों को छोड़ने के साथ ही देश के कई स्थानों के षड्यन्त्र के मामले भी उठा लिए जाने चाहिए। मुझे एक आशङ्का यह भी है कि कहीं राजनैतिक क़ैदियों

कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर—श्री० सुभाषचन्द्र बोस

की मुक्ति के समय मज़दूर कार्यकर्त्ताओं की उपेक्षा न कर दी जाय। इसलिए मैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अन्य मामलों के साथ मेरठ षड्यन्त्र का मामला भी उठा लिया जाना चाहिए। यदि क़ैदियों की मुक्ति का प्रश्न समुचित रीति से हल न किया गया, तो मुझे सन्धि की सफलता में पूर्ण सन्देह है।

* * *

सुप्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञों के मुक़द्दमे

३—लाला लाजपतराय १९२१–१९२२

जिस प्रकार सन् १९२०-२१ के असहयोग-आन्दोलन के समय से भारत के राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, उसी प्रकार राजनैतिक मुक़द्दमों की कार्यवाही में भी परिवर्तन हो गया है। बाबू विपिनचन्द्र पाल के मुक़द्दमे को छोड़ कर, जिसमें उन्हें सन् १९०७ के वन्देमातरम् केस के सम्बन्ध में गवाही देने से इनकार करने पर छः माह की सादी क़ैद की सज़ा हुई थी, असहयोग आन्दोलन के पहले जितने राजनैतिक मुक़द्दमे हुए हैं, उनमें से प्रायः सभी में अभियुक्तों पर राज-विद्रोह और हिंसा के बड़े-बड़े अभियोग लगाए गए थे, जिनमें अभियुक्तों के प्राण तक जाने का भय था। परन्तु जब से देश के राजनैतिक वायु-मण्डल में अहिंसा का प्रवेश हुआ है, तब से राजनैतिक मुक़द्दमे ने भी अपना रङ्ग बदल दिया है और कुछ को छोड़ कर प्रायः सभी मुक़द्दमों में उन पर कोई न कोई क़ानून भङ्ग करने का अभियोग लगाया गया है। ये मुक़द्दमे इसीलिए और भी अधिक उपयोगी हैं कि उनमें से कई में भारत के प्रसिद्ध देशभक्त नेताओं पर इसी प्रकार के अभियोग लगाए गए हैं और उन्हें सज़ा भी दी गई है। लाला लाजपतराय का मुक़द्दमा इसी श्रेणी का है।

सन् १९२१ की २री दिसम्बर को लाहौर के डिपुटी कमिश्नर मेजर फ़ैरार ने पञ्जाब प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी के पास इस आशय का एक लम्बा पत्र भेजा कि उन्हें एक समाचार से मालूम हुआ है कि उपर्युक्त संस्था की एक सभा अगले दिन होने वाली है, और चूँकि उसके सम्बन्ध में उनके पास कोई नोटिस नहीं पहुँचा, इसलिए ऐसी सार्वजनिक सभा 'राजविद्रोहात्मक सभा एक्ट' के अन्दर आ जाती है। डिपुटी कमिश्नर ने उस पत्र में सेक्रेटरी से सभा का कार्यक्रम और साथ ही यह वचन भी माँगा था कि सभा में कार्यक्रम के अतिरिक्त और किसी विषय पर विचार न किया जायगा। कॉङ्ग्रेस के सेक्रेटरी पण्डित के० सन्तानम् ने उत्तर में लिखा कि उपर्युक्त एक्ट उनकी सभा पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह सभा सार्वजनिक नहीं, वरन् पञ्जाब कॉङ्ग्रेस के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों की है और उन्हें उस सम्बन्ध में व्यक्तिगत नोटिस भेजा गया है। प्रत्युत्तर में डिपुटी कमिश्नर ने फिर लिखा कि मेरी इच्छा न तो सभा पर उपर्युक्त एक्ट लगाने की है और न सभा रोकने की, मैं सिर्फ़ यह वचन चाहता हूँ कि सभा में ऐसी कोई कार्यवाही न हो, जिससे जनता में असन्तोष फैले। पण्डित जी ने फिर उत्तर दिया कि यद्यपि क़ानून के अनुसार डिपुटी कमिश्नर को सभा का कार्यक्रम पूछने का कोई अधिकार नहीं है, परन्तु मुझे कार्यक्रम बतलाने में कोई सङ्कोच नहीं है। उन्होंने लिखा कि सभा में उस नई परिस्थिति पर विचार होगा, जो पञ्जाब के कई ज़िलों में 'विद्रोहात्मक सभा एक्ट' प्रचलित होने से उत्पन्न हो गई है। सभा में क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट' सम्बन्धी विज्ञप्ति पर भी विचार होगा और इन दोनों के सम्बन्ध में पञ्जाब प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी अपना कर्तव्य-पथ भी निर्धारित करेगी।

३री दिसम्बर को २ बजे लाला लाजपतराय के सभापतित्व में सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। सभा में पण्डित सन्तानम्, डॉ० गोपीचन्द और श्री० मलिक लाल ख़ाँ भी उपस्थित थे। मेजर फ़ैरार, पुलिस के डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट और कुछ यूरोपियन कॉन्स्टेबिलों के साथ सभा-स्थल पर गए और उसे सार्वजनिक सभा कह कर ग़ैर-क़ानूनी क़रार दे दिया। साथ ही उन्होंने सदस्यों से भी सभा बरख़ास्त करने के लिए कहा। लाला जी ने सभा के सभापति की हैसियत से, यह कह कर कि सभा सार्वजनिक नहीं है, उनके ऑर्डर का विरोध किया और सभा बरख़ास्त करने से भी साफ़ इनकार कर दिया। इस पर मेजर फ़ैरार ने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को उन्हें गिरफ़्तार करने का ऑर्डर दिया और वे तुरन्त गिरफ़्तार कर लिए गए। अन्य तीन सदस्य भी गिरफ़्तार कर हवालात भेज दिए गए।

७ वीं दिसम्बर को चारों अभियुक्त लाहौर के एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० कैफ़ के सम्मुख पेश किए गए और उनके मुक़द्दमे के लिए १२ तारीख़ निश्चित कर दी गई। १० वीं दिसम्बर को पुलिस ने लाहौर में लाला जी के घर, पञ्जाब प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के दफ़्तर और कई प्रेसों की तलाशियाँ लीं, परन्तु उसे कोई विद्रोहात्मक चीज़ न मिल सकी। मुक़द्दमे की कार्यवाही १२ वीं दिसम्बर को प्रारम्भ हुई। लाला जी और उनके सहयोगियों पर 'विद्रोहात्मक सभा एक्ट' की ६वीं धारा और दण्ड-विधान की १४५वीं धारा का अभियोग लगाया गया था। सब से पहले सरकारी गवाह मेजर फ़ैरार थे। उन्होंने अपनी गवाही में सभा की आयोजना, उसे बरख़ास्त करने से इनकार करने और उनकी गिरफ़्तारी का सब हाल आदि से अन्त तक कह सुनाया। पहली गवाही हो जाने के उपरान्त अदालत ने पहले अभियुक्त लाला जी पर 'विद्रोहात्मक सभा एक्ट' भङ्ग करने के कारण उसकी ६वीं धारा का अभियोग लगाया। लाला जी ने अपने बयानों में कहा कि वे न तो गवर्नमेण्ट की अदालतों को मानते हैं और न उसकी कार्यवाही में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेण्ट के शासन-विधान की पोल खोलना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु अदालत ने उन्हें बीच ही में रोक दिया और विरोध-स्वरूप उन्होंने अपना वक्तव्य बन्द कर दिया। बैठने के पहले सभा के सम्बन्ध में उन्होंने निम्न बातें कहीं—"सभा में मेरे सिवाय किसी ने भाषण नहीं दिया। सभा के सभापति की हैसियत से उसकी सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ।" उन्हीं की नाईं अन्य तीन अभियुक्तों ने भी अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। पहला अभियोग लगा कर मुक़द्दमा उस दिन के लिए स्थगित कर दिया गया और दूसरे अभियोग पर विचार करने के लिए १६ तारीख़ निश्चित कर दी गई।

१६वीं दिसम्बर को मुक़द्दमे की कार्यवाही लाहौर सेण्ट्रल जेल में एक बन्द कमरे में प्रारम्भ हुई। सरकारी वकील, एक अन्य अज्ञात वकील, दो पत्र-प्रतिनिधियों और अभियुक्तों के सिवाय किसी को अन्दर प्रवेश करने की आज्ञा न थी। लाला जी ने इस एकान्त कार्यवाही का घोर विरोध किया। लाहौर पुलिस के सीनियर सुपरिण्टेण्डेण्ट कर्नल ब्रेसन की गवाही हो जाने के उपरान्त एक कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी लाला त्रिलोकचन्द कपूर गवाही के लिए कटघरे में खड़े कर दिए गए और उनसे कुछ प्रश्न किए गए। परन्तु उन्होंने उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के दिल्ली अधिवेशन के सविनय आज्ञा-भङ्ग सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार वे उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकते। इस पर अदालत ने उन्हें अदालत के अपमान का अभियोग लगाने की धमकी दी। परन्तु इस धमकी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उत्तर देने से साफ़ इनकार कर दिया। अदालत ने उन पर अभियोग लगा दिया और ज़मानत पर छोड़ने की आज्ञा निकाली, परन्तु ज़मानत देने से उन्होंने इनकार कर दिया और वे हवालात भेज दिए गए। इसके बाद कुछ अन्य गवाहियों के बाद मामला १९ वीं दिसम्बर के लिए स्थगित कर दिया गया।

इसी बीच में हाईकोर्ट के वकीलों ने एक सभा की जिसमें उन्होंने जेल के अन्दर दरवाज़े बन्द कर कार्यवाही करने का घोर विरोध किया। इसी समय 'हाउस ऑफ़ कॉमन्स' में कर्नल वैजवुड ने यह प्रश्न किया कि लाला लाजपतराय जैसे राजनैतिक क़ैदियों के साथ विशेष व्यवहार किया जाता है या उन्हें जेल में साधारण क़ैदियों की नाईं ही रक्खा जाता है। उत्तर में उस समय के भारत-मन्त्री मि० माण्टेगू ने कहा कि वे भारतीय सरकार से इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और शायद इसी के परिणाम-स्वरूप लाला जी और उनके साथियों के साथ विशेष व्यवहार करने की आज्ञा निकाली गई थी। इस बीच में लाला त्रिलोकचन्द कपूर को अदालत के अपमान के दो अभियोगों में अलग-अलग तीन-तीन माह की क़ैद और तीन सौ रुपए जुर्माने की सज़ा दे दी गई।

लाला जी और उनके साथियों का मुक़द्दमा फिर २२वीं दिसम्बर को स्थगित कर दिया गया, और जब उस दिन मामला प्रारम्भ हुआ तब कुछ शर्तों पर जनता को अदालत में जाने की आज्ञा दे दी गई। ६० आदमी अन्दर गए। आदलत ने लाला जी से कुछ प्रश्न किए, परन्तु उन्होंने उत्तर देने में अपनी असमर्थता प्रकट की। अपनी इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि "इसका अर्थ अदालत का अपमान करना नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ जो भारत भर के असहयोगियों ने किया है। जो वक्तव्य मैं पेश कर रहा हूँ उससे मुक़द्दमे सम्बन्धी सभी बातें स्पष्ट हो जायँगी।" इसके बाद उन्होंने अपना लिखित बयान मैजिस्ट्रेट को दे दिया। अन्य अभियुक्तों ने भी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। अभियोग लगा देने के उपरान्त अदालत ने मि० स्लीम बैरिस्टर को अभियुक्तों की ओर से क़ानूनी बहस के लिए नियुक्त किया, परन्तु अभियुक्तों ने इसका विरोध किया। कार्यवाही समाप्त कर फ़ैसले के लिए सन् १९१२ के जनवरी मास की ७वीं तारीख़ निश्चित कर दी गई।

लाला लाजपतराय और पण्डित के० सन्तानम् को पहिले अभियोग में छै-छै माह की सादी क़ैद और पाँच-पाँच सौ रुपए जुर्माने की सज़ा और दूसरे अभियोग में एक-एक साल की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई। फ़ैसले के अनुसार दूसरे अभियोग की सज़ा अभियुक्तों को पहले भोगनी थी। डॉक्टर गोपीचन्द और मि० मलिक लाल ख़ाँ को पहले अभियोग में चार-चार माह की सादी क़ैद और तीन-तीन सौ रुपए जुर्माने की सज़ा, और दूसरे अभियोग में एक साल की सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई। इन्हें भी दूसरे अभियोग की सज़ा पहले काटने की आज्ञा निकाली गई थी।

* * *

ज़मानत लौटाओ या केस चलाओ

यू० पी० गवर्नमेण्ट के चीफ़ सेक्रेटरी (चौबे जी) को सहगल जी की चुनौती

"सरकारी-रिपोर्टर ने लेखों को यहाँ-वहाँ शरारतन तोड़-मरोड़ डाला है"

'भविष्य' का कोई प्रकाशन किसी भी क़ानून के शिकञ्जे में नहीं आता

पाठकों को स्मरण होगा, हाल ही में 'भविष्य' से—बिना किसी अपराध के—१,०००) रु० की ज़मानत माँगी गई थी, जो केवल 'भविष्य' द्वारा होने वाली थोड़ी-बहुत सेवाओं को दृष्टि में रख कर जमा कर दी गई थी, जिसकी चर्चा 'भविष्य' के गताङ्क में की जा चुकी है। यू० पी० गवर्नमेण्ट के चीफ़ सेक्रेटरी की इस अवाञ्छनीय आज्ञा से विक्षिप्त होकर सहगल जी ने १ली फ़रवरी को जो पत्र चीफ़ सेक्रेटरी के नाम भेजा है, उसका अनुवाद 'भविष्य'-परिवार की जानकारी के लिए नीचे दिया जाता है। इस पत्र की नक़ल यू० पी० के (सपरिषद) गवर्नर तथा (सपरिषद) वायसराय को भी सूचनार्थ भेजी गई है। सहगल जी का पत्र इस प्रकार है :—

महोदय,

मुझे 'फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज' के 'कीपर' की हैसियत से, जहाँ से 'भविष्य' प्रकाशित होता है, सन् १९३० के 'भारतीय प्रेस और अनधिकृत इश्तहार तथा समाचार-पत्र ऑर्डिनेन्स' के अनुसार एक नोटिस आपकी ओर से दिया गया है। इस नोटिस के साथ मुझे २½ पृष्ठों का एक ख़रीता भी प्राप्त हुआ है, जिसमें वे अंश उद्धृत किए गए हैं, जिनके आधार पर, मेरे ख़्याल से, ज़मानत माँगी गई है।

मेरा ख़्याल है कि ऑर्डर पास करने के पहले, न तो उन अंशों के सम्बन्ध में 'लीगल रिमेम्बरेन्सर' ही की सम्मति ली गई है और न आपने ही उनकी अच्छी तरह जाँच की है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, कि गवर्नमेण्ट रिपोर्टर ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है और कहीं-कहीं तो उन अंशों को शरारतन तोड़-मरोड़ भी डाला गया है—जैसा कि निम्न-लिखित पंक्तियों से आपको स्पष्ट-रूप से मालूम हो जायगा। मुझे आशा है उन पर समुचित विचार किया जायगा।

(१) यह कहा गया है, कि जो कविता उन पाँच महिलाओं के सम्बन्ध में लिखी गई है, जिन्हें हाल ही में कारावास का दण्ड दिया गया है, वह आपत्तिजनक है। यद्यपि मैं रिपोर्टर के अङ्गरेज़ी अनुवाद से सहमत हूँ, परन्तु मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि यदि आप उसका विचारपूर्वक मनन करेंगे तो आप उसे उन्हीं कविताओं की नाईं दोष-रहित पाएँगे, जैसी नौ ऑर्डिनेन्सों के शासन-काल में भी भारतीय पत्रों में निर्विघ्न प्रकाशित होती रही हैं। मैं आपको अदालत में उन्हें दोषपूर्ण प्रमाणित करने का चैलेञ्ज देता हूँ।

(२) दूसरा विरोध उन आहत व्यक्तियों के चित्रों के प्रकाशन पर किया गया है, जो बम्बई में लाठी-प्रहार से घायल हुए हैं और व्रणपूर्ण अङ्गों में पट्टियाँ बाँधे हुए हैं। इनमें से भी सब से अधिक विरोध एक चौदह वर्ष के आहत बालक के चित्र के प्रकाशित होने पर किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कि चित्रों के प्रकाशन पर, वे चाहे जैसे सनसनीपूर्ण हों, उस समय तक आपत्ति नहीं की जा सकती, जब तक उनकी प्रवृत्ति हिंसात्मक न हो। मैं इस सिलसिले में अपने 'भारत में अङ्गरेज़ी राज्य' पुस्तक के मुक़द्दमे के निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूँ। गवर्नमेण्ट एडवोकेट ने अपने वक्तव्य में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया था, कि ज़ब्त पुस्तक के कुछ चित्र बहुत सनसनी फैलाने वाले थे। उदाहरणार्थ वह चित्र, जिसमें ब्रिटिश सिपाही कानपुर के आसपास के गाँवों में आग लगाते और उनके निर्दोष निवासियों पर अत्याचार करते हुए चित्रित किए गए हैं, बहुत आपत्तिजनक थे; परन्तु बेञ्च के तीनों जजों की सम्मति के अनुसार उस पुस्तक का कोई चित्र धारा १२४-अ के अन्दर न आता था; और तत्सम्बन्धी विरोध बिलकुल निराधार सिद्ध कर दिया गया था। इसलिए यह मेरी समझ में नहीं आता, कि उन अभागे व्यक्तियों के—चाहे वे बूढ़े हों या बच्चे हों—चित्रों के प्रकाशन में, जो लाठियों के निर्मम आघात से आहत हुए हैं और जिनकी सत्यता के प्रमाण-स्वरूप बम्बई गवर्नमेण्ट के वक्तव्य गवर्नमेण्ट गज़ट में समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं, क्या विरोध हो सकता है? जब तक लाठी-प्रहार का होना असत्य या चित्र झूठा प्रमाणित न कर दिया जाय, तब तक क़ानून की दृष्टि से कोई मेरा बाल भी बाँका नहीं कर सकता।

(३) तीसरे, मैं सरकारी रिपोर्टर के उस वक्तव्य का, जिसमें उसने कहा है, कि पत्र ने 'सदा की भाँति' बहुत से सनसनीपूर्ण और आपत्तिजनक शीर्षक दिए हैं, घोर विरोध करता हूँ। उदाहरणार्थ उसने कहा है कि रावलपिण्डी जेल में मुक़द्दमे के सिलसिले में गवाहों ने जो वक्तव्य दिया है, उनके शीर्षक पत्र में निम्न-प्रकार दिए गए हैं :—

"यह जेल पृथ्वी पर नर्क के समान है" (आपकी जानकारी के लिए मैं यह कह देना चाहता हूँ, कि वह मेरा रचा हुआ शीर्षक नहीं है, बल्कि गवर्नमेण्ट-डॉक्टर का वक्तव्य था, जो उसने खुली अदालत में अपनी गवाही के सिलसिले में दिया था।) "राजनैतिक क़ैदियों के लिए पशुओं का सा भोजन" और "डॉक्टर किचलू के लिए पाख़ाना रसोईघर बनाया गया"। ये मेरे रचे हुए शीर्षक नहीं हैं, वरन् क़ैदियों के खुली अदालत के बयान हैं। परन्तु उनसे उस गवर्नमेण्ट का सम्मान नहीं बढ़ सकता, जिसके आप प्रतिनिधि हैं। मेरे सम्पादकीय अधिकारों पर इस प्रकार आक्षेप करना निरी मूर्खता है। यदि सच कहा जाय, तो मैंने शीर्षकों में उन वक्तव्यों का उल्लेख करने के सिवाय, जो मुक़द्दमे के समय खुली अदालत में दिए गए हैं, और कुछ नहीं किया है।

इस सम्बन्ध में मेरा प्रमाण यह है कि (इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी) हाल की नज़ीरों के अनुसार खुली अदालत का वक्तव्य 'सार्वजनिक वक्तव्य' मान लिया गया है। यदि दुर्भाग्यवश आप इन नज़ीरों से अनभिज्ञ हैं, तो आपके लिए मैं उनको खोज सकता हूँ। अस्तु, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन शीर्षकों में मेरा एक अक्षर भी नहीं है और यदि आप ध्यानपूर्वक सम्पूर्ण लेख का मनन करेंगे, तो आपको इसका शीघ्र ही पता लग जायगा, कि वे खुली अदालत में दिए गए वक्तव्यों की पुनरावृत्ति मात्र हैं।

(४) चौथा और बहुत ही लज्जाजनक विरोध उन शीर्षकों पर किया गया है, जो लन्दन के 'डेलीमेल' में प्रकाशित लॉर्ड रॉथरमियर के लेख में दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में भी मैं आपको यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि उनमें लॉर्ड रॉथरमियर के वक्तव्य के सिवा कुछ नहीं है। इसके विपरीत इस लेख के पहले शीर्षक में, जो हिन्दी में प्राप्य सब से बड़े टाइप में दिया गया है, मैंने लिखा है, "भारत के 'सब से बड़े मित्र' का प्रलाप" और आपका रिपोर्टर भी इसे स्वीकार करता है। उस शीर्षक में मैंने अन्य शीर्षकों पर आक्षेप करने का प्रयत्न किया है और उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 'लॉर्ड रॉथरमियर मूर्खता से भरी बातें कह रहा है। और उसकी वे मूर्खतापूर्ण बातें निम्न-प्रकार हैं :—

"पेशावर का विशाल क़िला कई दिनों तक विद्रोहियों के क़ब्ज़े में रह चुका है!" "अङ्गरेज़ी झण्डा लातों से कुचला जा रहा है।" परन्तु आपका रिपोर्टर किसी बुरे अभिप्राय से 'कोट करना' भूल गया है। और उससे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि वह शीर्षक सम्पादक की निज की रचना है।

"यदि भारत हमारे क़ब्ज़े से निकल गया, तो हमारा सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल जायगा" शीर्षक भी उन्हीं लॉर्ड रॉथरमियर का ही वक्तव्य है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रीढ़ की हड्डी हैं। इस वक्तव्य के स्पष्टीकरण के लिए मैं आपसे सम्पूर्ण लेख का मनन करने की प्रार्थना करता हूँ। यदि आप उस लेख को अङ्गरेज़ी में पढ़ना चाहते हैं और यदि आपके पुस्तकालय में वह पत्र न पहुँचता हो, तो मैं प्रसन्नतापूर्वक पत्र का वह अङ्क, जिसमें वह लेख प्रकाशित हुआ था, आपकी सेवा में भेज दूँगा।

(५) पाँचवाँ विरोध डॉक्टर धनीराम (लन्दन) की उस कहानी पर किया गया है, जिसका प्लॉट रूसी राज्यक्रान्ति से सम्बन्ध रखता है और जिसका न तो भारत की कार्यवाहियों से ही कोई सम्बन्ध है और न तो भारत के प्रचलित क़ानून की किसी धारा के अन्तर्गत ही आती है। यदि वह क़ानून के अन्तर्गत आती है तो क्या

(शेष मैटर बारहवें पृष्ठ के दूसरे और तीसरे कॉलम में देखिए)

भविष्य की नियमावली

१—'भविष्य' प्रत्येक वृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रकाशित हो जाता है।

२—किसी ख़ास अङ्क में छपने वाले लेख, कविताएँ अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए। बुधवार की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार आगामी अङ्क में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं।

३—लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा।

४—हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, अन्यथा नहीं।

५—कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 'भविष्य' में कदापि न छप सकेंगे। सम्वाददाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ अवश्य रहना चाहिए। गुमनाम पत्रों पर ध्यान नहीं दिया जायगा।

६—लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिख कर भेजना चाहिए।

७—समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आनी चाहिएँ।

८—परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें आदि सम्पादक "भविष्य" (किसी व्यक्ति-विशेष के नाम से नहीं) और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र तथा चन्दा वग़ैरह मैनेजर "भविष्य" चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से भेजने में उनका आदेश पालन करने में असाधारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !!

९—सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए। यदि एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे पते का कवर भिन्न होना चाहिए।

१०-किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर नाम के अतिरिक्त "Personal" शब्द का होना परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है और पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है।

—मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर

५ फ़रवरी, सन् १९३१

काले क़ानून के कारण—

क्या कीजिएगा हाले-दिले-
ज़ार देख कर !
मतलब निकाल लीजिए
अख़बार देख कर !!

(११वें पृष्ठ का शेषांश)

आप उसकी वह धारा मुझे बतलाने की कृपा करेंगे, जिससे मैं अपनी भूल सुधार लूँ ?

(६) छठवाँ और अन्तिम विरोध मेरे 'इतिहास के कुछ पृष्ठ' शीर्षक लेख के प्रकाशन पर उठाया गया है, जिसमें 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' के शासन-काल के उन षड्यन्त्रों का उल्लेख किया गया है, जो ब्रिटिश लोगों ने मरहठा चीफ़ों के विरुद्ध रचे थे। आपके रिपोर्टर ने यह मान लिया है कि "लेख की भाषा और रचना में कुछ उलट-फेर कर दिए गए हैं", परन्तु उसकी सम्मति से 'उसकी सामग्री में कोई भिन्नता नहीं है।"

सब से पहले, आपके मारफ़त, मैं आपके रिपोर्टर को यह सूचित कर देना चाहता हूँ कि इस अध्याय का उस अभागी पुस्तक 'भारत में अङ्गरेज़ी राज्य' के अध्याय से कोई सम्बन्ध नहीं है, और वह बिलकुल स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित किया गया है। दूसरे मैं यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि यह लेख 'भविष्य' में पहले ही प्रकाशित नहीं हुआ है, बल्कि वह 'चाँद' से उद्धृत मात्र किया गया है। यदि आप इस लेख को ढूँढ़ने का कष्ट उठावेंगे तो आप उसे धारावाही रूप में 'चाँद' के दिसम्बर सन् १९२९ के (पृष्ठ ४५० से ५५९ तक), जनवरी सन् १९३० के (पृष्ठ ५७२ से ५७६ तक) और फ़रवरी सन् १९३० के (पृष्ठ ६९६ से ७०३ तक) अङ्कों में पाएँगे और मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके प्रकाशन में आपने या आपकी गवर्नमेण्ट ने कभी आपत्ति नहीं की। और यदि यह मान भी लिया जाय, कि वह लेख किसी ज़ब्त पुस्तक में से प्रकाशित किया गया है, तो भी उसके प्रकाशन पर उस समय तक कोई आपत्ति नहीं की जा सकती जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि उसकी प्रवृत्ति ब्रिटिश भारत की क़ानून से स्थापित गवर्नमेण्ट के विरुद्ध असन्तोष फैलाने की थी। 'भारत में अङ्ग्रेज़ी राज्य' में सैकड़ों उद्धरण उद्धृत किए गए हैं; बहुत सी कहानियों, नाटकों आदि और साधु-सन्यासियों का उल्लेख किया गया है, परन्तु उसका यह अर्थ कदापि नहीं है, कि उस पुस्तक में प्रकाशित सभी बातें ऐसी आपत्तिजनक हैं कि वे पुनः प्रकाशित ही नहीं की जा सकतीं।

यदि आपको केस की कार्यवाही याद हो और यदि आप हाईकोर्ट की स्पेशल बेञ्च के निर्णय का अध्ययन करने का कष्ट उठावें तो आपको शीघ्र ही इस बात का पता लग जायगा कि इस मुक़द्दमे में (जो इस सम्बन्ध में भारत का सब से ताज़ा मुक़द्दमा है) पुस्तक के विशेष अंशों पर एकाएक आक्षेप करना जजों के लिए भी मुश्किल हो गया था और अन्त में कई दिनों की बहस के बाद विद्वान जज इस निर्णय पर पहुँचे थे, कि किसी ऑफ़िसर के अत्याचारों का निदर्शन—चाहे वह व्यक्तिगत हैसियत से हो या 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की ओर से—धारा १२४-अ के अन्तर्गत नहीं आता, (यह भी सिद्ध किया गया था, कि उन दिनों वर्तमान गवर्नमेण्ट क़ानून द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित ही नहीं हुई थी) परन्तु उन जजों ने पुस्तक के 'निचोड़' को आपत्तिजनक बतलाया था। बहस में यह भी कहा गया था कि पुस्तक में विषय की एकाङ्गी विवेचना की गई थी और दूसरी ओर की जान-बूझ कर उपेक्षा कर दी गई थी। विद्वान जजों ने पुस्तक के अन्त के उन चार-पाँच पृष्ठों को आपत्तिजनक बतलाया था जिनमें पुस्तक के विद्वान रचयिता ने पाठकों से वर्तमान गवर्नमेण्ट से पूर्ण असहयोग करने की प्रार्थना की थी। जजों ने समय-समय पर यह भी कहा था कि 'डङ्क पूँछ में था।'

ऐसी परिस्थिति में मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आप एक बार हृदय पर हाथ रख उपर्युक्त विवेचना के मनन करने का कष्ट उठावेंगे और अपने निर्णय पर फिर से विचार करेंगे। परन्तु यदि आप मेरे प्रमाणों से सन्तुष्ट न हों तो मैं सादर परन्तु दृढ़तापूर्वक अधिकारियों को खुली अदालत में अपने विरुद्ध मुक़द्दमा चलाने का चैलेञ्ज देता हूँ। जिससे मुझे यह प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त हो कि इस प्रान्त में प्रेस-ऑर्डिनेन्स की धाराओं का, जिनका मैं सदैव शिकार रहा हूँ, कितनी असावधानी से सञ्चालन किया जाता है।

मैं उत्सुकतापूर्वक इस बात की बाट जोहूँगा कि या तो मेरी ज़मानत वापस कर दी जाय या मुझ पर मुक़द्दमा चलाया जाय।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) आर० सहगल

कीपर

फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज

* * *

वह दिन

[श्रीयुत त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए०]

आधी रात का समय था। पूर्णचन्द्र अपनी सुधा-रश्मियों से वसुन्धरा के वक्षस्थल को सींच रहे थे। वासन्ती वायु रह-रह कर कुसुम-कलिकाओं की सुन्दर सुवास चुरा लाती, और निशापति के सामने बिखेर देती थी। चारों ओर नीरवता का साम्राज्य था। हाँ, जब चकवी चन्द्रमा की ओर देख कर, फिर नीचे बिखरी हुई अनन्त शोभा-राशि को देख, विरह-वेदना से विकल होकर, अपने प्रियतम को याद करती, उस समय, सन्त हृदय की एक करुण आह सुनाई पड़ती थी। जब मलय-वायु के कोमल स्पर्श से पीड़ित होकर, दिव्य ज्ञान के समागम से भ्रष्ट पाप-वासना की तरह, वृक्षों की सूखी पत्तियाँ नीचे गिर पड़तीं, उस समय उनके कराहने का शब्द चारों दिशाओं में गूँज उठता था। और कभी-कभी वन्य-पशुओं का भयङ्कर नाद, विरक्त हृदय में काम की तरह, सुप्त संसार की शान्ति को भङ्ग कर देता था। पर भयङ्कर कोलाहल के बाद जो शान्ति छा जाती है, वह पूर्वापेक्षा अधिक गम्भीर प्रतीत होती है। इस समय वसुन्धरा की गोद में, शान्ति इसी प्रकार उसासें लेती हुई निशानाथ की ओर निहार रही थी।

वृक्षों के एक सघन कुञ्ज में, उपगुप्त की पर्णकुटी, उस निर्जन स्थान में सजीवता का सञ्चार कर रही थी। उपगुप्त इस समय सो रहे थे। राजर्षियों के समान तेजस्वी भिक्षु उपगुप्त कुश की चटाई पर निद्रामग्न थे। पास ही एक काठ का कमण्डलु रक्खा हुआ था। सिरहाने की ओर कुछ हस्त-लिखित पुरानी पुस्तकें पड़ी हुई थीं। बस, यही भिक्षु की ऐहिक सम्पत्ति थी।

सहसा प्रशान्त वायु-मण्डल को चीर कर एक मधुर कण्ठ-ध्वनि प्रसारित हो उठी। चन्द्र-किरणों की धवल चादर से परिवेष्ठित निशादेवी के हृदय को चलायमान करने वाली, वह विहाग की तान, भिक्षु की पर्णकुटी की मलय-वायु को प्रकम्पित करने लगी। नैश-शान्ति के गम्भीर हृदय में एक बार ही करुणा और उत्सुकता का सञ्चार हो आया।

उपगुप्त उठ बैठे। इतनी रात गए यह कौन गा रहा है? किसी पुरुष का कण्ठ-स्वर तो इतना मधुर नहीं हो सकता! तब क्या कोई स्त्री गा रही है? इस जन-शून्य स्थान में स्त्री!! ज़रा देखना तो चाहिए क्या बात है।

उपगुप्त कुटी के बाहर आए। चन्द्रमा के आलोक में उनका दिव्य शरीर उद्भासित हो उठा। साथ ही सङ्गीत-ध्वनि भी बन्द हो गई। उनके विस्मय का ठिकाना न रहा। नाना प्रकार के तर्क-वितर्क उनके मन में उठने लगे। वे कुटी में लौट आए। किन्तु फिर लौटे। सोचा, ज़रा आगे बढ़ कर देखूँ तो कौन है? ओह! वही मधुर झङ्कार, वही सुरीली तान फिर सुनाई पड़ रही है! ओह! कितना करुण है! हृदय का एक-एक कोना द्रवीभूत हो उठता है! परन्तु मेरे बाहर आते ही वह करुण-ध्वनि बन्द क्यों हो गई? बड़े आश्चर्य की बात है! सङ्गीत-ध्वनि इसी दिशा से तो आ रही थी? ज़रा इस ओर चल कर देखूँ तो क्या माजरा है?

जिस दिशा से सङ्गीत-ध्वनि आ रही थी, उपगुप्त उसी ओर चले। कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा एक चम्पक-वृक्ष के नीचे ठिठक गए। चाँदनी की शुभ्र ज्योति से ओत-प्रोत चम्पक-कलियों को मन्द-मन्द वासन्ती वायु के साथ क्रीड़ा करते देख, उन्हें उतना आश्चर्य नहीं हुआ, जितना कि उन्हीं कलियों के समान एक नव-यौवना रमणी को, विरह-विधुरा चक्रवाकी की तरह, वहाँ अकेली खड़ी देख कर हुआ।

उपगुप्त को देख कर भी वह रमणी निश्चल बनी रही। उन्होंने पूछा—भद्रे! तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? इतनी रात गए यहाँ क्या करती हो?

वह कुछ न बोली। हरिणी की आँखों के समान उसकी बड़ी-बड़ी आँखों से आँसुओं की धारा भूमि को भिगोने लगी। कभी वह अपने हाथ में पड़ी चम्पक-कली की ओर देखती और कभी भूमि की ओर। पैर के अँगूठे से मिट्टी खुरचने से, नूपुरों से मन्द किन्तु मनोहर ध्वनि निकल रही थी।

उपगुप्त ज़रा और समीप चले गए। रमणी की निद्रा मानो भङ्ग हो गई। उसने अपना मुख उठा कर उनकी ओर देखा। ओह! उसमें कितनी मादकता थी! कितना सौन्दर्य था! मानो विलासिता और कमनीयता के सुन्दर सम्मिश्रण से विधाता ने इसका निर्माण किया था!

बम्बई के सुप्रसिद्ध चित्रकार—श्री० डी० के० म्हात्रे
जिनका स्वर्गवास विगत २२ वीं दिसम्बर को हो गया!

उपगुप्त विस्मयातिरेक से दो-तीन पग पीछे हट गए। फिर बोल उठे—कौन, वासवदत्ता?

रमणी ने नीचे की ओर देख कर कहा—हाँ, महाराज!

"इतनी रात गए, यहाँ, इस एकान्त स्थान में क्या करने आई हो?"

"आप ही के दर्शनों के लिए तो......।"

"क्यों, मुझसे क्या काम है?"

रमणी ने मस्तक ऊपर उठा कर एक तीव्र दृष्टि से भिक्षु की ओर देखा। जान पड़ता था, मानो वह अधीर हो उठी हो। फिर ज़रा उत्तेजित स्वर से कहने लगी—महाराज, उस दिन की प्रतीक्षा में मैंने एक-एक कर न जाने कितने दिन बिता दिए। जिस दिन से मैंने इस देवोपम पुरुष-श्रेष्ठ को देखा है, उसकी मूर्त्ति ने मेरे हृदय में घर कर लिया है। यह बात आप से छिपी नहीं है। फिर आप ऐसे प्रश्न क्यों करते हैं? मैं अपनी अतुल धन-सम्पत्ति, यह अनुपम रूप-यौवन, आपके चरणों पर निछावर करने के लिए ही आई हूँ। भगवन! क्या आज्ञा होती है?

उपगुप्त ने गम्भीरतापूर्वक कहा—भद्रे! अभी वह समय नहीं आया है।

रमणी का रहा-सहा धीरज भी छूट गया। वह कम्पित स्वर से बोली—यह उत्तर तो मैं न जाने कितनी बार सुन चुकी हूँ! वह समय कब आवेगा?

"अब आना ही चाहता है।"

"सच?"

"उपगुप्त कभी झूठ नहीं बोलता।"

सुन्दरी ने हर्ष के मारे अपनी आँखें मूँद लीं। परन्तु थोड़ी देर के बाद आँखें खोलने पर देखा तो उपगुप्त वहाँ पर नहीं थे।

२

वासवदत्ता नगर की एक धनी वेश्या है। केवल धन ही नहीं, रूप और यौवन में भी वह अद्वितीया है। उसकी ख्याति सुन कर दूर-दूर से, राजे-महाराजे, सेठ-साहूकार उसके दर्शनों के लिए आते हैं। जिसके साथ वह बातें कर लेती है, जिसकी ओर ज़रा बाँकी चितवन से निहार लेती है, वह अपने को धन्य समझता है। उसकी एक बार की मुस्कराहट पर, बड़े-बड़े राजे-महाराजे, तन, मन और धन निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन्य है, सौन्दर्य तेरी महिमा!

रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। किन्तु वासवदत्ता की आँखों में नींद का नाम नहीं! वह पलँग पर एक तकिए के सहारे बैठी हुई थी। मुख-मण्डल गम्भीर मुद्रा धारण किए था। टेढ़ी भौंहें चिन्ता की सूचना दे रही थीं।

इसी समय दासी ने आकर सूचना दी—"वैशाली के दुर्गाध्यक्ष आना चाहते हैं।" वासवदत्ता की ध्यान-मुद्रा भङ्ग न हुई। दासी ने फिर उसी बात को दुहराया। वासवदत्ता चौंक कर बोली—"वैशाली के अध्यक्ष?"

"हाँ, श्रीमती जी!"

"जा बुला ला।"

कुछ ही क्षणों के बाद, एक गौरवर्ण, दृढ़काय मनुष्य ने कमरे में प्रवेश किया। वासवदत्ता आगे बढ़ कर, एक मन्द मुस्कान के साथ बोली—वैशाली के अध्यक्ष का अभिवादन करती हूँ।

अध्यक्ष—कहो, अच्छी तो हो?

वासवदत्ता, ज़रा चितवन टेढ़ी कर, लज्जा का नाट्य करती हुई बोली—"श्रीमान के वियोग में भला मैं अच्छी कैसे रह सकती हूँ? आज बहुत दिनों के बाद श्रीमान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह क्या बात है? ठीक है, अन्तःपुर की रूपसियों के सामने, श्रीमान मुझे क्यों पूछने लगे!" अन्तिम वाक्य वासवदत्ता ने एक दीर्घ निश्वास लेकर कहा।

अध्यक्ष ने रमणी के कोमल कर-पल्लवों को अपने हाथों में लेकर कहा—नहीं प्रिये, ऐसा मत कहो। अन्तःपुर की एक क्या, सौ रानियाँ भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकतीं। मेरा तन, मन और धन सभी तुम पर निछावर है। वासवदत्ते! जानती हो, तुम्हारे विरह में संसार मुझे सूना दीखता है। प्रिये, मेरा ऐश्वर्य, मेरी प्रभुता और मेरा जीवन, सभी तुम्हारा है। प्रिये, तुम्हारे एक सङ्केत से ही......।

इसी समय किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। वासवदत्ता ने चौंक कर देखा, तो एक सुन्दर युवा उसकी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ खड़ा था। वासवदत्ता अध्यक्ष के हाथों से अपना हाथ छुड़ा कर कुछ पीछे हट गई। अध्यक्ष के आने से पहले चिन्ता की जो छाया उसके मुख-मण्डल को मलिन किए थी, वह सहसा एक बार फिर दौड़ गई। उसकी प्रफुल्लता क्षण भर में विलीन हो गई। चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह गर्ज कर बोली—तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा, मूर्ख?

वह पुरुष, जो अभी तक मानो क्रोध-मिश्रित विस्मय की निद्रा में सो रहा था, रमणी का उत्तेजित स्वर सुन कर चौंक उठा। उसे सहसा सूझ नहीं पड़ा कि क्या जवाब दूँ। वासवदत्ता फिर पूर्ववत् गर्ज कर बोली—यदि भला चाहता है तो अभी यहाँ से निकल जा।

आगन्तुक से अब और सहन नहीं हो सका। क्रोध से उसकी भौंहें टेढ़ी हो गईं। चेहरा तमतमा उठा। वह बोला—दुष्टे! आज मैं तुझे पहचान गया। मैं नहीं जानता था कि फूलों की ढेर के नीचे भयङ्कर विषधर छिपा हुआ है। तुझे याद नहीं, कि तूने उस दिन मेरे साथ क्या प्रतिज्ञा की थी? और आज तेरा यह आचरण!! धिक्कार है तेरे प्रेम को! पापिष्टे! दुष्टे! यदि तुझे यही करना था, तो मुझे लोभ देकर नरक के द्वार तक क्यों घसीट लाई?

वासवदत्ता लड़खड़ाती ज़बान से बोली—झूठ! सब झूठ!! नरक के कुत्ते! बस, अभी यहाँ से चला जा!!

"अच्छा जाता हूँ, किन्तु इसका फल तुझे शीघ्र भोगना पड़ेगा।"—यह कह कर वह युवक तेज़ी से बाहर चला गया।

बम्बई इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट के नए चेयरमैन—श्री० जाफ़र भाई ए० लाल जी

वासवदत्ता अपनी घबराहट छिपाती हुई अध्यक्ष से बोली—"श्रीमन्, रात अधिक हो गई है। मेरी तबियत भी आज कुछ ठीक नहीं है। यदि आज्ञा हो तो मैं विश्राम करने जाऊँ।" इतना कह, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, अभिवादन कर वह चली गई। अध्यक्ष अवाक् थे।

वासवदत्ता सीधे एक कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने उत्तेजित कण्ठ से पुकारा—"रेवती!!" कुछ ही क्षणों के बाद एक दासी आ पहुँची। वासवदत्ता ने उसे समीप खींच कर उसके कानों में कुछ कहा। दासी तुरत चली गई और थोड़ी देर बाद फिर लौट कर बोली—"वह आया है, बुला लाऊँ?" वासवदत्ता ने केवल सिर हिला दिया।

एक भयानक डील-डौल वाला मनुष्य तुरत आ पहुँचा। वासवदत्ता कुछ देर तक उससे धीमे स्वर में बातें करती रही। फिर कुछ मुहरें उसके सामने निकाल कर उसने रख दिया। वह मनुष्य मुहरें लेकर, हँसता हुआ चला गया। वासवदत्ता ने एक दीर्घ-निश्वास छोड़ कर कहा—वीरभद्र, कल का संसार तुम्हारे लिए सूना है।

३

वासवदत्ता विचारपति के सामने खड़ी है। जो सुन्दरी कभी राजे-महाराजों को उँगलियों पर नचाया करती थी, आज एक सामान्य मनुष्य के आगे भी काँप रही है! उसका वह अतुल रूप-यौवन, वह भ्रू-सञ्चालन, वह हाव-भाव, और उसकी वह कमनीयता, जो कभी एक सम्राट को भी सिंहासन से खींच कर, माया-विवश मानव की तरह नाच नचा सकती थी, आज व्यर्थ है!

विचारपति ने कहा—वासवदत्ते, तुम्हारे ऊपर हत्या का अभियोग लगाया गया है।

वासवदत्ता ने, मानो कुछ चकित होकर कहा—हत्या? कैसी हत्या? किसकी हत्या? किसने अभियोग लगाया है धर्मावतार?

विचारपति—वीरभद्र की हत्या तुमने की है?

वासवदत्ता काँप उठी। अपने को सँभाल कर बोली—नहीं तो।

विचारपति—किसी के द्वारा उसकी हत्या कराई है?

वासवदत्ता के कम्पित कण्ठ से निकल पड़ा—हाँ... उहूँ.....नहीं, नहीं मैं तो......!

विचारपति ने कहा—बस अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

४

आधी रात का समय है। पूर्णिमा की चाँदनी छिटकी हुई है। वसन्त का सौरभ चारों ओर छा रहा है। और वासवदत्ता—हाँ वासवदत्ता!!—श्मशान में बालू पर पड़ी तड़प रही है।

जिन कोमल हाथों से न जाने उसने कितनी बार विलास-क्रीड़ाएँ की होंगी, न जाने कितनों का घर नाश किया होगा, वे जल्लाद के भयङ्कर कुल्हाड़े का शिकार बन चुके हैं। जिन पैरों पर कभी राजे-महाराजों का मस्तक नत होता था, धन-कुबेर जिनकी सेवा किया करते थे, वे निर्दयतापूर्वक काट डाले गए हैं। जो वासवदत्ता कभी संसार के लिए एक अनुपम वस्तु थी, वह आज श्मशान में इस प्रकार विकृतावस्था में, मृत्यु की घड़ियाँ गिन रही है!! इस निर्जन स्थान में कोई उसका साथी नहीं, कोई उससे सहानुभूति दिखाने वाला नहीं! अपने पापों का फल उसे इस तरह भोगना पड़ा!!

पीड़ा के कारण वह अर्द्ध-मूर्च्छितावस्था में पड़ी हुई है। कोई पानी देने वाला तक नहीं है। सामने गङ्गा बह रही है। पतित-पावनी गङ्गा के किनारे न जाने कितनों को शान्ति मिल चुकी है, किन्तु वासवदत्ता—"प्यास-प्यास—पानी-पानी!!!" चिल्ला रही है, परन्तु कोई सुनने वाला नहीं।

प्यास से व्याकुल अभागिनी, गङ्गा की धारा की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने लगी। किन्तु कुछ ही दूर तक लुढ़कने के बाद वह बेहोश हो गई। हा दैव! जिसे कभी दास-दासियाँ, नहीं-नहीं, बड़े-बड़े देश-शासक अपने हाथों से, सुवासित मदिरा की घूँट पिलाया करते थे, उसे आज एक चुल्लू पानी भी नसीब नहीं हो रहा है!

वासवदत्ता को मूर्च्छितावस्था में ऐसा जान पड़ा, मानो कोई महात्मा उसके मुख में अपने कमण्डलु से गङ्गा-जल डाल रहे हैं। उसे ऐसा मालूम पड़ा, मानो किसी महापुरुष के कर-स्पर्श से उसकी सारी व्यथा दूर हो गई हो। उसने आँखें खोलीं, देखा कि एक दिव्य कान्ति महात्मा सामने खड़े हैं। उस निर्मल चाँदनी में उन्हें देख कर वासवदत्ता को एक साल पहले की बात याद हो आई। उसे वह रात्रि याद हो आई, जब उसने ऐसी ही निर्मल चाँदनी में, चम्पक वृक्ष के नीचे उपगुप्त से बातें की थीं। फिर अपने पश्चात जीवन की एक-एक बात चित्र के समान उसकी नज़रों के सामने दौड़ गई। वह चौंक कर बोल उठी—"कौन, महाराज उपगुप्त?" महात्मा ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—"हाँ वासवदत्ते, मैं ही हूँ!" वासवदत्ता के आश्चर्य की सीमा न रही। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी व्यथा भूल गई। फिर बोली—"महाराज!" इससे आगे वह कुछ न बोल सकी। लज्जा और ग्लानि, भय और पश्चात्ताप, इस समय शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक ताप उसे पहुँचा रहे थे। उसकी आँखों से आँसुओं की धारा बह चली! फिर, चित्त कुछ शान्त होने पर वह बोली—"महाराज! अब वह दिन......!" बस कुछ अधिक न कह सकी।

उपगुप्त ने मुस्करा कर कहा—बहिन! वह दिन आज आया है। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आया है। बहिन! यही वह समय है, जिसके लिए तू इतनी उत्कण्ठित थी। उस समय तेरे हृदय में वासना थी। तेरा हृदय भीषण श्मशान बना था। उस समय तू दानवी थी। किन्तु आज पश्चात्ताप की अग्नि से तेरा

इलाहाबाद में होने वाली अखिल भारतवर्षीय अछूतोद्धार कॉन्फ्रेन्स की स्वागतकारिणी समिति के प्रधान—श्री० मानकचन्द दास्य

हृदय विशुद्ध हो रहा है। आज तू देवी है। अब मेरी बहिन होने के योग्य है। बहिन, बुद्ध की शरण जा, वह तुझे क्षमा करेंगे।

वासवदत्ता बोली—भगवन्, सचमुच मैं बड़ी पापिनी हूँ। पाप-मार्ग में ही चल कर यहाँ तक पहुँची हूँ। दयामय, मेरा उद्धार कीजिए!

उपगुप्त ने वासवदत्ता के क्षत-शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा—"बहिन, बुद्ध की शरण जाओ, वही तुम्हें शान्ति प्रदान करेंगे। एक बार कह तो दो—'बुद्धं शरणं गच्छामि!'"

वासवदत्ता की आँखों से आँसू की अविरल धारा बह चली। जान पड़ता था, मानो आँसुओं के साथ उसके हृदय की मैल भी बह गई। उसका मुख-मण्डल एक अपूर्व तेज से देदीप्यमान हो उठा। उसका सारा शरीर रोमाञ्चित हो आया। काँपते हुए स्वर में उसके मुख से निकल पड़ा—'बुद्धं......शरणं......गच्छा......मि!

* * *

कनाडा ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के जाल में

[डॉक्टर "पोलखोलानन्द भट्टाचार्या", एम० ए०, पी० एच-डी०]

लगभग तीन वर्ष पहले स्विट्ज़रलैण्ड के स्वतन्त्रता-सङ्घ (Leauge of Independence) ने एक चित्र प्रकाशित किया था। उसके चित्रकार ने उसमें यह दिखलाने का प्रयत्न किया था कि ब्रिटिश साम्राज्य एशिया के निर्बल देशों को किस तरह पराधीनता के बन्धन में जकड़े हुए है। उस चित्र में एशिया का एक नक़शा बना हुआ था, जिसमें भारत में एक सूर्य चमक रहा था और उसकी किरणें समस्त एशिया पर पड़ रही थीं। यह सूर्य भारत में स्थापित किए हुए विशाल तथा बलिष्ठ ब्रिटिश सेना का सूर्य है, जो भारत के पैसे से पल रहा है। यह देदीप्यमान सूर्य अपनी किरणों द्वारा एशिया के अन्य देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता फैला रहा है। इस चित्र में प्रदर्शित भाव सर्वथा सत्य है।

एशिया के देश आज यह अनुभव कर रहे हैं कि भारत की पराधीनता ही एक तरह से हमारी पराधीनता का कारण है। बहुत से भारतवासियों को याद होगा कि जब मौलाना मुहम्मदअली ने अरब में जाकर वहाँ के स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने की इच्छा प्रकट की थी, तब वहाँ के मुसलमानों ने उन्हें लिख भेजा था कि आप भारत के आन्दोलन में भाग लीजिए। यदि भारत स्वतन्त्र हो गया तो फिर हम लोगों को भी शीघ्र ही स्वतन्त्रता प्राप्त हो जावेगी। भारत में आज एक लाख हिन्दुस्तानी तथा ६६,००० ब्रिटिश सैनिक मौजूद हैं, जो कि हर वक़्त काम में लाए जा सकते हैं। आज यदि एशिया का कोई भी देश ब्रिटिशों की सत्ता को हटाने का प्रयत्न करे, तो भारत की बलिष्ठ सेना फ़ौरन उस पर जा धमकेगी। प्रयाग-निवासियों को अभी भी वह घटना याद होगी कि जब सन् १९२६ में, ब्रिटिश सरकार तथा चीन में कुछ झपट हो गई थी और प्रयाग-स्थित सेना ब्रिटिश सत्ता की रक्षा करने के लिए चीन भेजी गई थी। गत महायुद्ध में भारत की सेना ने जो कार्य किया है, वह संसार के इतिहास में रक्ताक्षरों में लिखा हुआ है। भारत और जर्मनी के बीच कोई भी झगड़ा न था, पर उसे जर्मनी के विरुद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध में भारत के करोड़ों रुपए स्वाहा हुए और लाखों युवकों की जानें गईं। जब तक भारतवर्ष ब्रिटिशों के क़ब्ज़े में है, तब तक इङ्गलैण्ड के हाथ में एक अत्यन्त मज़बूत हथियार मौजूद है, जिसे वह अपने साम्राज्य को वश में रखने के तथा अन्य देशों को अपने क़ब्ज़े में करने के काम में ला सकता है। भारत के राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि भारत की रक्षा के लिए हमें इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं है। हम न तो किसी देश से युद्ध छेड़ना चाहते हैं और न अन्य देशों को क़ाबू में लाना चाहते हैं। फिर भारत ऐसा ग़रीब देश अपनी सेना पर प्रति वर्ष ५७ करोड़ रुपए क्यों ख़र्च करे? परन्तु इसका कोई ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया जाता। उत्तर दिया भी नहीं जा सकता। भला ब्रिटिश सरकार अपनी कूटनीति क्यों प्रकट करने लगी। भला वह यह क्यों कहे कि यह सेना केवल भारत की रक्षा करने के लिए नहीं, वरन् अन्यान्य देशों पर इङ्गलैण्ड की सत्ता क़ायम रखने के लिए रक्खी गई है।

इसी नीति का अनुसरण करते हुए साम्राज्यवादी आज कनाडा को भी अपने जाल में फँसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कनाडा साम्राज्य की रक्षा में ज़रा भी हाथ नहीं बटा रहा है। वह साम्राज्य की सारी सुविधाओं से फ़ायदा उठा रहा है, परन्तु उसकी रक्षा के ख़र्च में एक पाई भी नहीं देता। इसलिए उसे चाहिए कि या तो अपनी सेना और जङ्गी जहाज़ों की संख्या बढ़ावे या इङ्गलैण्ड को प्रति वर्ष एक निश्चित रक़म दिया करे, जिससे वह साम्राज्य की रक्षा का भार वहन कर सके।

कनाडा के अधिकतर निवासी इन दोनों शर्तों में से किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कनाडा के कुल सेना की संख्या ३,७०० है। वह अपनी सारी सेना पर और इस सेना के ऑफ़िसरों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष क़रीब एक करोड़ डॉलर ख़र्च करता है। उसके कुल चार जङ्गी जहाज़ हैं। हवाई जहाज़ों के विभाग में भी कुल ८७ अधिकारी तथा ५८१ नौकर हैं। इसके अतिरिक्त कनाडा ब्रिटिश सेना के ख़र्च में एक पाई की भी सहायता नहीं देता। कनाडा की इस अवस्था को देख कर यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि वह संसार की शान्ति-रक्षा का पूर्णतया समर्थन करता है। उसने निःशस्त्रीकरण के सिद्धान्तों को पहिले ही से कार्यरूप दे दिया है। आज संसार में इतना बड़ा और कोई देश नहीं है, जो अपने सैनिक बल पर इतना कम ख़र्च करता हो, या जिसके सैनिकों की संख्या इतनी कम हो। डेनमार्क, जो कि अपनी शान्ति-प्रिय नीति के लिए प्रसिद्ध है, वह भी सेना-विभाग पर कनाडा से कहीं ज़्यादा ख़र्च करता है। डेनमार्क की मनुष्य-संख्या कनाडा की मनुष्य-संख्या की केवल एक तिहाई मात्र है, परन्तु वहाँ की सेना की संख्या १२,००० है।

भला साम्राज्यवादी इस अवस्था से कैसे सन्तुष्ट रह सकते हैं। सैनिक बल को बढ़ाना, युद्धाों की उन्नति करना और उनके द्वारा अन्य देशों को अपने वश में करना, यही तो उनकी कूटनीति का मुख्योद्देश्य है। इसीलिए वे कहते हैं कि कनाडा आज साम्राज्य के सैनिक-बल से फ़ायदा उठा रहा है, परन्तु इसके ख़र्च में ज़रा भी भाग नहीं लेता। इसके उत्तर में कनाडा के राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि जो अङ्गरेज़ यह ख़याल करते हैं कि कनाडा अपनी रक्षा नहीं कर सकता या इङ्गलैण्ड उसकी रक्षा कर रहा है, वे कनाडा की वास्तविक परिस्थिति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कनाडा को अपनी रक्षा के लिए इङ्गलैण्ड से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि सहायता लेने का अवसर भी आए तो ब्रिटिश सैनिक-बल उसके किसी काम का नहीं है। क्योंकि वह किसी भी तरह से कनाडा की रक्षा नहीं कर सकता। इस युक्ति के समर्थन में वे कई प्रमाण उपस्थित करते हैं। उनमें से पहला यह है कि कनाडा ने आज तक अपनी इच्छा से किसी भी देश से युद्ध नहीं छेड़ा है। उसकी नीति सर्वथा शान्ति-प्रिय रही है, इसलिए भविष्य में भी सम्भावना नहीं है कि वह किसी देश से युद्ध छेड़ेगा। अभी तक कनाडा को अगर युद्धों में भाग लेना पड़ा है, तो केवल इसलिए कि वह इङ्गलैण्ड का उपनिवेश है। इसलिए उसे अधिक सैनिक-बल की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि दूसरा देश उस पर आक्रमण करे भी तो ब्रिटिश सेना उसे कोई सहायता नहीं दे सकती। संसार में आज केवल एक ही ऐसा देश है, जो कभी कनाडा पर आक्रमण करने का विचार कर सकता है। वह है, अमेरिका। परन्तु कनाडा और अमेरिका के संयुक्त राज्य के बीच में सदा से मित्रता का व्यवहार रहा है। ऐसी दशा में इस बात की सम्भावना कम है कि वह कनाडा पर आक्रमण करेगा। और अगर करे भी तो ब्रिटिश सैनिक-बल उससे उसकी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रिटिश सेना की वास्तविक शक्ति उसके जङ्गी जहाज़ों में है, जिसकी कनाडा और अमेरिका के भावी संग्राम में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती। संयुक्त राज्य का आक्रमण दक्षिण की ओर से हो सकता है; जहाँ समुद्र है ही नहीं। रही स्थल-सेना की बात, सो इङ्गलैण्ड के पास तो उसकी इतनी संख्या ही नहीं कि वह उसके द्वारा कनाडा की सारी दक्षिणी सीमा की रक्षा कर सके। एक और सम्भावना है, यदि गत महायुद्ध की तरह कोई युद्ध छिड़ जाय और संसार के सारे देश उसमें भाग लें, तो उस समय ब्रिटिश सेना अपनी रक्षा करेगी या कनाडा की? इसलिए इङ्गलैण्ड चाहे अपने युद्ध-बल को कितना ही बढ़ावे, कनाडा को उससे कोई भी लाभ नहीं पहुँच सकता। ऐसी दशा में कनाडा इस सेना के ख़र्च का भार क्यों बटावे?

ब्रिटिश साम्राज्यवादी जब यह देखते हैं कि इन युक्तियों से काम न चलेगा, तो वे एक और जाल फेंक कर कनाडा को फँसाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कनाडा को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इङ्गलैण्ड उनकी मातृ-भूमि (Mother Country) है। जब कनाडा के व्यापार तथा औद्योगिक शक्ति की पूर्ण उन्नति नहीं हुई थी, तब इङ्गलैण्ड ने उसकी रक्षा की थी; उसे विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया था। आज कनाडा धनी, शक्तिमान और समृद्धिशाली है। उसे चाहिए कि वह अपनी मातृ-भूमि के उस ऋण को चुकाने का प्रयत्न करे। यह काम ब्रिटिश सरकार की सेना के भार को बटाने से बड़ी सरलता से हो सकता है। परन्तु कनाडा के सच्चे राष्ट्र-प्रेमी कहते हैं कि इङ्गलैण्ड ने हमें और देशों के युद्धों से बचाने के बजाय हरदम हमें अपने युद्धों में फँसाया है। इङ्गलैण्ड ने जितने युद्ध छेड़े हैं, उन सब में कनाडा को भाग लेना पड़ा है। इङ्गलैण्ड के कारण कनाडा को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। सन् १७७६-७८ में, जब संयुक्त राज्य ने हम पर आक्रमण किया था, तो उसका कारण संयुक्त राज्य तथा इङ्गलैण्ड का युद्ध था। इसके बाद भी कनाडा पर कई बार आक्रमण हुए और उसे युद्ध में भाग लेना पड़ा। उन सबका कारण यही था कि कनाडा इङ्गलैण्ड के सार्वभौमत्व को स्वीकार करता है। गत महायुद्ध में भी कनाडा को इसीलिए भाग लेना पड़ा। कनाडा को इङ्गलैण्ड की विदेशी नीति के नियन्त्रण का अधिकार नहीं है। वह उसके विदेशी सम्बन्धों में किसी तरह भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस विषय में इङ्गलैण्ड उसकी सलाह भी मानने को तैयार न होगा, तब फिर कनाडा हर वक़्त क्यों उसकी विदेशी नीति का समर्थन करे? यदि ब्रिटिश सरकार अपनी मूर्खता से युद्ध मोल ले, तो कनाडा उस युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों बाध्य हो? साम्राज्य के सैनिक-बल का भार सहन करना तो दूर रहा, अब कनाडा कहता है कि हम इङ्गलैण्ड की मूर्खता से आरम्भ हुए युद्धों में कदापि भाग न लेंगे। हम साम्राज्यवाद के जाल में न फँसेंगे।

परन्तु भारत की दशा दूसरी ही है। साम्राज्यवाद आज उसे जकड़े हुए है। उसे इन सब बातों की चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। उसका भाग्य तो इङ्गलैण्ड के भाग्य के साथ बँधा हुआ है। वह इङ्गलैण्ड का दास है। दास को बोलने का अधिकार नहीं। उसका तो काम है केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। भारत आज एक लाख हिन्दुस्तानी तथा ६६,००० अङ्गरेज़ी सैनिक पाल रहा है। भारत-सरकार की कुल वार्षिक आय क़रीब १२७ करोड़ है। इसमें से क़रीब ५७ करोड़ रुपया सेना पर ख़र्च किया जाता है। भारत के निन्नानबे फ़ीसदी मनुष्य निरक्षर

(शेष मैटर १८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

१९१७ और १९३० !

[प्रोफ़ेसर अवनीन्द्रकुमार जी विद्यालङ्कार

सन् १९२९ के नवम्बर मास से ही भारत में गोलमेज़ परिषद् की चर्चा हो रही है; और अब तक तो विशेष रूप से शिक्षित भारतवासियों का ध्यान सेण्ट जेम्स पैलेस की ओर ही खिंचा हुआ था। लाठियों की बौछार, गोलियों का धुँआ और एक लाख बन्दियों की तपस्या की ओर हम जिस उत्सुकता और आशा से नहीं देखते, उससे ज़्यादा सेण्ट जेम्स पैलेस से निकलने वाले शब्दों को सुनने के लिए हमारे कान लगे रहते थे। परन्तु वहाँ की आशा की घटा को बिना बरसे ही तितर-बितर होते देख कर, हमारे मानसिक आकाश की भी वही दशा हो रही है, जोकि सायङ्कालीन आकाश की होती है। इसका कारण यह है कि इस गोलमेज़ परिषद् की तुलना १० अक्टूबर १९२१ को १०, डाउनिङ्ग स्ट्रीट में लन्दन में बैठी गोलमेज़ परिषद् से की गई थी और अब भी कहीं-कहीं की जा रही है। जिसमें विजयी आयरिश सिनफ़िन नेताओं ने मनचाही सन्धि की शर्तें उस समय के ब्रिटिश गङ्गा-जमुनी मन्त्रि-मण्डल से मन्ज़ूर करवाई थीं। इसी तुलना के कारण इस गोलमेज़ परिषद् से सम्पर्क न रखने वाले और इसका खुले-आम बहिष्कार करने वाले कुछ भारतीयों के दिलों में भी एक छिपी आशा मौजूद थी, जो अख़बारों के आशाजनक शीर्षक देख कर जाग उठती थी। परन्तु इन दोनों परिषदों में महीने की समता को छोड़ कर और कोई समता नहीं है। १९२१ की गोलमेज़ परिषद् से पहिले ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मि० लॉयड जॉर्ज ने, आयरिश रिपब्लिक के प्रथम राष्ट्रपति मि० डि वेलरा को २० जून को सन्धि के लिए बातचीत करने के लिए निमन्त्रित किया और क्षणिक सन्धि की दोनों ओर से घोषणा की गई। इसके साथ किन शर्तों पर ब्रिटेन समझौता करने के लिए तैयार है, वे शर्तें भी साथ भेज दी गई थीं, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य, पूर्ण-आर्थिक स्वतन्त्रता, आयरिश अदालतों की स्वतन्त्रता और परिपूर्णता, तथा आयर्लैण्ड की रक्षा के लिए सेना रखने का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। पर आयरिश रिपब्लिक के प्रेज़िडेण्ट डि वेलरा इसे आयरिश राष्ट्र के लिए अपमानजनक समझते थे। वे सम्राट के प्रति राजनिष्ठा रखने की बात स्वप्न में भी नहीं सोच सके थे। अन्ततोगत्वा आयरिश प्रतिनिधि इस शर्त पर गए थे कि—

How the association at Ireland with the community of nations known as the British Empire can best be reconciled with Irish national aspirations.

१९२१ की गोलमेज़ परिषद् आयरिश राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए, ब्रिटिश साम्राज्य और आयर्लैण्ड का सम्बन्ध किस तरह स्थिर रह सकता है, इसका रास्ता ढूँढ़ने के लिए हुई थी। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा करने वाले आयर्लैण्ड को, ब्रिटिश साम्राज्य में रहने के लिए मनाने के लिए हुई थी। यह मि० लॉयड जॉर्ज के २६ अगस्त के पत्र से, जो कि उन्होंने मन्त्रि-मण्डल की ओर से मि० डि वेलरा को लिखा था, जिसमें अपना अभिप्राय प्रेज़िडेण्ट लिङ्कन के इन शब्दों को उद्धृत किया था :—

Physically speaking we can not separate. We cannot remove our respective sections from each other, nor build an impossible wall between them.... It is impossible, then, to make that intercourse more advantageous and more satisfactory after separation than before... Suppose you go to war, you cannot fight always and when, after much loss on both sides and no gain on either, you cease fighting, the identical old questions as to terms of intercourse are again upon you.

मि० लॉयड जॉर्ज द्वारा उद्धृत प्रेज़िडेण्ट लिङ्कन के शब्दों में ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल की व्याकुलता और चिन्ता साफ़ झलक रही है, और जिस प्रेरणा से गोलमेज़ परिषद् बुलाई गई थी—यद्यपि यह नाम नहीं था—स्पष्ट है। वहाँ १९३० की बुलाई गई गोलमेज़ परिषद् अधिकाधिक सम्मत मार्ग को सुझाने के लिए बैठी थी, इसीलिए इसमें १५० से ऊपर प्रतिनिधि बुलाए गए थे। पर १९२१ में १० प्रतिनिधियों की ही कॉन्फ्रेन्स बैठी थी, जिसमें ६ गङ्गा-जमुनी मन्त्रि-मण्डल के और बाक़ी चार आयरिश रिपब्लिक के प्रतिनिधि थे। आयरिश रिपब्लिक के चार प्रतिनिधियों में से एक मि० माइकेल कॉलिन्स थे, जिनके सिर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने १०,००० पौण्ड इनाम देने की घोषणा की थी। इसके अलावा मि० ग्रिफ़िथ और डगन ३० जून १९२१ को जेलख़ाने से छूट कर आए थे। इस कॉन्फ्रेन्स द्वारा तय की गई सन्धि पर दोनों देश के पार्लामेण्टों की मुहर की आवश्यकता थी। वहाँ भारतीय गोलमेज़ परिषद् के सर्व-सम्मत निर्णयों पर यदि ब्रिटिश पार्लामेण्ट अपनी मुहर लगाएगी, तो वे कार्य में परिणत हो सकेंगे। भारत की इच्छा और अनिच्छा का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इतना विस्पष्ट अन्तर होते हुए दोनों की तुलना कर आयर्लैण्ड के विजय-गौरव को धूल में मिलाना है। मि० लॉयड जॉर्ज के २०जून के पत्र को 'आयरिश क्रान्ति' (The Revolution in Ireland) के लेखक मि० एलिसन फ़िलिप ने केवल ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल के आत्म-समर्पण (Surrender) के नाम से ही नहीं स्मरण किया है, वरन् पार्लामेण्ट द्वारा सन्धि की स्वीकृति को भी ब्रिटिश पार्लामेण्ट के लिए अपमानजनक बताया है। वह लिखता है :—

"It was a humiliation for the Imperial Parliament, there can be no question."

सन्धि को स्वीकृत करने के लिए होने वाली पार्लामेण्ट के उद्घाटन पर टिप्पणी करता हुआ लेखक लिखता है :—

"On the 14th December, 1921 the K ng proceded in full state to open the special session of Parliament whose sole business was to register the terms of surrender."

मि० फ़िलिप ही इस कार्य को आत्म-समर्पण की शर्तों को निगलना बताते हैं, पर पार्लामेण्ट में बोलते हुए लॉर्ड कार्सन ने कहा था :—

"They were passed with a revolver pointed at your head, you know it, and you know you passed it because you were beaten, because you had failed that the Sinn Fein army in Ireland had beaten you. Why don't you say so ? Your Press says so ?"

लॉर्ड बकमास्टर ने चकित होकर गवर्नमेण्ट से पूछा था :—

" If the change in view is really an act of wisdom, an act of union, an act of healing differences between the nations, why was it not ntroduced in 1918 after the Armistice ?"

इसका उत्तर ब्रिटिश सरकार के माथे पर तनी आयरिश रिपब्लिक की पिस्तौल दे रही थी। इससे साफ़ है कि १९३० की कॉन्फ्रेन्स की तुलना १९२१ की कॉन्फ्रेन्स से किसी तरह नहीं की जा सकती।

२

इतिहास की घटनाएँ कुछ हेर-फेर से, समय-समय पर अपने आपको दोहराती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए १९३० की गोलमेज़ परिषद् के समकक्ष घटना के लिए कोई दूसरी घटना खोजने का यत्न करना अस्वाभाविक न होगा। यदि किसी प्रकार से १९३० की गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की तुलना ११ अक्टूबर, १९१७ के आयरिश कन्वेन्शन से की जा सकती है, जिसमें १०१ प्रतिनिधि भिन्न-भिन्न संस्थाओं के बुलाए गए थे, जिनमें १५ ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए थे। २१ मई को इस कन्वेन्शन की घोषणा करते हुए मि० लॉयड जॉर्ज ने पार्लामेण्ट में कहा था कि—"If the convention reached substantial agreement, the Government would give legislati ve effect to its decisions.

इसमें Substan ia agreement शब्द नोट करने लायक़ है। यह Largest amount of argeement के बदले में है। यह कन्वेन्शन ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के सिर पर रिवॉल्वर तान कर नहीं हो रही थी। इसका फल भी वही हुआ, जो स्वाभाविक था। ५ अप्रैल १९१८ को कन्वेन्शन ने बहुमत से पास किया, कि सारे आयर्लैण्ड के लिए एक पार्लामेण्ट और कार्यकारिणी समिति बना जाय, जो पार्लामेण्ट के समक्ष उत्तरदायी हो। पर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की सर्वोच्च शक्ति और अधिकार को अक्षुण्ण रक्खा गया था। सेना, नव-सेना, विदेशी शक्तियों से सम्बन्ध, तथा सन्धि और युद्ध की घोषणा का अधिकार, साम्राज्य के रक्षित विषय रक्खे गए थे। पर यह 'फ़ेल' हो गई। इस कन्वेन्शन का सिनफ़िन पार्टी ने बहिष्कार किया था, जिस प्रकार कॉङ्ग्रेस ने गोलमेज़ परिषद् का बहिष्कार कर दिया है।

जिस प्रकार से भारत का नरम दल वैध आन्दोलन में विश्वास करता है, उसी तरह आयर्लैण्ड की नेशनलिस्ट पार्टी भी वैध आन्दोलन में विश्वास रखती थी। देखना चाहिए, कि एक ही तरीक़े में विश्वास करने वाले दो देशों के नरम दल के व्यक्तियों ने अपने-अपने देशों की स्वाधीनता के लिए क्या कार्य किया है और उनकी उस समय अपने दूसरे साथियों के प्रति क्या मनोवृत्ति थी। १४ जनवरी से भारतीय व्यवस्थापिका सभा तथा अन्य प्रान्तीय धारा-सभाओं के अधिवेशन भी इसी मास में आरम्भ हुए हैं। इसलिए और भी आवश्यक है, कि हम अपने देश के नरम दल के नेताओं के कार्य की समीक्षा दूसरे देशों के इन्हीं के विचार वाले नेताओं के कार्य से करें।

३

'कन्वेन्शन' की उत्पत्ति जानने के लिए आयर्लैण्ड के इतिहास के कुछ पीछे के पन्ने पलटने की ज़रूरत है। प्रधान-मन्त्री मि० एसक्विथ द्वारा प्रस्तुत आयर्लैण्ड विषयक होमरूल-बिल संसार-व्यापी यूरोपियन महायुद्ध

के छिड़ जाने से, स्वीकृत हो जाने पर भी, अल्स्टर के विरोध करने के कारण महायुद्ध की समाप्ति तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पर आयर्लैण्ड का सिनफ़िन दल इससे सन्तुष्ट न था। जहाँ अल्स्टर ने अपने हथियार साम्राज्य की रक्षा के लिए उठा लिए थे, और नेशनलिस्ट लोग युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता देने का प्रण कर चुके थे और आयरिश नवयुवकों को सेना में भरती होने की प्रेरणा कर रहे थे, सिनफ़िन-दल जर्मनी की सहायता से अपनी दासता की बेड़ियों के काटने में संलग्न था। वे खुल्लमखुल्ला सेना में भरती होने से आयरिश लोगों को रोकते थे। चोरी-चोरी जर्मनी और अमेरिका द्वारा शस्त्र मँगा कर लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। २७ अप्रैल को उन्होंने 'सामयिक रिपब्लिक' की घोषणा की और इसी दिन आयर्लैण्ड में विद्रोह का दावानल धधक उठा। यह विद्रोह इस्टर के विद्रोह के नाम से मशहूर है। इसको शान्त करने में ब्रिटिश सरकार के ४५० आदमी मारे गए और २,६१४ आदमी घायल हुए। आयर्लैण्ड के ३,४३० पुरुष और ७९ स्त्रियाँ पकड़ी गईं। जिनमें जाँच के बाद १,४२४ आदमी और ७३ स्त्रियाँ छोड़ दी गईं। १२६ आदमियों का मुक़दमा कोर्ट-मार्शल (फ़ौजी अदालत) द्वारा हुआ। शेष १,८३६ आदमियों और ५ स्त्रियों को इङ्गलैण्ड में ले जाकर नज़रबन्द कर दिया गया। फ़ौजी अदालत ने १५ को फाँसी का दण्ड दिया, जिनमें से सात आयरिश रिपब्लिक की घोषणा करने वाले थे।

४

इस विद्रोह की योजना यदि सफल हो जाती तो १६१६ में ही 'आयरिश रिपब्लिक' का उदय हो गया होता, और उस समय ब्रिटेन को युद्ध में किस विकट कठिनाई का सामना करना पड़ता, यह इसी से जाना जा सकता है, कि इस विद्रोह को शान्त करने ही के लिए युद्ध की नाज़ुक और विकट घड़ी में पश्चिमीय युद्ध-क्षेत्र से ब्रिटिश सेना को बुला लेना पड़ा था। जर्मनी उस समय यही चाहता था और उसकी इच्छा कई अंशों में पूरी हुई। आयरिश नेशनलिस्ट लीडर जॉन रेडमॉण्ड के कहने से अधिकांश ब्रिटिश फ़ौज आयर्लैण्ड से हटा ली गई। फ़ौजी अदालत द्वारा फाँसी की सज़ा का लिमारिक के बिशप डॉ० ओड्वायर ने खुले-आम विरोध किया। इनकी फाँसी के विरोध में हाउस ऑफ़ कॉमन्स को स्थापित करने के लिए मि० जॉन रेडमॉण्ड के साथी मि० जॉन डिलन ने ११ मई को प्रस्ताव पेश किया। उस पर बोलते हुए मि० डिलन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार और और ब्रिटिश-फ़ौज नेशनलिस्ट पार्टी के कार्य को ख़ून के समुद्र में बहा रही है। इसी अवसर पर जॉन डिलन ने कहा, मुझे उन विद्रोहियों का गर्व है। इसका उत्तर देते हुए प्रधान-मन्त्री एसक्विथ ने कहा, कि मैं स्वयं अपनी आँखों से आयर्लैण्ड की अवस्था देखने के लिए जा रहा हूँ। इस घोषणा के अनन्तर मि० एसक्विथ १२ मई को आयर्लैण्ड गए।

इस प्रसङ्ग में यह याद रखना चाहिए, कि इस विद्रोह से पहिले सिनफ़िन-दल और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच मनमुटाव हो चुका था। दोनों में मुठभेड़ भी हो चुकी थी। इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध और नेशनलिस्ट दल की मनोवृत्ति का इस उद्धरण से अच्छी तरह पता चल जायगा। टाइरोन के कैरिकपोर हॉल में सिनफ़िन-दल के 'कनसर्ट' करने के प्रयत्न का वर्णन 'आयरिश टाइम्स' के २६ जनवरी १६१६ के अन्त में इस प्रकार प्रकाशित हुआ था—"हॉल के अन्दर और बाहर हाथा-पाई आरम्भ हुई। पर अधिकांश समय सिनफ़िन-दल के हाथ स्कूल रहा और नेशनलिस्ट बाहर रहे। सिनफ़िन क़ैसर की जय बोल रहे थे, और 'कारसन' को धिक्कार रहे थे। नेशनलिस्ट मित्र-दल और पुलिस की जयकार मना रहे थे। नेशनलिस्टों ने अपनी सारी शक्ति फिर इकट्ठा कर स्कूल के छत, दरवाज़े और खिड़कियों पर चढ़ाई की। अनिर्वचनीय और रोमाञ्चकारी नज़ारा नज़र आने लगा। सिनफ़िन-दल से क़ैसर की जय की ध्वनि आ रही थी। इसके प्रतिकूल नेशनलिस्ट-दल से मित्र-दल और सम्राट् जॉर्ज को जयनाद सुनाई पड़ रहा था। साढ़े नौ बजे तक लड़ाई जारी रही। सिनफ़िन-दल कनसर्ट छोड़ घर को वापस हुए। पुलिस उनके पीछे-पीछे थी।"

दोनों दलों के बीच में इतना अन्तर और झगड़ा होते हुए भी मि० जॉन डिलन ने सिनफ़िनों की फाँसी के विरोध में आवाज़ उठाई और उनके विद्रोह पर गर्व ज़ाहिर किया। हमारे लिबरल नेता ऑर्डिनेन्स के द्वारा बनी अदालत द्वारा सरदार भगतसिंह और राजगुरु तथा शोलापुर के अभियुक्तों को दी गई, फाँसी की सज़ा का विरोध करेंगे, इसकी आशा हम उनसे न करते थे। पर यह हरएक भारतवासी समझता था, कि हमारे स्वयंभू, प्रतिभू ये लिबरल नेता गोलमेज़ परिषद् में तब तक शरीक न होंगे, जब तक सब असहयोगी जेलों से बाहर न आ जायँगे, और सब ऑर्डिनेन्स रद्द न हो जायँगे, पर वह आशा भी विफल हुई, और उनके बारे में कहना पड़ता है :—

शूरोऽसि कृत निद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक।
यस्मिन कुले च मुत्पन्नः भजस्तना न हन्यते॥

५

आयर्लैण्ड में मि० एसक्विथ गए, सब विचार के लोगों से मिले, गिरफ़्तार क़ैदियों से भी खुली बातचीत की। इसके बाद मि० लॉयड जॉर्ज को सन्धि की चर्चा चलाने का भार सौंपा गया। पर यह प्रयत्न फ़ेल हुआ। शिशिर पार्लमेण्ट में Millitary Service Act को आयर्लैण्ड में जारी करने का प्रश्न छिड़ा। इसके द्वारा आयर्लैण्ड के हरेक बालिग़ को सेना में भर्ती होना पड़ता। नेशनलिस्ट दल के नेता रेडमॉण्ड ने इसका बलपूर्वक विरोध किया। मि० शेई स्केफ़िङ्गटन और उनके दो साथियों के शूट पर विचार करने के लिए रॉयल कमीशन बैठा था। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के दो दिन बाद मि० जॉन रेडमॉण्ड ने १८ ता० को इस आशय का प्रस्ताव पेश किया, कि जनरल मैक्सवेल को वापस बुला लिया जाय, मॉर्शल-लॉ हटा दिया जाय, ५०० क़ैदी छोड़ दिए जायँ, जिन पर मुक़दमा नहीं चलाया गया है, और क़ैदियों के साथ लड़ाई में गिरफ़्तार क़ैदियों के समान व्यवहार किया जाय। अन्त में कहा गया था कि होम-रूल-बिल को तुरन्त जारी कर दिया जाय। मि० जॉन रेडमॉण्ड ने गवर्नमेण्ट पर यह दोष लगाया, कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट जिन सिद्धान्तों के लिए लड़ रही है, उनके विरोधी सिद्धान्तों के अनुसार आयर्लैण्ड में राज्य कर रही है। इसके फल-स्वरूप ५ नवम्बर को मैक्सवेल को बुला लिया गया, इस तरह रहा-सहा मार्शल-लॉ भी हटा लिया गया।

इस समय भारतीय धारा-सभा की बैठकें हो रही हैं। क्या हमारे नेता ऑर्डिनेन्सों को रद्द कराने, पौन लाख क़ैदियों को मुक्त कराने, गोली-काण्डों, लाठी-प्रहारों की जाँच कराने और जेल में बन्द राजनैतिक क़ैदियों से लड़ाई में गिरफ़्तार व्यक्तियों के समान व्यवहार करने के लिए आन्दोलन करेंगे?

नेशनलिस्ट दल ईस्टर-विद्रोह के गिरफ़्तार व्यक्तियों के छुड़ाने की निरन्तर कोशिश करता रहा और इसके साथ-साथ सेना में आयरिश युवकों के भरती होने का भी विरोध करता रहा। यह विरोध फल लाया और २२ दिसम्बर, १६१६ को मि० ड्यूक ने घोषणा की, कि ६०० विद्रोही क़ैदी बिना शर्त के जेल्स से छोड़ दिए जायँगे, और ६०० राज-विद्रोही छोड़ दिए गए।

६

६ अप्रैल, १६१७ को अमेरिका महायुद्ध में शामिल हुआ, इससे आयरिश समस्या का महत्व और भी बढ़ गया। १६ मई को प्रधान-मन्त्री मि० लॉयड जॉर्ज ने मि० जॉन रेडमॉण्ड को एक पत्र लिखा, जिसके द्वारा सूचित किया, कि गवर्नमेण्ट १६१४ के होमरूल बिल को इस सुधार के साथ, कि अलस्टर पर पाँच साल तक यह लागू न हो, तुरन्त जारी करने के लिए तैयार है। दूसरे यह कि गवर्नमेण्ट कन्वेन्शन बैठाना चाहती है, जिसमें सब दलों के प्रतिनिधि हों, जो आयरिश स्वराज्य का मसविदा बनाएँ। मि० जॉन रेडमॉण्ड पहिला प्रस्ताव स्वीकार कर ही नहीं सकते थे, जिसके द्वारा राष्ट्र दो भागों में बट जाय। दूसरा प्रस्ताव मि० रेडमॉण्ड ने मान लिया, इसके अनुसार २१ मई को पार्लामेण्ट में कन्वेन्शन बुलाने की घोषणा की गई। कन्वेन्शन शान्ति के वातावरण में बैठे, इसको ध्यान में रख कर मि० बानरला ने १५ जून को घोषणा की, कि गवर्नमेण्ट ने सब क़ैदियों को छोड़ देने का निश्चय किया है। इन सबने १६१६ के विद्रोह में भाग लिया था, इस कारण वे गिरफ़्तार हुए थे और इनको सज़ा दी गई थी। इनकी मुक्ति बिना किसी प्रतिबन्ध और शर्त के हुई थी।

यदि तुलना करने की बहुत ही इच्छा हो तो गोल-मेज़ परिषद् की तुलना इस कन्वेन्शन से कर सकते हैं, जोकि स्वराज्य का मसविदा बनाने के लिए ही बैठा था। यदि लॉर्ड इरविन यही विश्वास महात्मा जी और नेहरू जी को २१ दिसम्बर १६२६ को करा देते तो इस सत्या-ग्रह आन्दोलन का जन्म ही न होता और इस गोलमेज़ परिषद् में कॉङ्ग्रेस भी बैठी होती। आयरिश कन्वेन्शन डबलिन में बैठा था। इसमें ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल के मेम्बर नहीं थे। भारतीय गोलमेज़ परिषद् तब बैठी थी, जब १२ ऑर्डिनेन्स सिर पर लटक रहे हैं, लाठियाँ सिरों पर पड़ रही हैं, एक कङ्कड़ के पड़ते ही गोली की बौछार शुरू हो जाती है, जेलों में एक लाख बन्दी सड़ रहे हैं। पर यह सब कुछ मि० श्रीनिवास शास्त्री की दृष्टि में कुछ लोगों के जेल जाने और कुछ के लाठी खाने से ही ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में वह आश्चर्यजनक पृष्ठ लिखा जा रहा है, जो कल्पनातीत है। पर इसका फल क्या हुआ है, रोगी को डॉक्टर ने लूची दी है। इस शर्त पर खाने के लिए, कि इसकी ऊपर की परत तोड़ कर फेंक दो और सूँघो, फिर दूसरी परत भी फेंक दो। रोगी सोचता था, खाने को क्या मिला, केवल हवा क्या? वही हालत हमारी है। गोलमेज़ परिषद् में भारतीय शासन-विधान, केन्द्रीय शासन-विधान में भारतीयों को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया गया है, पर इतने अगर और मगर के साथ, कि कुछ भी बाक़ी नहीं रहता है, सेना—नौ, जल, स्थल—फ़ाइनैन्स का ४/५, व्यापार-व्यव-साय, मुद्रानीति, सन्धि-विग्रह, ये सब महकमे वायस-राय—सम्राट—के अधीन रहेंगे, मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों की लोक-सभा के मेम्बरों के सामने ज़िम्मेवारी न के बराबर है; क्योंकि लोक-सभा का कब उन पर विश्वास नहीं रहा, इसका निर्णय भी उन्हीं को करना है। पर इतने पर भी लॉर्ड रीडिङ्ग, सैनेकी और मि० मैकडॉ-नल्ड के प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं और उनकी जय-जयकार से हमारे वैध आन्दोलन के नेता सेण्ट जेम्स पैलेस को गुँजा कर लौट रहे हैं! यदि आयरिश स्वतन्त्रता के पृष्ठों पर एक दृष्टिपात भी करेंगे और वहाँ के नेशनलिस्ट लोगों का भी अनुसरण करेंगे, तो भारत का नाम जग में हँसाने की अपेक्षा, इसका गौरव बढ़ाने में अपने तरीक़ों से भी इस समय से अधिक सहायक होंगे।

* * *

पोलैण्ड तथा यूरोप के अन्य छोटे-छोटे प्रजातन्त्र

[श्री० देवकीनन्दन जी 'विभव', एम० ए०]

यूरोप में शताब्दियों से एक राजनीतिक क्रम चल रहा था ! बड़े-बड़े राष्ट्र छोटे-छोटे देशों को हड़प कर अपने साम्राज्य और शक्ति का विस्तार करते आ रहे थे। इन छोटे देशों को विजय करने के बाद विजेता उन्हें अपने देश में मिला लेते थे और संसार के राजनीतिक मान-चित्र में उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता था। महायुद्ध का परिणाम यह हुआ कि वर्सेलीज़ की सन् १६१६ की सन्धि के बाद इस क्रम में प्रतिक्रिया शुरू हुई और विशेषकर जर्मनी तथा उसकी सहयोगी शक्तियों की सीमा और जन-संख्या में अनेक स्वतन्त्र राज्यों का जन्म हो गया।

जिन साम्राज्यों ने अपना विस्तार जातीय आधार पर किया था—जैसे इटली और जर्मनी आदि—वे महान, शक्तिशाली और स्थायी बन गए थे। परन्तु जिन्होंने जातीय भावों के विरुद्ध तलवार के बल पर निर्बल राष्ट्रों को हड़प कर अपना राज्य बढ़ाया था, उनकी नींव दो विरोधी भावों पर स्थापित की गई थी और ज्योंही सरकार ज़रा निर्बल होती थी, ये दलित राष्ट्र अपने पृथक अस्तित्व को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगते थे। ऑस्ट्रिया और रूस साम्राज्य भी इसी निर्बल आधार पर बना था। यह बात मित्र-शक्तियों से छिपी नहीं थी। उन्होंने युद्ध में ऑस्ट्रिया की शक्ति को निर्बल करने के लिए उसके छोटे-छोटे देशों को भड़काना शुरू किया और वहाँ के राष्ट्रवादियों को हर तरह से सहायता दी। रूस में बोल्शेविक शासन की स्थापना से वहाँ नए भावों का जन्म हुआ और वहाँ के नेताओं ने घोषणा की कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर शासन करने या उस देश के लोकमत के विरुद्ध कोई शासन-प्रणाली स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र को अपना निर्णय स्वयं आप करने का अधिकार प्राप्त है। रूस की सोवियट सरकार का यह आदर्श केवल कहने मात्र को नहीं था, बल्कि रूस साम्राज्य ने अपने अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रों को अपना भाग्य-निर्णय आप करने की स्वतन्त्रता दे दी। रूस की ज़ारशाही ने जिन देशों को शताब्दियों में हड़प कर

सर्वेन्ट ऑफ़ इण्डिया सोसाइटी के प्रतिभाशाली सदस्य और उर्दू के सुप्रसिद्ध लेखक

पं० कृष्णप्रसाद जी कौल

(पाठकों को स्मरण होगा, 'चाँद' के उर्दू संस्करण में "मजज़ूब की बड़" तथा 'भविष्य' के पहिले अङ्क में प्रकाशित "पागल का प्रलाप" शीर्षक रचनाएँ आप ही की लेखनी का चमत्कार था।)

अपने साम्राज्य में मिलाया था, उसे रूस के उदार सिद्धान्तवादियों ने एक वर्ष में ही खो दिया। इस नीति के पालन के लिए रूस को जर्मनी से द्विगुणित प्रदेश अपने से पृथक करना पड़ा। इन सब नवीन क्रान्तियों का परिणाम यह हुआ कि मध्य यूरोप का मान-चित्र बिलकुल बदल गया और ऑस्ट्रिया-हङ्गरी, रूस और जर्मनी की सीमाओं में से टूट कर नए छः प्रजातन्त्रों का जन्म हुआ।

रूस में सोवियट शासन के स्थापित होते ही दिसम्बर १६१७ में फ़िनलैण्ड ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। सन् १८०६ में रूस को फ़िनलैण्ड स्वीडन से प्राप्त हुआ था और तब से रूस-सरकार के अधीन एक पृथक राज्य बन गया था। परन्तु फ़िन लोगों की एक पृथक 'सीनेट' थी और रूस उनके शासन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करता था। स्वतन्त्रता की घोषणा करने के बाद वह महायुद्ध में भी तटस्थ हो गया; क्योंकि वहाँ भी इस समय बोल्शेविक दल शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने की चेष्टा कर रहा था और वहाँ की नवीन प्रजातन्त्रवादी सरकार को इस गृह-कलह से भी बचना था। जर्मनी ने फ़िनलैण्ड में बोल्शेविकों को दबाने के लिए अपनी सेनाएँ भेजीं और वहाँ की प्रजातन्त्र सरकार से कई व्यापार सम्बन्धी समझौते किए। जर्मन षड्यन्त्रकारियों ने फ़िनलैण्ड की सरकार पर यहाँ तक प्रभाव डाला कि वह जर्मन क़ैसर के साले प्रिन्स फ़्रेडरिक चार्ल्स को फ़िनलैण्ड की गद्दी पर बैठाने के लिए तैयारी हो गई। परन्तु शीघ्र ही जर्मनी की हार शुरू हुई, इसलिए यह योजना भी धूल में मिल गई।

३ मार्च सन् १६१८ को रूस और जर्मनी में एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार कोरलैण्ड, लिथूनिया और पोलैण्ड रूस-साम्राज्य से पृथक कर दिए गए। रूस तो अपनी नीति के अनुसार इनको स्वाधीन करने के लिए विवश था, परन्तु जर्मनी इनको इसलिए पृथक करना चाहता था कि वह इन प्रदेशों को जर्मन साम्राज्य में किसी तरह ले आवे। उसने कई तरह की योजनाओं से जर्मन राजघराने के लोगों को इन प्रदेशों के तख़्तों पर बिठाने की चेष्टा की। परन्तु महायुद्ध की पराजय के साथ ही उसके वे सब स्वप्न भी विलीन हो गए।

११ नवम्बर, १६१८ के जर्मनी और मित्र-शक्तियों के समझौते के अनुसार जर्मनी को सारी बाल्टिक रियासतों से कुल सेना हटा लेनी पड़ी और इस तरह उसकी बाल्टिक साम्राज्य स्थापित करने की आकांक्षा का भी अन्त हो गया।

रूस और जर्मनी के दबाव से स्वतन्त्र हो जाने के बाद उसकी प्रजातन्त्र सरकार शीघ्र ही शक्तिशाली होने लगी। उसके सामने इस समय दो समस्याएँ थीं। एक आलैण्ड द्वीप, जिसका सम्बन्ध स्वीडन से था और दूसरी रूस से अपनी सीमाओं को निश्चित करना। फ़िनलैण्ड की तरह आलैण्ड भी सन् १८०६ से रूस-साम्राज्य में चला आता था। स्वीडन अब चाहता था कि आलैण्ड, जहाँ के अधिकांश निवासी स्वीडिस जाति के हैं और स्वीडिस भाषा बोलते हैं, फिर उसे मिल जाय। जून, १६२० में यह प्रश्न लीग ऑफ़ नेशन्स के सामने आया, उसने इसकी जाँच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की और अन्त में एक वर्ष बाद आलैण्ड द्वीप पर फ़िनलैण्ड का अधिकार मान लिया गया। फ़िनलैण्ड ने इसके बदले में यह स्वीकार कर लिया कि वहाँ सेना नहीं रक्खी जायगी और युद्ध के समय में द्वीप और चारों ओर का स्थल भाग तटस्थ रहेगा। इसके अतिरिक्त फ़िनलैण्ड की सरकार ने आलैण्ड द्वीप-वासियों के राजनीतिक अधिकार स्वरक्षित रखने की घोषणा की। आलैण्ड द्वीप की शिक्षा की भाषा स्वीडिस स्वीकार कर ली गई और उन्हें आन्तरिक शासन की स्वतन्त्रता दे दी गई।

आलैण्ड-निवासी जिनकी संख्या २,००० है, फ़िनलैण्ड से स्वभाग्य-निर्णय (Self-determination) के सिद्धान्त के अनुसार पृथक होना चाहते थे, परन्तु लीग

(१५वें पृष्ठ का शेषांश)

हैं। प्रति वर्ष लाखों मनुष्य हैज़ा और प्लेग से मर जाते हैं। लाखों को एक वक़्त भी पूरा भोजन नसीब नहीं होता। परन्तु इससे क्या ? भारत के पास सेना तो है ! लखनऊ के नवाबों का सा क़िस्सा है, घर में चाहे चूहे दण्ड पेल रहे हों, पर नवाब तो हैं !

यह महती सेना भारत के ख़ून से पल रही है। भारत की मुख्य आय ज़मीन के लगान से है। जिस तरह लगान लिया जाता है, उसकी वसूली में जो-जो क्रूरताएँ की जाती हैं, उसका सजीव चित्र बारडोली है, जो आज प्रत्येक भारतवासी की आँखों के सामने है। भारत के नमक पर टैक्स है, जिसका भार एक भिखारी तक को वहन करना पड़ता है। इस तरह की गाढ़ी कमाई के पैसे से यह सेना पाली जा रही है। परन्तु फिर भी आज इस पर भारतवासियों का कोई अधिकार नहीं है ! वे इसे किसी भी काम में नहीं ला सकते। यह दासता की शोचनीय सीमा नहीं तो क्या है ? और जो कुछ हो, एक बात तय है कि जब तक भारत साम्राज्यवाद के जाल में फँसा है, जब तक उसे अपने देश का शासन करने का अधिकार नहीं मिला है, तब तक न तो वह कनाडा की तरह अपनी सेना घटा कर अपनी शान्ति-प्रियता को कार्यरूप में परिणत कर सकता है और न अपने देश का सुधार कर सकता है।

* * *

ऑफ़ नेशन्स ने जो अन्तर्राष्ट्रीय कमिटी नियत की, उसने इसे अस्वीकार कर दिया और स्व-निर्णय के माँग की निन्दा करते हुए लिखा :—

" To concede to minorities, either of language or religion, or to any fractions of a population the right of withdrawing from the community to which they belong because it is their wish or their good pleasure, would be to destroy order and stability within state and to inaugurate anarchy in international life."

फ़िनलैण्ड श्वेत-सागर (White Sea) के एक बन्दरगाह पर अपना अधिकार चाहता था। इस पर कुछ दिनों तक रूस और फ़िनलैण्ड में बहुत झगड़ा रहा। परन्तु अन्त में रूस की उदार सरकार ने डोरवट की सन्धि द्वारा १४ अक्टूबर, १९२० को फ़िनलैण्ड से सन्धि कर ली और पेसचङ्गा की भूमि और बेड़ा खाड़ी के एक बन्दरगाह पर उसका अधिकार मान लिया। परन्तु फ़िनलैण्ड को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वहाँ कोई जङ्गी बेड़े का अड्डा नहीं बनाएगा और ४०० टन से बड़ा जङ्गी जहाज़ नहीं रक्खेगा। इस तरह तैंतीस लाख फ़िनलैण्ड वासियों ने अपना स्वतन्त्र प्रजातन्त्र स्थापित कर लिया।

रूसी सीमा-स्थित राज्यों में फ़िनलैण्ड के बाद दूसरा नाम इस्थोनिया का है। सन् १९१८ में यह प्रदेश जर्मन सेनाओं के अधिकार में था और क़ैसर विलियम उसे किसी तरह जर्मन साम्राज्य में मिला लेने की चिन्ता में थे, परन्तु महायुद्ध के समझौते के बाद फ़िनलैण्ड की तरह यह भी जर्मन सेनाओं को ख़ाली कर देना पड़ा। बहुत दिन पहले से ही इस्थोनिया-निवासी अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का आन्दोलन कर रहे थे और उन्होंने जर्मन सेनाओं के जाने से पहले ही एक 'प्राँविज़नल' सरकार का सङ्गठन कर लिया था। जर्मनी-सेनाओं के बाद देश का शासन इस पूर्व-सङ्गठित परिषद के हाथ में आ गया, परन्तु नवीन प्रजातन्त्र को अभी बोल्शेविकों, जर्मन सेनाओं के पक्षपातियों और व्यक्तिगत आकांक्षावादियों से झगड़ कर अपने अस्तित्व को स्थायी करना था। एक वर्ष से अधिक सारे इस्थोनिया प्रदेश में भयङ्कर अशान्ति रही। इङ्गलैण्ड की सरकार सोवियट रूस से इस समय अत्यन्त भयभीत थी और वह नहीं चाहती थी कि इस्थोनिया में भी सोवियट शासन स्थापित हो जाय, इसलिए उसने इस्थोनिया में अपनी सेनाएँ और शस्त्र भेजे। रूस प्रत्येक को अपना निर्णय आप करने के लिए स्वतन्त्रता की घोषणा कर चुका था, इसलिए उसने इस्थोनिया की भी स्वतन्त्रता मान ली। दिसम्बर और जनवरी, १९१९-२० में रूस और इस्थोनिया के प्रतिनिधियों की एक परिषद हुई और २री फ़रवरी को दोनों देशों में एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। रूस की ओर नार्वा और पीपस झील तक इस्थोनिया की सीमा मान ली गई।

इस्थोनिया के बाद दक्षिण की ओर तीसरा स्थान लटाविया का है। इसकी राजधानी प्रसिद्ध रीगा नगर है। रूस की ११ अगस्त, १९२० की सन्धि द्वारा लटाविया स्वतन्त्र प्रदेश मान लिया गया, परन्तु उसकी सीमाएँ दृढ़ न होने के कारण उसका अस्तित्व बहुत-कुछ अन्य पड़ोसी प्रजातन्त्रों के सहयोग तथा लीग ऑफ़ नेशन्स की रक्षा पर निर्भर है।

लिथूनिया सन् १३८६ तक एक शक्तिशाली स्वतन्त्र प्रदेश था। इस समय यहाँ के राजकुमार का विवाह पोलैण्ड की महारानी जदविगा के साथ हुआ और तब से वह पोलैण्ड से संयुक्त हो गया। पोलैण्ड के प्रभाव से लिथूनिया के जातीय भाव छिप गए और शताब्दियों तक लिथूनिया की शिक्षित जनता तक अपने को 'पोलिस' कहने में अपना गौरव समझती रही। सन् १८८३ में लिथूनिया में राष्ट्रीय भावों की जागृति हुई और तब से फिर लिथूनिया-वासी अपनी स्वतन्त्र सरकार स्थापित करने के लिए आन्दोलन करने लगे। महायुद्ध में जर्मनी फ़ौजों ने लिथूनिया पर क़ब्ज़ा कर लिया और वहाँ जर्मन फ़ौजी शासन क़ायम हो गया। ११ नवम्बर, १९१८ की जर्मन-रूस सन्धि के अनुसार लिथूनिया प्रदेश रूस की सीमा से पृथक हो गया। जर्मनी लिथूनिया को किसी तरह अपने प्रदेश में लाने की चेष्टा ही में था कि महायुद्ध में जर्मनी की हार होने लगी और उसे ११ नवम्बर, १९१८ के समझौते के अनुसार लिथूनिया प्रदेश ख़ाली कर देना पड़ा। यह आश्चर्य की बात है कि जर्मन सेनाएँ जिस समय सब से अधिक मित्र-देशों की भूमि पर क़ब्ज़ा करने में समर्थ हुईं, उस समय एकाएक उसका अधःपतन हुआ और उसे एक प्रकार से मित्र-शक्तियों के हाथों समर्पण कर देना पड़ा। इसका एकमात्र कारण युद्ध-क्षेत्र में अमेरिका का आगमन था। कुछ भी हो, यदि जर्मनी इस महायुद्ध में जीत गया होता तो रूसी सीमा के छहों प्रजातन्त्र स्वतन्त्र राज्य होने के स्थान में जर्मनी साम्राज्य के अन्तर्गत प्रदेश होते।

लिथूनिया के राष्ट्रवादी चुपचाप न थे। रूस की महाक्रान्ति के बाद जब लिथूनिया जर्मन फ़ौजों के क़ब्ज़े में था, तभी उन्होंने एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर ली और उसकी राजधानी विएना में रखना निश्चय हुआ। जर्मनी की सेना के हटते ही रूसी सेना ने लिथूनियनों को विएना से निकाल दिया, परन्तु फिर शीघ्र ही पोलैण्ड की सेना ने रूसियों को वहाँ से निकाल दिया। इस समय पोलैण्ड के राजनीति-विशारद पेडरवस्की ने लिथूनियनों के सामने लिथूनिया और पोलैण्ड का एक संयुक्त सङ्घ स्थापित करने की योजना पेश की। परन्तु लिथूनिया-वासियों ने अपने देश में पोलैण्ड का किसी तरह का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। और विएना के समीप ही लिथूनिया और पोलैण्ड की सेनाओं में मुठभेड़ हो गई। उधर पोलैण्ड और रूसी सेनाओं में भी छिड़ी हुई थी।

जुलाई, १९२० में लाल सेनाओं ने पोलैण्ड के मोर्चों को तोड़ कर विल्ना पर क़ब्ज़ा कर लिया और वारसा नगर तक पहुँच गईं, परन्तु फिर 'मार्ने' में बोल्शेविक सेनाएँ बुरी तरह पिटीं और उन्हें पोलैण्ड ख़ाली कर देना पड़ा। विल्ना के पास फिर लिथूनिया और पोलैण्ड में छिड़ी। स्थिति भयङ्कर देख कर लीग ऑफ़ नेशन्स ने सारे मामले की जाँच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया। उसके निर्णयानुसार स्वाल्की में ७ अक्टूबर, १९२० को समझौता हो गया। पोलैण्ड की सीमा विल्ना के २५ मील दक्षिण की ओर निश्चित कर ली गई, परन्तु इस समझौते के होते ही पुलिस-जनरल जेली-गोवस्की ने फ़ौज की एक टुकड़ी लेकर बिना अपनी सरकार की आज्ञा के ही निश्चित सीमा को पार किया और विल्ना पर क़ब्ज़ा कर लिया। इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में एक भयङ्कर समस्या उपस्थित हो गई। लीग ऑफ़ नेशन्स ने एक कमीशन भेजा और विल्ना पर अधिकार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सेना भेजना चाहा परन्तु स्विटज़रलैण्ड की सरकार ने उसे अपने प्रदेश में होकर जाने से रोक दिया। इससे सेना भेजने का विचार छोड़ दिया गया। लीग ऑफ़ नेशन्स के कमिश्नर मिस्टर हीमेन चाहते थे कि विल्ना लिथूनिया को दे दिया जाय। परन्तु उसे पोलैण्ड के साथ इस तरह संयुक्त कर दिया जाय, जिसमें लिथूनिया के सभी आन्तरिक अधिकार स्वरक्षित रहें। परन्तु पोलैण्ड और लिथूनिया दोनों में से किसी ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। अन्त में लीग ऑफ़ नेशन्स यह कह कर कि जिस तरह वे चाहें, स्वयं अपना फ़ैसला कर लें, हाथ झाड़ कर अलग खड़ी हो गई।

जनवरी १९२२ में विल्ना ज़िले में एक व्यवस्थापक परिषद् का चुनाव हुआ और इसने निश्चय किया कि विल्ना पोलैण्ड के प्रजातन्त्र में ही संयुक्त रहे। अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी विल्ना पर पोलिस प्रजातन्त्र का अधिकार मान लिया गया और लिथूनिया को अपनी राजधानी कोनवो में हटा लेनी पड़ी।

पोलैण्ड सत्रहवीं शताब्दी तक एक स्वतन्त्र राष्ट्र था और सन् १६८३ में तुर्कों को हरा कर उसने यूरोप में अपनी अच्छी धाक जमा ली थी। परन्तु फिर वहाँ के सरदारों और रईसों की स्वार्थ-साधना के कारण गृह-कलहों से उसकी शक्ति कमज़ोर होती जाती थी। पोलैण्ड में बहुत दिनों से राजा के चुनाव होने की प्रथा थी, परन्तु चुनाव की असली शक्ति प्रजा के हाथ में नहीं, सरदार लोग जिसे चाहते थे वही राजा चुन लिया जाता था। हम बिना किसी अत्युक्ति के यह कह सकते हैं कि राजा के स्थान में शासन की बागडोर सरदारों के हाथों में थी। ये प्रजा पर मनमाने अत्याचार करते थे और ग़रीबों और किसानों को ख़ूब पीसा जाता था, जिससे वे ऐसे शासन से उकता गए थे।

इस असन्तोष का लाभ उठा कर रूस ने अपना पञ्जा पोलैण्ड में बढ़ाना शुरू किया। राजा आगस्टस तृतीय की मृत्यु के बाद ही रूस को अपनी आकांक्षा पूरी करने का अवसर मिला और उसने अपने कृपा-पात्र स्टेनलास को पोलैण्ड का राजा चुनवा दिया। इस तरह पोलैण्ड पर एक प्रकार से रूस का ही अधिकार हो गया। पोलैण्ड के बँटवारे में ऑस्ट्रिया भी सम्मिलित होना चाहता था। रूस और तुर्कों में युद्ध छिड़ते ही उसे भी अवसर मिल गया और उसने पोलैण्ड की बहुत सी ज़मीन दबा ली। अन्त में रूस में और ऑस्ट्रिया में समझौता हो गया और रूस ने पोलैण्ड का कुछ भाग ऑस्ट्रिया को देकर बाक़ी आप हड़प लिया। इस तरह पोलैण्ड-वासियों की स्वतन्त्रता पर पहला प्रहार हुआ।

जिस जगह साहब मिलें, बस बन्दगी कर लीजिए !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

चलते-फिरते क़द्र अच्छे वक़्त की कर लीजिए !
कोई डिगरी लेके, फ़ौरन नौकरी कर लीजिए !!
चार दिन की ज़िन्दगी में, आपको है अख़्तियार !
दोस्ती कर लीजिए, या दुश्मनी कर लीजिए !!
क़स्द होता है यही, हालाते-आलम देख कर !
खा के कुछ सो जाइए, या ख़ुद कुशी कर लीजिए !!
ख़ल्क़ में बेकार रहने का नतीजा कुछ नहीं,
लीडरी का है ज़माना, लीडरी कर लीजिए !
कोर्ट, स्टेशन, कलब, सरकस की है तख़सीस क्या !
जिस जगह साहब मिलें, बस बन्दगी कर लीजिए !
हज़रते "बिस्मिल" न होंगी दोनों बातें एक साथ !
नौकरी कर लीजिए, या शायरी कर लीजिए !!

*   *   *

पोलैण्ड में पराधीन होने पर भी, स्वाधीनता के भाव नष्ट न हुए थे। सन् १७८७ में रूस और तुर्की में फिर लड़ाई शुरू हुई और पोलों को अपनी स्वाधीनता की घोषणा करने का अवसर मिला। उन्होंने रूस के आधिपत्य का जुआ उतार फेंका और प्रशा से सन्धि कर ली। अपनी आन्तरिक शासन-प्रणाली में बहुत-कुछ सुधार किए और सरदारों की निरङ्कुशता भी कम कर दी। परन्तु साथ ही स्थायी राजतन्त्र की स्थापना स्वीकार कर ली गई। रूस, तुर्की-युद्ध से मौक़ा पाते ही फिर पोलैण्ड पर टूट पड़ा और प्रशा भी पोलैण्ड की सहायता करने के स्थान में रूस के साथ हो गया। पोलैण्ड के नए शासकों को फिर आत्म-समर्पण करना पड़ा। और अब की बार फिर पोलैण्ड को रूस और प्रशा ने आपस में बाँट लिया।

इस तरह पराजित होने पर भी पोलैण्ड के देशभक्त हताश न हुए और उन्होंने कोसिस्को के अधीन फिर एक राष्ट्रीय दल तैयार किया। रूस और प्रशा की सम्मिलित शक्ति के आगे इस दल का सफल होना अत्यन्त कठिन था। वारसा नगर में वीरतापूर्वक लड़ कर राष्ट्रीय दल ने हार स्वीकार की और कोसिस्को गिरफ़्तार कर लिया गया। सन् १७९५ में पोलैण्ड का तीसरा बटवारा हुआ और इसमें रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा हिस्सेदार हुए। इस तरह पोलैण्ड की स्वाधीनता बहुत समय के लिए छिन गई।

पोलैण्ड का तीन चौथाई भाग रूस के अधिकार में आ गया था, परन्तु उस समय पोल जाति के भावों का विचार करते हुए रूस ने उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए और वहाँ वैध शासन स्थापित किया। पर यह क्रम अधिक दिन तक न चला और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही ज़ार ने पोल लोगों की स्वतन्त्रता पर आघात करना प्रारम्भ कर दिया। उसने समाचार-पत्र और पुस्तकों पर रोक लगाने के लिए नए क़ानून बना दिए और स्वतन्त्र आलोचना के दण्ड-स्वरूप कई पत्रों को बन्द कर दिया। ज्यों-ज्यों निरङ्कुशता का शासन बढ़ता गया, पोलों में असन्तोष की आग भीतर ही भीतर धधकने लगी। गुप्त समितियाँ बनीं और सरकार को उलट देने का प्रयत्न किया गया। सन् १८३० की फ़्रान्स की राज्य-क्रान्ति से पोलों में राष्ट्रीय भावों का प्रवाह और भी ज़ोरों से बहने लगा और स्वातन्त्र्य आन्दोलन का चक्र भी ज़ोरों से चलने लगा। इसी समय शासकों ने फ़्रान्स के क्रान्तिकारियों के विरुद्ध पोल सेना को भेजने का निश्चय किया। उनका दूसरा मतलब यह भी था कि पोल सेना के देश से बाहर चले जाने पर राष्ट्रीय आन्दोलन को सहज ही कुचला जा सकेगा। पोलों ने इसका घोर प्रतिवाद किया। २९ नवम्बर, १८३० को राजधानी में विद्रोह की आग भड़क उठी। पोलैण्ड का राज-प्रतिनिधि शहर से भाग गया। विद्रोहियों ने वारसा पर क़ब्ज़ा कर लिया और चारों ओर उनकी शक्ति बढ़ने लगी।

इधर ज़ार ने विद्रोहियों से समझौता करने की बातचीत शुरू की और दूसरी ओर अपनी सेना की तैयारी में भी लगा रहा। विप्लववादियों में इस समय पूर्ण एकता की बड़ी आवश्यकता थी, पर समझौते के विषय को लेकर उनमें घोर मतभेद पैदा हो गया। पुराने रूढ़ियों के भक्त—सरदार और उमरा लोग शासन में केवल कुछ सुधार चाहते थे, परन्तु नवीन युवकों का दल देश को ग़ुलामी से बिलकुल स्वतन्त्र करना चाहता था। ज़ार ने दोनों दलों के मतभेद का पूरा फ़ायदा उठाया और स्वतन्त्रतावादियों ने उन पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। साथ-साथ व्यवस्थापिका सभा और अन्य जो भी सुधार मिले हुए थे, वे वापस कर लिए गए। विद्रोह का बड़ी कड़ाई के साथ दमन किया गया, देश-भक्त कार्यकर्ता चुन-चुन कर साइबेरिया में जलावतन कर दिए गए, राष्ट्रीय सेना तोड़ दी गई और बड़े-बड़े पदों पर पोलों के स्थान पर रूसी कर्मचारी नियुक्त किए गए।

इसके बाद कुछ वर्षों तक शान्ति रही। पर घोर दमन के बाद भी पोलों की राष्ट्रीय भावनाएँ नष्ट न हुईं। ऊपर से आन्दोलन की प्रगति में रुकावट पड़ने से वह अब भीतर ही भीतर काम करने लगी। शीघ्र ही एक "ख़ूनी दल" स्थापित हो गया और उसने कई राज्य-कर्मचारियों को मार डाला और वायसराय पर भी आक्रमण किया! इससे शासकों ने कुपित होकर बहुत सी गिरफ़्तारियाँ कीं, अनेक लोग जङ्गलों में भाग गए और वहाँ अपना दल सङ्गठित करके सरकार के प्रति विद्रोह करने लगे। वे अवसर पाने पर सरकारी ख़ज़ाने को लूट लेते और जङ्गलों में छिप जाते। पर यह आन्दोलन अधिक दिन तक न चला।

शताब्दियों की पराधीनता और दमन भी पोल जाति के स्वातन्त्र्य भावों को नहीं कुचल सकी। रूस ने उन्हें अपनी राष्ट्रीयता में ढालने और उनकी भाषा की जगह अपनी भाषा प्रचलित करने का भरपूर प्रयत्न किया, परन्तु अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी उन्होंने अपनी भाषा की रक्षा की और रूसी संस्कृति को कभी स्वीकार नहीं किया। उनमें राष्ट्रीय भाव इतने उग्र रूप से घर किए हुए हैं कि जब महायुद्ध के बाद उनकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली गई, तो उन्होंने प्रत्येक रूसी चिह्न को अपने देश से नष्ट कर दिया। रूस ने अपने शासन-काल में वारसा में एक विशाल और सुन्दर महल बनवाया था। सार्वजनिक मत इस बात के विरुद्ध था कि पोल की परतन्त्रता का यह चिन्ह रहने दिया जाय, इसलिए पोल सरकार ने सन् १९१४ में उसको गिरा कर चौरस बना दिया और पहले की तरह वह भूमि सेनाओं की क़वायद के लिए नियत कर दी।

सन् १९१४ में यूरोप में महायुद्ध का अग्नि-काण्ड प्रारम्भ आ। रूस ने पोलैण्ड को महायुद्ध के बाद एक स्वतन्त्र राज्य बनाने की घोषणा करते हुए कहा :—

"पोलो! अब समय आ गया है, कि तुम्हारे पूर्वजों का पवित्र स्वप्न पूर्ण हो। डेढ़ सौ वर्ष पहले उसका मांस नोचा गया था, परन्तु उसकी आत्मा अब तक जीवित रही है। अब उन सीमाओं ने, जिन्होंने पोलैण्ड राष्ट्र को विभक्त कर रक्खा है, नष्ट हो जाना चाहिए, और रूसी सम्राट की संरक्षता में एक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए।"

पोलैण्ड ने मित्र-शक्तियों का साथ दिया पर महायुद्ध के समाप्त होने से पहले ही रूस उससे पृथक हो गया और उसने जर्मनी से एक पृथक सन्धि कर ली। यदि तराज़ू का रुख़ न पलटता और विजय-मुकुट जर्मनी के माथे रहता तो इसमें सन्देह नहीं कि रूस की जगह पोलैण्ड पर जर्मनी का आधिपत्य हो जाता। जर्मनी पराजित हुआ और रूस में सोवियट सरकार की स्थापना हुई, जो यूरोप की सारी शासन-प्रणाली के विरुद्ध थी। इङ्गलैण्ड और फ़्रान्स पोलैण्ड से बहुत दूर थे। इसलिए पोलैण्ड में उनके अधिकार की सम्भावना हो नहीं सकती थी। फलतः सन् १९१९ की सन्धि द्वारा पोलैण्ड के प्रजातन्त्र का अस्तित्व मान लिया गया। इस तरह डेढ़ करोड़ पोलों ने दो शताब्दी की ग़ुलामी के बाद फिर स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली।

पोलैण्ड में प्रजातन्त्र की स्थापना तो हो गई, परन्तु उसे अभी कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना था। उसके सामने पहला प्रश्न उसकी सीमाओं का निर्धारित करना था और इस प्रश्न पर अभी उसकी रूस से छिड़ी हुई थी। अगस्त, १९२० में रूसी सेनाओं ने आगे बढ़ कर वारसा पर क़ब्ज़ा कर लिया, परन्तु क्रान्ति के कारण उसका सैनिक सङ्गठन इस समय बहुत बिगड़ा हुआ था, इसलिए फिर शीघ्र ही पीछे हटना पड़ा। १८ मार्च, १९२१ को रूस और पोलैण्ड में अन्तिम समझौता हो गया। पोलैण्ड ने उक्रेन और व्हाइट रुथेनिया की स्वाधीनता स्वीकार कर ली और उक्रेन के पश्चिमी ओर पोलैण्ड की सीमा भी नियत हो गई। रूस ने पोलैण्ड को तीन करोड़ रूबल दिए तथा पोलैण्ड ने किसी तरह का हस्तक्षेप न करने या कोई प्रचार न करने का वादा किया।

सन् १९१९ से १९२३ तक पोलैण्ड की प्रजातन्त्र सरकार अपनी सीमाएँ निर्धारित कराने और अन्य सरकारों से समझौते द्वारा अपने अन्य अधिकारों के स्वरक्षित कराने में लगी रही। इसमें उसे पूरी सफलता मिली। लिथूनिया से उसे विल्ना नगर और पूर्वीय ग्लेसिया मिल गया और पूर्व और पश्चिम प्रशा के बीच का प्रदेश, जहाँ उसके समुद्र का निकास है, जर्मनी से प्राप्त कर लिया। मार्च, १९२१ में उसने रूमानिया से भी सन्धि कर ली, जिसमें दोनों ने निश्चय किया कि अगर कोई तीसरी शक्ति उनमें से किसी पर भी आक्रमण करेगी, तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे।* फ़्रान्स के साथ भी फ़रवरी, १९२१ को एक समझौता हुआ कि दोनों सरकारें वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में एक-दूसरे से सलाह-मशविरा कर लिया करें। सम्भवतः फ़्रान्स और पोलैण्ड में कोई सेना सम्बन्धी समझौता भी हुआ, पर वह प्रकाशित नहीं हुआ।

इस तरह पोलैण्ड का प्रजातन्त्र यूरोप में अपना अच्छा महत्व रखता है। महायुद्ध के परिणाम-स्वरूप जर्मनी को ४० लाख मनुष्यों से बसे हुए प्रदेश से हाथ धोना पड़ा और ऑस्ट्रिया तो एक तरह से नष्ट ही हो गया। उससे ३ करोड़ ९० लाख मनुष्यों से बसे हुए प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। विधाता की इच्छा!

* *League of Nations, Treaty Series, Vol. vii, p. 78.*

*　　*　　*

बधाई

साहित्याचार्य पं० गयाप्रसाद जी, शास्त्री "श्री हरिः" लिखते हैं :—

आपका "भविष्य" नियमपूर्वक बराबर आ रहा है। मैं भी अपने इष्ट-मित्रों में तथा मरीज़ों में आपके "भविष्य" का बड़े प्रेम से प्रचार कर रहा हूँ। इसके सिवाय मैं और आपकी सेवा ही क्या कर सकता हूँ। वास्तव में आपने "भविष्य" निकाल कर पत्रकारों के लिए सफल सम्पादन-कला का एक जीता-जागता आदर्श संसार के सामने रख दिया है। जो कुछ भी हो, आपकी सम्पादन-कला-कुशलता तथा दूरदर्शिता की प्रशंसा तो आपके विपक्षियों को भी करनी पड़ती है। आपकी इस अपूर्व प्रतिभा के लिए बधाई!

*　　*　　*

देश के राजनैतिक रङ्गमञ्च पर

श्रीमती अम्बालाल साराबाई

आप गुजरात कॉङ्ग्रेस कमिटी की 'डिक्टेटर' हैं। आपको हाल ही में एक हज़ार रुपया जुर्माने की सज़ा दी गई थी।

कुमारी पेड्डा कामेश्वरमा, बी० ए०

आप पूर्वीय गोदावरी कॉङ्ग्रेस कमिटी की प्रेज़िडेण्ट निर्वाचित हुई हैं।

मुज़फ़्फ़रपुर के प्रसिद्ध वकील बाबू अमरनाथ खन्ना के १८ वर्षीय भतीजे—श्री० सुन्दर लाल खन्ना जो हाल ही में पुलिस के डण्डों से आहत होकर बेहोश तक हो गए थे।

श्रीमती कीकीबेन छबीलदास

आप कराची 'युद्ध-समिति' की 'डिक्टेटर' थीं, जो हाल में गिरफ़्तार कर ली गई हैं।

पं० हरीकृष्ण गौड़

आप देहरादून के उत्साही कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता हैं। हाल ही में आपको तीन मास की क़ैद की सज़ा दी गई है।

बम्बई के कॉङ्ग्रेस फ़्री अस्पताल के उत्साही डॉक्टरों, नर्सों और वालण्टियरों का ग्रूप; जो सत्याग्रह-संग्राम में देश की अपरिमित सेवा कर रहे हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

कुमारी रुद्राणी अम्मा

आप आर्य-वंशोद्धारिणी महासभा की महा-मन्त्रिणी हैं। आप हाल ही में ट्रावङ्कोर एसेम्बली की सदस्या भी चुनी गई हैं।

कुँवरानी महाराजसिंह साहिबा

आप इलाहाबाद डिवीज़न के सुविख्यात कमिश्नर कुँवर महाराजसिंह जी की धर्मपत्नी हैं। आप हाल ही में इलाहाबाद विश्व-विद्यालय-कोर्ट की सदस्या नियुक्त हुई हैं।

श्रीमती कमला बाई किबे

आप इन्दौर के रावबहादुर एस० वी० किबे की धर्मपत्नी हैं, जो ऐतिहासिक रेकॉर्ड कमीशन की सदस्या नियुक्त हुई हैं।

भारत के कुछ सुप्रसिद्ध सङ्गीताचार्यों का ग्रूप

(जो हाल ही में होने वाले प्रयाग विश्वविद्यालय के सङ्गीत कॉन्फ्रेन्स में आमन्त्रित किए गए थे)

कुर्सी पर बैठे हुए बाईं ओर से—श्री० वी० एन० ठाकर, श्री० शिवप्रसाद, श्री० बीरू मिश्र, श्री० रियाज़उद्दीन, श्री० नसीरउद्दीन, श्री० सख़ावत ख़ाँ, श्री० सखाराम और श्री० आर० के० पटवर्द्धन।

सामने बैठे हुए—ग्वालियर के सुप्रसिद्ध गायक मास्टर केशवराव लक्खी।

खड़े हुए, बाईं ओर से तीसरे—'चाँद' के 'सङ्गीत सौरभ' शीर्षक स्तम्भ के सम्पादक और युक्त-प्रान्त के सुप्रसिद्ध सङ्गीताचार्य—श्री० किरणकुमार मुखोपाध्याय (नीलू बाबू)

प्रयाग विश्वविद्यालय के सङ्गीत कॉन्फ्रेन्स के निर्णायक—बैठे हुए—(बाईं ओर से) श्री० कृष्णविहारी लाल, प्रोफ़ेसर श्रीरञ्जन, डॉक्टर डी० आर० भट्टाचार्या (स्वागतकारिणी समिति के प्रधान) श्री० एस० एन० बसु , रायसाहब पण्डित सत्यानन्द जोशी (आप ही युक्त प्रान्त में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के प्रधान सरकारी-रिपोर्टर हैं) श्री० आर० सी० रॉय और प्रोफ़ेसर डी० ओझा

प्रयाग विश्वविद्यालय के सङ्गीत कॉन्फ्रेन्स के सफल सङ्गीतज्ञों का ग्रूप (जो पुरस्कृत किए गए थे)

देश के राजनैतिक रङ्गमञ्च पर

वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने वाली और जेल जाने वाली नागपुर की सर्व-प्रथम मारवाड़ी-ब्राह्मण महिला—श्रीमती गङ्गाबाई चौबे—जिन्होंने दो बार लगभग १५ हज़ार जन-समूह का नेतृत्व ग्रहण करके, नागपुर ज़िले में दो बार जङ्गल-क़ानून तोड़ा है। इस समय आप जेल में हैं। आपके साथ अन्य सात महिलाएँ भी पकड़ी गई थीं।

पञ्जाब के सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता और 'कीरती' नामक सुप्रसिद्ध पत्र के भूतपूर्व सम्पादक—सर्दार अर्जुनसिंह जी गड़गज—जो अब तक चार बार अपने राजनैतिक सिद्धान्तों के लिए जेल-यात्रा कर चुके हैं।

कैरा ज़िले की 'वार-कौन्सिल' की सर्व-प्रथम महिला 'डिक्टेटर'—श्रीमती भक्तिलक्ष्मी गोपालदास—जो इस समय जेल में हैं। आपको छः मास का कारावास-दण्ड और २००) रु० जुर्माने की सज़ा दी गई है। जुर्माना न देने पर १½ मास की सज़ा और भुगतनी पड़ेगी।

बङ्गाल के सुप्रसिद्ध एवं वयोवृद्ध सिक्ख नेता—बाबा गुरुदत्तसिंह जी—जिन्हें अपने राजनैतिक सिद्धान्त के लिए अपने जीवन का अधिकांश भाग जेल में ही व्यतीत करना पड़ा है; इस समय भी आप जेल ही में हैं।

खड़े हुए—करेला के उत्साही राजनैतिक कार्यकर्ता—श्री० एम० वी० रामकृष्ण, बी० ए०—जिन्होंने वकालत की पढ़ाई छोड़ कर, करेला ज़िले में केवल स्वदेशी और खद्दर-प्रचार का व्रत लिया है।

बैठे हुए—कालीकट से प्रकाशित होने वाले "स्वाभिमानी" नामक पत्र के सम्पादक—श्री० ए० के० कुन्नी कृष्णानम्बियर—जिन्हें दफ़ा १४४ की उपेक्षा करने के कारण ६ मास का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया है।

फ़र्रुख़ाबाद कॉङ्ग्रेस कमिटी के उप-सभापति और ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के उप-मन्त्री—पं० भजनलाल जी पाण्डेय, विशारद—जिन्हें नमक-क़ानून तोड़ने के अपराध में ६ मास का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया था। आप हाल ही में फ़ैज़ाबाद जेल से छूट कर आए हैं।

उम्र सारी तो कटी इश्क़े-बुताँ में 'मोमिन' !
आख़िरी वक़्त में क्या ख़ाक मुसल्माँ होंगे !
बुतकदे से यह भला जायँगे मस्जिद की तरफ़ !
होके हिन्दू कभी 'बिस्मिल' न मुसल्माँ होंगे !

तू कहाँ जायगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले,
हम तो, कल ख़्वाबे[1]-अदम में, शबे[2] हिजराँ होंगे।
एक हम हैं, कि हुए ऐसे पशेमान[3] कि बस,
एक वह हैं, कि जिन्हें चाह के अरमाँ होंगे !
हम निकालेंगे, सुन ऐ मौजे-हवा ! बल तेरा,
उनकी ज़ुल्फ़ों के, अगर बाल परेशाँ होंगे।
फिर बहार आई, वही दश्त[4] नवरदी होगी,
फिर वही पाँव, वही ख़ारे मुग़ीलाँ[5] होंगे
उम्र सारी तो कटी, इश्क़े बुताँ में 'मोमिन' !
आख़िरी वक़्त में, क्या ख़ाक मुस्लमाँ होंगे !

—"मोमिन" देहलवी

अपने ही जलवे से, ख़ुद सर ब-गरेबाँ[6] होंगे,
तोड़ कर शीशए-दिल, वह भी पशेमाँ होंगे !
अपनी क़ूव्वत का है, एहसास[7] जिन्हें आलम[8] में,
फिर वह क्यों ग़ैर के, शरमिन्दए-एहसाँ होंगे ?
देख ऐ क़ूव्वते-दिल, ज़ौक़े[9] नज़र पैदा कर,
परदए-बर्क़[10] से, वह आज नुमायाँ[11] होंगे !
नूर[12] ही नूर है, हर सिम्त[13] जहाँ में "अख़गर",
और क्या दाग़े-जिगर तेरे फ़रोज़ाँ[14] होंगे ?

—"अख़गर" लखनवी

किससे परदा है यह, और किस लिए परदा है यह
जलवे पिनहाँ[15] न हुए, और न पिनहाँ होंगे।
आज निकले दिले-वीराँ[16] से तुम्हारे "अरमान"
अब ख़ुदा जाने, कहाँ जा के यह मेहमाँ होंगे !

—"अरमान" कानपुरी

जलवए हुस्ने-अज़ल,[17] आप तसव्वर[18] में अगर
गोशए[19] दिल में, मचलते हुए अरमाँ होंगे !

—"आफ़ताब" पानीपती

किस तरह हिज्र में, पूरे मेरे अरमाँ होंगे,
वह तो जब पूछिए, कह देते हैं, "हाँ-हाँ होंगे।"
कूचए ज़ुल्फ़ में, जाते तो हैं "आशुफ़्ता" जिगर
याद रक्खें ; कहे देते हैं, परेशाँ होंगे !

—"आशुफ़्ता" अकबराबादी

बाद मरने के भी, जाएगा न यह जोशे-जुनूँ,
ख़ाक में दफ़्न, मेरे दिल के न अरमाँ होंगे !
दाग़े-दिल, लाल ओ गुल, बन के ज़मीं पर रह जाएँ
आसमाँ पर यह मगर, अख़्तरे[20] ताबाँ होंगे।

—"इन्द्र" माछरवी

अपने वहशी को, न छेड़ो कि अभी सोता है,
जाग उट्ठेगा, तो फिर हश्र के सामाँ होंगे !

—"बह्र" मुज़फ़्फ़रनगरी

निगहे-नाज़ के, होंगे तो यह एहसाँ होंगे,
दिल के टुकड़े कहीं होंगे, कहीं पैकाँ[23] होंगे !
अश्क[24] आँखों में, न दिल में मेरे अरमाँ होंगे,
जिन घरों पर है मुझे नाज़, वह वीराँ होंगे !
रञ्जो-ग़म क्यों मेरे घर आए हैं, क्या अर्ज़ करूँ ?
मेज़बाँ[25] होंगे, ख़ुदा जाने, कि मेहमाँ होंगे !
नींद कुछ मौत नहीं है, जो न आएगी हमें,
हम कोई ख़्वाब नहीं हैं, जो परेशाँ होंगे !

—"जोया" बरेलवी

काम हम सब्रो तहम्मुल[26] से, लिए जायँगे,
शिकवए[27] जौर[28] न लब पर, किसी उनवाँ[29] होंगे !

—"शाकिर" ग्वालियारी

आप के तीरे-नज़र, दिल में जो मेहमाँ होंगे,
दर्दे-दिल के लिए, मेरे वही दरमाँ[30] होंगे।

—"शमशाद" देहलवी

छुप नहीं सकते कभी सोज़े[31] निहाँ के शोले,
ख़ुदबख़ुद दाग़ मेरे, दिल के नुमायाँ होंगे !

—"सिद्दीक़" देहलवी

क्या ख़बर थी, कि मुहब्बत में यह सामाँ होंगे,
दिल में रह कर, वह मेरी जान के ख़्वाहाँ[32] होंगे !
ज़ब वफ़ाकेश,[33] दिखा देंगे उन्हें शाने वफ़ा,
वह सितमगर[34] ही सही, फिर भी पशेमाँ होंगे !
यह हैं उस दुश्मने उश्शाक़[35] के गेसू[36] "फ़रहाद",
जिस क़दर आप सँवारेंगे, परेशाँ होंगे।

—"फ़रहाद" शाहजहाँपुरी

हम हैं ख़ामोश, मगर दिल से सदा[37] उठती है,
देके दिल आपको, हम दिल में पशेमाँ होंगे !

—"क़ौमपरस्त" देहलवी

फ़र्क़ परवानों में, और हममें नुमायाँ होंगे,
वह जले आग में, हम आप पे क़ुर्बां होंगे !
तुम सलामत रहो, वादों के भुलाने वाले,
सैकड़ों मरतबा यह अह्द,[38] यह पैमाँ[39] होंगे !
आज पीते हैं, घटा आई है घिर कर ज़ाहिद,[40]
कल किसी वक़्त ख़ुलेगा तो मुस्लमाँ होंगे !

—"शौकत" थानवी

दिल लरज़ जायगा, बाल उनके परेशाँ होंगे,
इश्क़ में यूँ भी, मेरी मौत के सामाँ होंगे !
आपके तीर, जो पैवस्ते[41] रगे-जाँ होंगे,
वही हसरत कभी होंगे, कभी अरमाँ होंगे !
और क्या इसके अलावा, हमें अरमाँ होंगे,
तेरे सदक़े[42] कभी होंगे, कभी क़ुर्बां होंगे !
कुछ उजाला, कुछ अँधेरा नज़र आएगा हमें,
चाँदनी रात में, बाल उनके परेशाँ होंगे !
सामने आयगी, जज़बाते[43] वफ़ा की तस्वीर,
जब असीराने[44] क़फ़स महवे[45] गुलिस्ताँ[46] होंगे !
चैन उलफ़त में, मुझे मरके भी आने का नहीं,
यह घने बाल तुम्हारे जो परेशाँ होंगे !
दिल से थम-थम के, ज़रा खींचने वाले खींचे,
एक-एक तीर में, लिपटे हुए अरमाँ होंगे !
आइना सामने रक्खा है, खुली हैं ज़ुल्फ़ें,
देख कर हम उन्हें, हैरानो-परेशाँ होंगे !
बुत्कदे[47] से यह भला जायँगे मसजिद की तरफ़,
होके हिन्दू, कभी "बिस्मिल" न मुस्लमाँ होंगे !

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१—मौत की नींद, २—विरह की रात, ३—लज्जा, ४—जङ्गल में फिरना, ५—बबूल के काँटे, ६—ग़ौर करने वाले, ७—ख़्याल, ८—संसार, ९—मज़ा, १०—बिजली, ११—रोशन, १२—ज्योति, १३—तरफ़, १४—रोशन, १५—छुपा हुआ, १६—बरबाद, १७—आदि, १८—ध्यान, १९—कोना, २०—तारा, २१—रोशन, २२—प्रलय,

२३—तीर या बरछी की भाल, २४—आँसू, २५—जिसके घर मेहमान रहे, २६—सन्तोष, २७—गिला, २८—ज़ुल्म, २९—तरह, ३०—दवा, ३१—छुपी हुई आग, ३२—गाहक, ३३—वफ़ा करने वाला, ३४—ज़ालिम, ३५—चाहने वाले ३६—बाल,

३७—आवाज़, ३८—इक़रार, ३९—वादा, ४०—परहेज़गार, ४१—मिलना, ४२—निछावर, ४३—ऊँचे भाव, ४४—क़ैदी, ४५—मस्त, ४६—बाग़, ४७—मन्दिर,

फ़ारस के वर्तमान शासक रज़ाशाह के आदर्श

"विदेशी विनियन्त्रण से तो बोलशेविज़्म भी बेहतर है"

[हाल ही में रोज़िटाफ़ॉरबीज़ नामक एक प्रसिद्ध लेखक ने फ़ारस के शाह से भेंट की थी। उसमें उन्होंने शाह से जो बातचीत की थी, उसका कुछ महत्वपूर्ण अंश पाठकों के मनोरञ्जनार्थ नीचे दिया जाता है। —सं० 'भविष्य']

कुछ दिन हुए मैंने फ़ारस के वर्तमान शासक रज़ाशाह से भेंट की थी। वे उस समय अपने ग्रीष्म-काल के महल में थे, जिसका नाम "सादाबाग़" है। शाह एक कुरसी पर बैठे हुए थे। सामने एक बहुत सुन्दर मेज़ रक्खी हुई थी, जिस पर हाथी-दाँत और सीप का बारीक काम किया हुआ था। वे महल के जिस कमरे में मुझसे मिले, उसमें भी रङ्गीन लकड़ी का बहुत ही ख़ूबसूरत काम बना हुआ था। फ़ारस की यह कारीगरी तो बहुत प्रसिद्ध है। और देशों में ऐसा नफ़ीस और ख़ूबसूरत काम बहुत कम पाया जाता है। फ़ारस के विषय में शाह ने मुझसे जो सब से पहिली बात कही, वह यह थी कि—"फ़ारस के निवासियों को चाहिए कि अब वे विदेशियों की सहायता लिए बिना अपना काम चलाना सीखें। मैं आशा करता हूँ कि मैं यह कार्य शीघ्र ही कर सकूँगा। प्रायः पाँच वर्षों में मैं फ़ारस-निवासियों को उस हद तक पहुँचा दूँगा, जब कि उन्हें राज-कार्य चलाने के लिए विदेशी पदाधिकारियों की आवश्यकता न पड़ेगी। उस समय तक मैं देश के भिन्न-भिन्न विभागों में काम करने वाले सब विदेशी अधिकारियों को भी हटा सकूँगा।" आजकल कई जर्मन, बेलजियन तथा अङ्गरेज़ शाह के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं। रज़ाशाह यह प्रयत्न कर रहे हैं कि यह कार्य फ़ारस-निवासी ख़ुद कर सकें। इसके लिए उन्हें इन विभागों में शिक्षा दी जा रही है। शीघ्र ही वे अपने देश काम ख़ुद कर सकेंगे। फिर विदेशियों को नौकर रखने की कोई ज़रूरत न रहेगी। कुछ सोच कर शाह फिर बोले—"फिर भी हमें ख़ास-ख़ास काम के लिए तो विदेशी विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी ही। कृषि, विज्ञान, उद्योग तथा अन्य राष्ट्रोन्नति के कार्यों में तो हमें दक्ष पुरुषों से सहायता लेनी ही पड़ेगी। परन्तु मैं यह प्रयत्न कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके, फ़ारस के निवासी अपना काम ख़ुद ही चला सकें। फ़ारस-निवासियों को इस विषय में काफ़ी अनुभव भी है। एक समय ऐसा था, जब कि वे एक महान साम्राज्य का शासन करते थे।"

मैंने शाह से पूछा—क्या इस देश में बोलशेविज़्म फैलने का डर है?

शाह ने बड़ी उत्सुकता से उत्तर दिया—नहीं-नहीं, बोलशेविज़्म का तो हमें ज़रा भी भय नहीं है। यहाँ के कई लोग बाकू तक जा चुके हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि साम्यवादी सरकार के शासन में रूस की आर्थिक अवस्था कितनी ख़राब हो गई है। वे यह कभी न चाहेंगे कि हमारी वर्तमान सरकार की जगह साम्यवादी सरकार स्थापित की जावे। फिर फ़ारस-निवासी स्वभाव से ही शान्त-चित्त होते हैं। उन्हें सामाजिक क्रान्ति पसन्द नहीं है। वे साम्यवाद के सिद्धान्तों से सहमत भी नहीं हैं। वे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा करना चाहते हैं।

मैं बीच में बोल उठा—कुछ दिनों पहिले चीन का भी तो यही हाल था। पर आज चीन का क्या हाल है?

शाह बोले—"चीन और फ़ारस में बहुत अन्तर है। चीन तो धीरे-धीरे विदेशियों के पञ्जे में पड़ रहा था। इस विदेशी विनियन्त्रण के भूत से बचने के लिए इसे केवल एक ही मार्ग था और वह था, बोलशेविज़्म। परन्तु फ़ारस को विदेशी विनियन्त्रण का कोई भय नहीं है।" यह कह कर शाह चुप हो गए। ये बातें उन्होंने बड़ी उत्सुकता से की थीं। थोड़ी देर बाद वे फिर बोले—"संसार में दो सब से बड़े रोग हैं, जिनसे देशों को हरदम बचने का प्रयत्न करना चाहिए। उनमें से पहला है, विदेशी शासन या विनियन्त्रण, और दूसरा साम्यवाद। इनमें भी विदेशी शासन साम्यवाद से भी

वर्तमान ईरान के विधाता रिज़ाअली पहेलवी

बुरा है। और यदि फ़ारस को इन दो मार्गों में से एक किसी को स्वीकार करना पड़ा, तो मैं तो साम्यवाद को बेहतर समझूँगा।"

इसके बाद वे मुझसे कृषि के विषय में बातचीत करते रहे। वे इस विषय पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वे बोले—"हमारे यहाँ एक कृषि-विद्यालय है, जहाँ हम लोग कृषि-सम्बन्धी प्रयोग कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि कुछ दिनों में मैं कृषि के ऐसे विद्वान तैयार कर सकूँगा, जो इस देश के प्रत्येक भाग में दौरा करके लोगों को कृषि-सम्बन्धी उपयोगी बातें बता सकेंगे।

"मैं उद्योग की भी हर प्रकार से उन्नति करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं जल्दी ही कई नए कारख़ाने स्थापित करने वाला हूँ। मैं उनका वर्णन करके आपका समय नहीं नष्ट करना चाहता। परन्तु मेरा विचार है कि मैं स्वदेशी वस्त्र, बनाने के उद्देश्य से इस कार्य सम्बन्धी सब कारख़ाने निर्माण करूँगा। जिससे अज़र बैजान के खेतों से रूई निकालने से लेकर वस्त्र तैयार होने तक की सारी विधियाँ फ़ारस में ही हो सकेंगी। इस वक़्त मैं जो यह ख़ाकी वस्त्र पहिने हुए हूँ, यह फ़ारस का ही बना है। और यदि अगले साल आप यहाँ आए तो यह बहुत ही सम्भव है कि आप मुझे देश के सब से बड़े कारख़ाने में पाएँ। क्योंकि मैंने फ़ारस की औद्योगिक उत्पत्ति की उन्नति करने की ठान ली है। मैं यह चाहता हूँ कि फ़ारस अपनी सारी माँगों को ख़ुद पूरा करे।

"फ़ारस के लोग बहुत आरामतलब हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें कार्यशीलता का पाठ पढ़ाऊँ। वे अब दूसरों पर काफ़ी दिन निर्भर रह चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि वे अब अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। मैं उन्हें हर तरह की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बेहतर तो यह होता कि मैं यह सब शिक्षा यहीं दे सकता, पर इसका पूर्ण प्रबन्ध न होने के कारण मुझे उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में भेजना पड़ता है। पर मैं आशा करता हूँ कि ये लोग यह कभी न भूलेंगे कि प्रत्येक देश की संस्कृति अलग-अलग होती है। यूरोप के देशों की नक़ल करना बेवक़ूफ़ी है। फ़ारस की संस्कृति बहुत पुरानी है। मैं चाहता हूँ कि वे अपने देश की संस्कृति का अनुकरण करते हुए हर प्रकार से अपने देश की उन्नति करने का प्रयत्न करें। इसके लिए उन्हें किसी दूसरे देश की नक़ल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ, वे अपने ढङ्ग के निराले ही हों और अपने देश से प्रेम करते हों।"

मैंने शाह को उनके उत्साहपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी। इस पर वे बोले—"मैंने अभी तक जो कार्य किया है, उससे मुझे ज़रा भी सन्तोष नहीं है। मुझे अभी इतना काम करना है कि मैं उन्हें जल्दी-जल्दी नहीं कर पाता हूँ। मैंने सेना का सुधार सब से पहले किया है। इस तरह मैंने नवीन फ़ारस की नींव डाली है।"

इसके बाद मैंने शाह से बिदा ली। रज़ाशाह साधारण मनुष्य नहीं हैं। अपनी अपूर्व मानसिक शक्ति तथा उद्योगशीलता द्वारा वह फ़ारस में जो सुधार कर रहे हैं, वे फ़ारस को संसार का एक बलिष्ठ राज्य बना देंगे। उनका केवल एक उद्देश्य है और वह है, फ़ारस की उन्नति। इसी उद्देश्य से वे फ़ारस की तमाम जातियों को तथा विभिन्न धर्मावलम्बियों को एकत्र कर इस महान आदर्श की ओर बढ़ा रहे हैं।

* * *

कलामे-गुलज़ार

[श्री० देवीप्रसाद गुप्त "गुलज़ार" बी०ए०,एल्-एल्०बी०]

पूछते हो रोज़ क्यों जाता हूँ बँगलों की तरफ़,
क्या नहीं समझे हो, अब तक पॉलिसी सरकार की?
साल भर से दे रहा हूँ उनको अपनों की ख़बर,
क्यों न देखूँ मैं ख़बर फिर पॉनियर अख़बार की!
शायद उन्हें भी भेज दिया हो, ख़ुदा ने ताज,
ऑनर का 'रोल' देखते हैं शेख़ जी भी आज!
जब ख़ुशामद की सनद उनको अता करने लगे,
हँस के साहब ने कहा, तुम 'रायसाहब' हो गया!!

* * *

धर्म-व्यवसाइयों का नाश

[प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री]

बुद्धिमान भाइयो, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या धर्म भी व्यवसाय की वस्तु है ? क्या धर्म बेचा और ख़रीदा जा सकता है ? क्या यह भण्ड-पाखण्ड नहीं, कि धर्म को एक आदमी पुण्य समझे और दूसरा उसे पैसा पैदा करने का ज़रिया ?

आप सारे हिन्दुस्तान में घूम जाइए, धर्म के व्यवसाइयों की सर्वत्र भरमार है। इन व्यवसाइयों की करोड़ों की आय को देख कर आप कलेजा थाम कर बैठ जायँगे। चाहे और किसी रोज़गार में नफ़ा हो या नुक़सान, पर इसमें नफ़ा ही नफ़ा है। अमीर और ग़रीब लोग, अन्धों और कुबुद्धों की भाँति अपनी गाढ़ी कमाई धर्मखाते लगाते हैं। हज़ारों मन्दिर, हज़ारों क्षेत्र और हज़ारों ठाकुरद्वारे—न जाने कितनी और ऐसी ही संस्थाएँ—इस खाते में खोली गई हैं, और उनका करोड़ों रुपयों का अबाध व्यापार चल रहा है !

आप जाइए प्रयाग के गङ्गा-सङ्गम पर। फूल-बताशे वाला कहता है, एक पैसे के फूल चढ़ा कर पुण्य लूटो। दूध वाला कहेगा, एक पैसे का दूध चढ़ा कर पुण्य लूटो। पर ये लोग स्वयं न एक फूल, न एक बूँद दूध ही चढ़ाते हैं। या तो इन्हें पुण्य लूटने की अपेक्षा पैसा लूटना अधिक प्रिय है और या ये जानते हैं कि इसमें पुण्य-वन्य कुछ नहीं, कोरा ढकोसला है।

हम त्रिवेणी-स्नान को गए। ये लोग डाकुओं और शिकारी कुत्तों की भाँति पीछे पड़ गए। दूध चढ़ाइए गङ्गा माई पर, फूल-बताशे चढ़ाइए यजमान। एक दूध वाला गङ्गा में घुस कर हमारे पास ही आ गया और स्नान में बाधा डाल कर बोला—दूध चढ़ाइए, महाराज !

हमने ग़ुस्सा पीकर कहा—इससे क्या होगा ?

"पुण्य होगा—गङ्गा में दूध चढ़ाना हिन्दू-धर्म है।"

हमने कहा—चढ़ा दो।

उसने ज़रा सी लुटिया में दूध उलट कर कहा—कितना, यजमान !

हमने कहा—उसमें है ही कितना, सब चढ़ा दो।

"दो सेर है बाबू !"

"सब उलट दो।"

बदनसीब ने सारा दूध गङ्गा में बहा दिया। और निश्चिन्त हो घाट पर बैठ, हमारे स्नान की प्रतीक्षा करने लगा। जब हम निवृत्त होकर चलने लगे तो बोला—पैसे दीजिए यजमान ?

"पैसे कैसे ?"

"दूध चढ़ाया था न।"

"फिर बुरा क्या किया था ?"

"तब पैसे दीजिए।"

"पैसे क्यों दें ?"

"आपके कहने से दूध चढ़ाया था।"

"हमारे कहने से पुण्य ही तो किया ? हर्ज़ क्या है ?"

"परन्तु आपके नाम का चढ़ाया गया था।"

"अपने नाम का तुमने क्यों नहीं चढ़ाया ? क्या तुम हिन्दू नहीं हो ?"

"मैं ब्राह्मण हूँ।"

"यदि तुम चढ़ाओ तो पुण्य नहीं होगा ?"

"होगा क्यों नहीं।"

"फिर पुण्य लूटो। पैसे क्या करोगे ? क्या पैसे पुण्य से भी बढ़ कर हैं ?"

हम चल दिए और वह घबरा कर पीछे दौड़ा, बोला—महाराज, पुण्य आप लीजिए, मुझे तो पैसे दीजिए।

"क्यों, क्या पुण्य से तुम्हारा पेट भर गया है ?"

हम और आगे बढ़ गए, तब उसने रास्ता रोका। अन्त में पुलिसमैन को बुला कर हमने उसका विरोध किया।

आप कहेंगे, चार पैसे के लिए ग़रीब को ठग लिया। पर ये जो पीढ़ियों से चार-चार पैसे ठगते चले आ रहे हैं, इसका क्या जवाब है ?

प्रयाग में जाइए—काशी, अयोध्या—जी चाहे जहाँ जाइए। उत्तर, दक्षिण में जहाँ भी तीर्थ हैं, धर्म-व्यवसाइयों को अतिशय दुष्ट, निर्लज्ज, बेईमान, धूर्त, पाखण्डी और गुण्डे पावेंगे।

यदि आपने काशी और गया के पण्डों की गुण्डागिरी देखी है, तो आप समझ जाइए।

तमाम भारतवर्ष में मिला कर १,५०० से ऊपर प्रसिद्ध तीर्थ हैं, जिनमें अनगिनत मन्दिर और बेशुमार देवता बैठे-बैठे यात्रियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इन तीर्थों में प्रति वर्ष लगभग ५ करोड़ यात्री पहुँचते हैं और डेढ़ अरब से ऊपर धन जनता का इस मध्ये ख़र्च होता है, जिसमें से ६० करोड़ के लगभग मन्दिरों, महन्तों, और पुजारियों के पेट में जाता है !

इनमें बहुत से पुजारी और महन्त राजा की तरह वैभव से रहते हैं। उनके हाथी-घोड़े, महल, ठाठ-बाट सब है। बहुतों को राजा के अधिकार तक मिले हुए हैं। इनकी आमदनी अबाध है। ये सोलह आने उस धन के स्वामी हैं, जो देवता को चढ़ाया जाता है। ये लोग बहुधा वेश्यागामी, पर-स्त्रीगामी, लुच्चे-पाखण्डी और कुपढ़ हैं। दक्षिण के मन्दिरों में देवदासियों की घटना जिसने सुनी है, वह इस बात पर बिना अफ़सोस किए नहीं रह सकता कि धर्म के नाम पर व्यभिचार का समर्थन कितना गर्हित है ! और भी बहुतेरे मन्दिर और सम्प्रदाय व्यभिचार की प्रवृत्ति को प्रश्रय देते हैं। वाममार्ग और चार्वाक सम्प्रदाय के सिद्धान्त जगत-व्यापक हैं। वल्लभ सम्प्रदाय का बहुत सा भण्डाफोड़ स्वामी ब्लाकटानन्द और बम्बई में चलाए हुए महाराज लाइबिल केस में बहुत कुछ हो गया है।

वल्लभ सम्प्रदाय में शिष्य को यह उचित है कि अपनी प्रत्येक भोग्य वस्तु को गुरु के समर्पण करे। इस सम्प्रदाय के ९ भाव प्रसिद्ध हैं। सुनिए, कैसे मज़ेदार हैं :—

१—सब तरह केवल गुरु का आसरा पकड़ना।

२—श्रीगुरु की भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है।

३—लोक-लाज तथा वेद-शास्त्र की आज्ञा तज, गुरु की शरण आना।

४—देव और गुरु के सम्मुख नम्र रहना।

५—मैं पुरुष नहीं हूँ, किन्तु वृन्दावन की गोपी हूँ, यह समझना।

६—नित्य गुसाईं जी के गुण गाना।

७—गुसाईं जी के नाम का महत्व बढ़ाना।

८—गुसाईं जी जो कहें या करें, उसी पर विश्वास करना।

९—वैष्णवों का समागम और सेवा करना।

इन नौ नियमों में जो गुप्त भेद हैं, वह तो विचारशील पाठक समझ सकते हैं। पर दिमाग़ को ग़ुलाम करने के लिए इस सम्प्रदाय की पुस्तकों में और भी विचित्र बातें लिखी गई हैं। जैसे—

"तन, मन, धन गुरु जी के अर्पण !"

"जो कोई गुरु और भगवान में भेद रक्खे, वह पक्षी बने !"

"जो गुरु की बात ज़ाहिर करे, वह तीन जन्म तक कुत्ता बने !"

पाठक सोचें कि उपरोक्त नियम स्त्री शिष्याओं के लिए कैसे भयानक हैं !!

व्यभिचार के समर्थन में सुनिए क्या लिखा है :—

"………इसलिए ईश्वर और गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए।………पराई वस्तु भोगने का दोष तो सृष्टि को लगता है। ईश्वर के लिए तो कुछ पराया है ही नहीं। इसलिए व्यभिचार का दोष ईश्वर ने सृष्टि को ही दिया है। अज्ञानी (?) कहते हैं कि कोई पुत्र-पुत्री पिता से कहे कि मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, इसमें कितनी अनीति है। इसलिए ईश्वर के साथ जार-भाव की प्रीति रखने वाले भी अधर्मी हैं। इसमें यह बात सोचने के योग्य है, कि गोपियों ने जो कृष्ण के साथ जार-भाव की प्रीति की थी, तो क्या उन्होंने अधर्माचरण किया था ?………"

इस सम्प्रदाय की और भी गन्दी आज्ञा का नमूना सुनिए :—

"श्री० स्वामी जी ने अपने शरीर से करोड़ों सखी प्रकट की। जिनके नाम ललिता, विशाखा आदि हुए। जो सुन्दर जार-कर्म में अत्यन्त चतुर थीं, उन्हें ललिता कहते थे और जो उल्टे आसन (!!!) से जार-कर्म कराने में चतुर थीं उन्हें विशाखा………!!!"

एक बार 'भारत-सुदशा-प्रवर्तक' नामक मासिक पत्र में स्वामी ब्लाकटानन्द ने एक पत्र-व्यवहार छपाया था। पाठकों के ज्ञानार्थ उसका मनोरञ्जक उद्धरण हम यहाँ देते हैं :—

"जानना चाहिए कि वल्लभ सम्प्रदाय के महापुरुषों ने भारतवर्ष के देशोद्धार का एक महामन्त्र निर्धारण किया था। हमारे पूज्यपाद गुरुवरों ने उस मन्त्र का जप सिखाया था और हज़ारों पुरुष ही नहीं, बल्कि इस देश की स्त्रियाँ भी दीक्षित बन थीं। उस पवित्र मन्त्र में जो अद्भुत शक्ति थी, उससे लाखों कुलाङ्गनाओं का उद्धार होता था और हो रहा है। मन्त्र का शुद्ध पाठ इस प्रकार है—'तन मन धन श्री० गोसाईं जी के अर्पण !' मुझे भी गुरुभक्ति के अनुरोध से अपने गोलोकवासी स्वामियों की महिमा प्रकाश करने का उत्तेजन हुआ और मेरी वह भक्ति इतनी दृढ़ होती गई कि मैंने तीन पुस्तकें तैयार कीं—(१) वल्लभ-कुल-चरित्र-दर्पणी (२) वल्लभ-कुल-दम्भ-दर्पण, और (३) वल्लभ-कुल छल-कपट दर्पण नाटक। इनका गोला उड़ने से 'कान फूकागढ़' में आग लग गई और गद्दी पर श्री १०५ गोवर्धनलाल जी महाराज ने अपने भण्डारी को भेजा। उसने यहाँ आकर एक चिट्ठी हमारे पास अपने नौकर के हाथ भेजी, जिसका अविकल उद्धरण यहाँ प्रकाशित करते हैं। (सही) ब्लाकटानन्द।"

"स्वस्ति श्री० सर्वोपमा स्वामी ब्लाकटानन्द जी जोग लिखी इलाहाबाद से भण्डारी हरबिलास राय का भगवत स्मरण बाँचना। आगे मैं यहाँ ख़ास तुम्हारे साथ मिलने के लिए आया हूँ और यहाँ पर गोवर्धननाथ के मन्दिर में उतरा हूँ। श्री टिकेत १०८ श्री० गोवर्धनलाल जी महाराज ने मुझे भेजा है कि तुमने ये जो तीनों पुस्तकें छापी हैं—(१) वल्लभ-कुल-चरित्र-दर्पण (२) वल्लभ-कुल-दम्भ दर्पण, (३) वल्लभ कुल-छल-कपट-दर्पण—सो इन कुल बातों का गुप्त भेद हमारे महाराज और अन्य स्वरूपों का तुम्हें किसने बताया ? धर्म से कहो, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। यदि फ़र्ज़ कर लिया जाय

कि ये बातें सच्ची भी हैं, तो भी ये गुरु के घर की बातें तुम्हें लिखनी उचित नहीं थीं। ख़ैर, आदमी से भूल हो जाती है, अब आप कृपा करके उन लोगों का नाम लिखो, जिन्होंने इस गुप्त चरित्र का भेद दिया है और अब यह भी लिखो कि आपकी मन्शा क्या है। हम सब तरह तैयार हैं। हमारे महाराज की यही आज्ञा है। मिती मगशिर, सुदी ४।१९६४।

द० भण्डारी हरविलास"

"भण्डारी जी ने जिस काम की प्रेरणा की है, उसमें हमारी सम्मति है।

द० मथुराप्रसाद पुजारी"

इस पत्र का रजिस्टर्ड उत्तर ता० १७।१२।०७ ई० को १०८ महाराजाधिराज श्री० गोस्वामी जी को दिया गया, जिसका आशय यह था :—

"आप तथा वल्लभ-कुल के समस्त भूषण स्वरूप नीचे लिखी चार बातों को मानने की प्रतिज्ञा करो, तो मैं अपनी बनाई समस्त पुस्तकों को मिट्टी का तेल डाल कर भस्म कर दूँ अथवा आप स्वयं जिस रीति से चाहो उसी रीति से अपने सामने उन्हें जला दो। आपके लाखों चेले भारत में हैं, वे भले ही इन बातों को धर्म समझते हों, परन्तु न्याय-दृष्टि से ये बातें सर्व-साधारण के विरुद्ध हैं।

(१) चेलियों को पुत्री समान समझो......धर्म-व्यवहार रक्खो।

(२) विवाह में वेश्या-नाच बन्द कराओ—क्योंकि यह नीच कर्म शूद्रों ने निकाला है। यह कर्म गोवध की सहायता करता है।

(३) स्त्री-पुरुषों को मर्यादा में रक्खो। अर्थात् एक-दूसरे के हाथ का छुआ न खाय। परस्पर सहभोज बन्द कराना चाहिए।

(४) शिष्य तथा सेवकों को जूठा भोजन देना वाम-मार्ग का अनुकरण है, जो वैष्णव धर्म के सर्वथा विरुद्ध है.........."

इस पत्र-व्यवहार से पाठक बहुत-कुछ समझ गए होंगे। इस सम्प्रदाय के बम्बई के मन्दिर के गुसाईं जी के सम्बन्ध में एक बार एक बम्बई के पत्र 'टाइम्स' ने लिखा था कि—

"महाराजों की करतूत निन्द्य है और इसीलिए वे प्रकाश्य में नहीं आते। यदि वे कोर्ट में साक्षी देने को खड़े हों, तो उन पर उनके नीच कर्म के लिए पब्लिक की फटकार बिना पड़े न रहे। और इससे उनकी अज्ञानी शिष्य-मण्डली में कमी हो जाय ......।"

'आप अख़्तियार' नाम का एक अख़बार लिखता है :—

"हिन्दुओं के महाराज का मन्दिर एक छिनालबाड़ा, उनकी बैठक एक बेआबरू कुटनी का घर, उनकी दृष्टि वेश्यागमन, उनका अङ्ग नीच हविस का घर, और उनके शरीर का सब ठाठ-बाट अपवित्रता, मैलापन और नीचतायुक्त है। उन्हें ईश्वरावतार की जगह राक्षस का अवतार कहना चाहिए!"

लोगों में मूर्खता यहाँ तक फैल गई है कि बहुत लोग तीर्थों में अपनी स्त्रियों तक को दान कर देते हैं और फिर कुछ रुपयों में मोल ले लेते हैं। यह बात स्त्रियों के लिए तो घोर अपमान की है ही, साथ ही इस मूर्खता का कभी-कभी मज़ेदार परिणाम निकलता है। पण्डे दान की हुई स्त्री को वापस देने से इन्कार कर देते हैं और बड़ा फ़ज़ीता होता है।

जिस देश में ४० वर्ष के भीतर १७ अकाल पड़ें और उसमें डेढ़ करोड़ आदमी भूख से तड़प-तड़प कर मर जायँ; जिस देश में प्रति वर्ष १० लाख, प्रति मास ८६ हज़ार, प्रति दिन २,८८०, प्रति घण्टे १२० और प्रति मिनिट २ मनुष्य 'हाय अन्न! हाय अन्न!!' करते मर रहे हों; जहाँ ५० लाख भिखारी टुकड़ा माँगते फिरें; जहाँ १० करोड़ किसान एक पेट खाएँ, वहाँ ये मुस्टण्डे धर्म-व्यवसायी, जिनसे देश को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, प्रजा की गाढ़ी कमाई का ६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष खा जायँ, जिनका सिर्फ़ सूद ही १० वर्ष में पहाड़ के समान हो जाता है। क्या देश इस पर विचार न करेगा?

उदयपुर रियासत में नाथद्वारा एक स्थान है। वहाँ आप जाइए। देख कर अक़्ल हैरान हो जायगी। उस ऊजड़ और बीहड़ प्रान्त में कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं। एक से एक बढ़िया खाद्य द्रव्य वहाँ आपको प्रस्तुत मिलते हैं। यह सब श्रीठाकुर जी की भोग के बदौलत। चार पैसे में ऐसा दूध लीजिए, जैसी रबड़ी—केसर, कस्तूरी, मेवा मिला हुआ। वहाँ केसर-कस्तूरी चक्कियों में पिसती है। गुजरात और दक्षिण के भक्तजन टूट पड़ते हैं। स्त्रियों की भक्ति की क्या कही जाय! ठाकुर जी के भोग की कथा सुनिएगा? एक बार किसी राजा ने एक बहुमूल्य मोती मूर्ति पर चढ़ाया—उसे पीस कर उसका चूना बना कर ठाकुर जी को भोग लगा दिया गया। सवा लाख रुपयों का भोग लगना साधारण है। बीस मन दूध का भोग लगता है, फिर यह सब अनावश्यक खाद्य पदार्थ पण्डे लोग बाज़ार में बेचते हैं और इस प्रकार यहाँ सदैव ही 'टके सेर भाजी टके सेर खाजा' का मामला बना रहता है। यहाँ पुजारी जी को अपनी राज्यसत्ता प्राप्त है।

भारत का नाम जपिए, उसे उबारिए

[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

सदय स्वभक्त के हृदय में प्रकट होके,
बोले राम, "आप कुछ सोचिए-विचारिए।
छोड़ काम-धाम सब मेरा नाम जप कर,
मुझ पर यों न तन-मन, धन वारिए॥
भूल बात क्लेश-भार खोने मुक्त होने की भी,
दीन जनों की दशा तनिक उर धारिए।
राम नाम जपने के योग्य ही नहीं हैं आप,
भारत का नाम जपिए, उसे उबारिए!!"

* * *

काशी के और गया के पण्डों और पुरोहितों का क्या कहना है? करोड़ों की सम्पदा के वे स्वामी बने हुए हैं।

जगद्गुरु शङ्कराचार्य की सम्पत्ति भी असाधारण है! हरद्वार, ऋषिकेश में भी लाखों के स्वामी अनेक धर्म-व्यवसायी हैं। ग़रज़ भारत का कोई कोना ऐसा नहीं बचा, जो इन धर्म-व्यवसायियों से ख़ाली हो।

मैं एक बहुत साधारण उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ नई दिल्ली में, जहाँ मैं रहता हूँ, नई दिल्ली आबाद होने से प्रथम एक रद्दी-सा पुराना हनुमान जी का मन्दिर था। नई दिल्ली की बस्ती होते ही इसकी तक़दीर चेत गई। गर्मियों में तो साधारण ही दशा रहती है, मगर सर्दियों में ज्योंही शिमला उतर आता है, मङ्गलवार को हज़ारों आदमियों का ठठ लग जाता है। मारे मिठाई का ढेर लग जाता है। इनमें बड़े-बड़े पढ़े-लिखे ऊँचे दर्जे के ऑफ़ीसर लोग ही रहते हैं। स्त्रियों का दल-बल सब से अधिक रहता है। यह अभी प्रारम्भ है, मैं समझता हूँ कि अति शीघ्र वह दिन आएगा, जब यह मन्दिर एक बड़ी भारी जागीर बन जाएगा। मैंने इसके पुजारी को भी देखा है, जो अति साधारण आदमी है।

यह डेढ़ अरब धन का प्रति वर्ष अपव्यय देश के लिए कितना घातक है और इसके सदुपयोग की कितनी आवश्यकता है, यह विचारना चाहिए। आर्य-समाज ने गुरुकुलों को खोल और उनके वार्षिकोत्सवों को धार्मिक मेले का रूप देकर हमारे सामने एक नई स्कीम रक्खी है। आज भारत के लगभग ७० लाख विद्यार्थियों को, जो इस समय स्कूल, कॉलेजों में पढ़ते हैं, नई-नई विद्या सीखने के लिए इन डेढ़ अरब रुपयों का सच्चा सद्व्यय हो सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे किस महँगे ढङ्ग पर पढ़ते हैं और ग़रीब बच्चों का पढ़ना कितना कठिन है। क्या किसी मन्दिर के पुजारी या महन्त ने कभी किसी होनहार युवक को स्कॉलरशिप देकर किसी उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता दी है?

हम यह मानते हैं कि कुछ महन्तों ने कुछ धर्मार्थ संस्थाएँ खोल रक्खी हैं। जैसे बाबा काली कमलीवाले के औषधालय और क्षेत्र, इसी प्रकार और अनेक मन्दिरों में पाठशाला आदि। पर वास्तव में ये सब सेवाएँ नगण्य हैं। बहुत करके तो धोखे की टट्टी हैं, इन्हीं लालों पर कबूतर चुगते हैं और मुर्गियाँ फँसती हैं।

जिन्होंने कलकत्ते के मारवाड़ियों का धर्म-अड्डा गोविन्द-भवन का हाल सुना है, वे समझ सकते हैं कि इन धर्म-व्यवसायियों के जो भेद न खुलें वही अच्छे हैं।

हम ऐसे महन्तों को जानते हैं, जो यहाँ, दिल्ली से लड़कियाँ ख़रीद कर ले जाते हैं और उन्हें रखेली बनाते हैं। वेश्यागमन तो उनकी प्रसिद्ध बातें हैं। हम ऐसे महन्तों को भी जानते हैं, जिनकी २-२ धर्म-रखेलियाँ हैं।

क्या इन मन्दिरों, महन्तों, धर्म-व्यवसायियों से किसी को शरीर या आत्मा को लाभ होना सम्भव है? आपके घर बैठ कर एक आदमी पूजा-पाठ, जप कर जाय और आप उसकी मज़दूरी दे दें, तो क्या उसका पुण्य आपको मिल जायगा? एक तो यही बात घोर सन्देहास्पद है कि ऐसे पूजा-पाठों में कुछ पुण्य है या नहीं। फिर हो भी तो वह करने वाले को मिलेगा या कुछ पैसे देकर आपको। क्या आपने काशी के दशाश्वमेध पर गोदान नहीं देखा, कि किस भाँति उसी ब्राह्मण की बछिया की पूँछ को छू-छूकर उसी को पैसा देने से लोग गोदान का पुण्य लूट लेते हैं। धर्म और भगवान को इस प्रकार ठगना वास्तव में आश्चर्य का विषय है, नीच कर्म भी है।

एक समय था कि ईसाई लोग पादरियों के पाप क्षमा कराते और स्वर्ग के लिए हुण्डी भेजा करते थे। भारतवर्ष में भी मरे हुए इष्ट-मित्रों को आश्विन में खाना पहुँचाया जाता है, पर हम यह पूछते हैं कि नव्य भारत में भी क्या ये ढकोसले जीवित रहने चाहिए? इनका नाश न होना चाहिए?

हम कहते हैं कि इन धर्म-व्यवसायियों का बिना नाश किए हिन्दू बच्चों की दिमाग़ी ग़ुलामी कभी दूर नहीं होगी। श्रद्धा और भक्ति एक बड़ी चीज़ ज़रूर है, परन्तु उसमें विवेक और विचार-स्वातन्त्र्य होना परमावश्यक है, अन्ध-विश्वास और मूढ़ता के कारण आत्मा के विरुद्ध केवल दिमाग़ी ग़ुलामी से बचने के लिए आवश्यक है। हम धर्म के पुराने ढकोसलों को दृढ़पूर्वक नष्ट कर दें। धर्म, गङ्गा में फूल और दूध चढ़ाना नहीं, महन्तों और गुसाइयों की सेवा करना नहीं, घण्टा-घड़ियाल हिलाना नहीं, घण्टों मूढ़ की भाँति आँख बन्द करके बैठना भी नहीं।

धर्म है—दया, विश्वप्रेम, लोकहित और आत्म-बलिदान।

("तब, अब, क्यों, और, फिर ??" नामक अप्रकाशित ग्रन्थ से, जो शीघ्र ही इस संस्था द्वारा प्रकाशित होने वाला है)

* * *

'चाँद' कार्यालय की विख्यात पुस्तकें

निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। मूल्य ३) रु०

इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों—पति-पत्नी—के अन्तर्द्वन्द्व का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सकें।

अशिक्षित पिता की अदूरदर्शिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना—ये सब दृश्य ऐसे मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों!! शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केवल लागत मात्र २) स्थायी ग्राहकों से १॥)

सन्तान-शास्त्र

पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्तान के लिए लालायित रहते थे तथा अपना सर्वस्व लुटा चुके थे, आज सन्तान-सुख भोग रहे हैं।

जो लोग झूठे कोकशास्त्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायँगी। काम-विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है।

मालिका

यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरझा जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है।

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ ऊँचे आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी।

सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

स्त्रियों का ओज

धाय

[लेखक—???]

"प्रण कीजिए महाराज, आप तेजस्वी पृथ्वीराज के औरस पुत्र हैं।"

"क्या प्रण कराओगे सरदारो ?"

"हम राणा विक्रमादित्य का अत्याचार नहीं सहन कर सकते।"

"यह तो ठीक ही है, वे बड़े उद्धत हो गए हैं।"

"कल उन्होंने सालूँबरा सरदार की तलवार छीन कर दरबार से निकाल दिया।"

"राम-राम, ऐसे वृद्ध सरदार का ऐसा अपमान ?"

"उस दिन उन्होंने चूँणावत सरदार की पाग सिर से उतार ली।"

"और चित्तौर के रक्षक सरदार की ?"

"महाराज, हम राणा का यह अपमान नहीं सह सकते।"

"सो तो होना ही चाहिए।"

"हम प्राण देकर गद्दी की प्रतिष्ठा की रक्षा वंश-परम्परा से करते रहे हैं, सो क्या इसलिए ?"

"नहीं, नहीं, इसलिए नहीं।"

"तब महाराज ?"

"तब क्या सरदारो ?"

"हमने निश्चय किया है।"

क्या निश्चय किया है ?"

"हम उन्हें......"

"हाँ, तुम उन्हें......?"

"गद्दी से उतार देंगे।"

"बिलकुल ठीक है, उतार दो।"

"और......"

"हाँ, और......?"

"हम आपको राज्याधिकार देना चाहते हैं।"

"यह तो बहुत अच्छी बात है।"

"पर आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी।"

"कौन सी प्रतिज्ञा ?"

"कि आप राणा की रक्षा करेंगे।"

"यह तो साधारण बात है, और ?"

"स्वर्गवासी साँगा के कनिष्ठ पुत्र उदयसिंह के संरक्षक बन कर शासन करेंगे। उनके वयस्क होने पर गद्दी उन्हें सौंप देंगे।"

"सो तो करेंगे ही, और ?"

"बस, और कुछ नहीं।"

"फिर शुभस्यशीघ्रम्, आज ही कर डालो। देखो, हमारी माता चाहे भी जो कोई हो, पर हम हैं मेवाड़ के प्रतापी राणा पृथ्वीराज के वीर पुत्र।"

"हाँ महाराज, यह तो है ही; तो आप प्रण करते हैं ?"

"हाँ-हाँ, सौ-सौ बार !"

"तब अच्छी बात है, आप आज से चित्तौर के दुर्ग-रक्षक और शासक हुए।"

"बहुत ख़ूब, और राणा बन्दी, क्यों ?"

"नहीं, महाराज, वे महल में नज़रबन्द रहेंगे।"

"क्या हानि है, पर हम उन पर दृष्टि कड़ी रक्खेंगे ?"

"आप अब अधिकारी हुए, जो ठीक समझें सो करें।"

"बहुत ठीक, बहुत अच्छा।"

२

"जग्गू ?"

"अन्नदाता !"

"क्या सोता है ?"

"नहीं, स्वामी, क्या आज्ञा है ?"

"शोर न कर, मेरे साथ आ।"

"जो आज्ञा प्रभु !"

"तलवार है ?"

"है।"

"उसे ले-ले, पर चुपचाप, चलने का शब्द न हो।"

"जो आज्ञा।"

"यही तो महल का गुप्त-द्वार है ?"

"जी हाँ, प्रभु !"

"देख, पहरे पर कौन है ?"

"धीरसिंह है अन्नदाता।"

"अच्छा आगे बढ़ो, धीरसिंह ?"

"घणी खम्मा अन्नदाता मुजरा।"

"तुम ख़ूब मुस्तैद हो, शाबास, अच्छा कहो तो राणा किस कमरे में सोते हैं ?"

धर्म्म के व्यवसायी

त्यागो, त्यागो दीन दशा यह, दूर हिन्दुओं से भागो !
ईसा के चरणों में आओ, इस कुरु निद्रा से जागो !!

"बाहरी दालान में स्वामी, मैं स्वयं कई बार देख आता हूँ।"

"अच्छा, अच्छा, वे तुम्हें ख़ुश तो रखते हैं ?"

"सेवक को सब तरह सन्तोष है।"

"अच्छा है, अच्छा लो। यह कण्ठा तुम्हें इनाम। समझे, स्वामि-भक्ति के पुरस्कार-स्वरूप। मैं महाराणा को देखूँगा।"

"महाराज की जय हो। मैं राणा जी को सावधान कर दूँ ?"

"अरे नहीं, बस एक बार सब प्रबन्ध देख कर लौट जाऊँगा। जगाने की आवश्यकता नहीं।"

"जो आज्ञा महाराज !"

"जग्गू ?"

"अन्नदाता !"

"आगे-आगे चलो।"

"जो आज्ञा।"

"यहीं न राणा सोते हैं ?"

"जी........"

"चुप, तलवार मुझे दो।"

"म-म........"

"चुप-चुप, तलवार दो।"

(जग्गू की तलवार ले खट से राणा का सिर काट लेता है। जग्गू हक्का-बक्का हो जाता है)

"अन्नदाता, यह क्या अधर्म.........!!!"

"चुप रह, यह ले (मुहरों से भरी थैली देता है) किसी को कानों-कान ख़बर न हो। समझा ?"

"जी......ई........"

"सुन, अभी और एक काम करना है, समझता है ?"

"जी...ई......"

"क्या तुझे मालूम है, कुमार उदयवीर कहाँ सोता है ?"

"अन्नदाता, क्षमा......"

"अभी तेरा सिर काट लूँगा, पाजी, बता कहाँ है ? यह ले हीरे की कलँगी। देखता है, निहाल हो गया।"

"महाराज, इस ओर चलें।"

"चल।"

"यही द्वार है स्वामी !"

"वहाँ कौन है ?........."

"अकेली पन्ना धाय है।"

"क्या वह जागती होगी ?"

"क्या जाने महाराज, चिल्ला न पड़े।"

"तब तू चुपचाप देख आ।"

"जो आज्ञा।"

"सुन, क्या वह तुझे जानती है ?"

"अच्छी तरह।"

"तलवार ले; मौक़ा पाते ही मार डाल।"

"अन्नदाता, मुझसे यह........."

"एक हज़ार मुहरें मिलेंगी।"

"जैसी आज्ञा, तलवार दीजिए।"

"ले, बच्चे के लिए कटार काफ़ी है।"

३

"कौन ?"

"चुप, मैं जग्गू हूँ !"

"जग्गन भाई, इस वक़्त यहाँ कैसे ? कुशल तो है ?"

"कुशल कहाँ, राणा मारे गए ? दासी-पुत्र बनवीर ने उन्हें मार डाला !"

"हाय-हाय ! यह क्या हुआ ?"

"जो होना था हुआ, होनहार को रोको।"

"अब और क्या होना है ?"

"वह पापी कुमार को मारने अभी यहाँ आ रहा है ?"

"हाय ! जग्गू, कुमार की रक्षा करो।"

"इसीलिए आया हूँ, पर पन्ना, कैसे ? उपाय जल्दी करो; वह आ ही रहा है !"

"ठहरो, तुम पुराने कपड़ों में लपेट कर कुमार को ले जाओ, मैं अपने पुत्र को उनके स्थान पर सुलाए देती हूँ !"

"पन्ना, क्या पुत्र का प्राणदान दोगी ?"

"जग्गन, अब और क्या उपाय है ? कुँवर मेवाड़ का स्वामी है।"

"धन्य हो पन्ना, लाओ कुँवर को दो, देखो, जाग न जाय।"

"जगन, यदि कुँवर का बाल बाँका हुआ, तो देखना......"

"पन्ना, प्राण रहते नहीं। कुँवर को कहाँ पहुँचाना होगा ?"

"सोमनाथ महाराज के पास, महावीर के मन्दिर में। सोमनाथ जी से तुम सब भेद कह देना। मैं प्रभात में तुमसे आ मिलूँगी।"

"मैं चला, पन्ना तुम्हारा भला हो !"

"जगन, ईश्वर तुम्हारी सहायता करें।"

४

"कह, क्या हुआ ? क्या वह जागती है ?"

"हाँ महाराज !"

"क्या तूने उसे मार डाला ?"

"नहीं स्वामी, वह राज़ी हो गई, वह मुँह बन्द रक्खेगी। वह हीरे की कलँगी उसे दे दी है। महाराज, तुच्छ दासी को मार कर क्या मिलता है ?"

"कुछ परवा नहीं, तुझे और रत्न मिलेंगे। तलवार ला, तेरे पास क्या है ?"

"कुछ वस्त्र, पन्ना ने दे दिए, सन्देह न हो इसलिए ले आया।"

"तू यहीं खड़ा रह।"

"जो आज्ञा स्वामी !"

* * *

"बता, कुँवर कहाँ है ?"

(पन्ना अँगुली से सङ्केत अपने सोते हुए निर्दोष पुत्र की ओर करती है ! बनवीर कटार उसके कलेजे में भोंक देता है। बच्चा एक बार तड़प कर ठण्डा हो जाता है। पन्ना मूर्च्छित होकर गिर पड़ती है, बलवीर रक्त भरे हाथों को लिए भाग जाता है !)

५

"यह असम्भव है ? आपके पास क्या प्रमाण है ? आप राज्य के पुरोहित और प्राचीन शुभचिन्तक हैं। आप महाराणा साँगा के समकालीन एवं हमारे पूज्य हैं। परन्तु महाराज सोमनाथ जी, आज से ११ वर्ष पूर्व नमकहराम जग्गू ने राणा का और पन्ना ने कुँवर का बध किया था। दोनों के शव पाए गए थे और उक्त दोनों हत्यारे भाग गए थे। अब आप इस बालक को कुँवर उदयसिंह कह कर परिचय देते हैं, यह कैसे सम्भव हो सकता है ?"

"सरदारगण, क्या आपके पास इस बात का भी कोई प्रमाण है कि यह दोनों बध पन्ना और जगन ने किए थे ?"

"उनका भाग जाना ही इसका प्रमाण है ?"

"सरदारो, अपनी-अपनी तलवारें नङ्गी कर लीजिए; अपराधी अभी आपके सामने उपस्थित किया जायगा। वीरसिंह ?"

"महाराज, कहिए मैं हाज़िर हूँ।"

"जिस दिन तुम पहरे पर थे, उसी दिन दोनों ख़ून हुए थे ? उस दिन की घटना तुम्हें याद है ?"

"ख़ूब याद है महाराज !"

"कह जाओ।"

"आधी रात के बाद महाराज वनवीर सिंह और जग्गू महल के द्वार पर आए थे।"

"महाराज ने तुम्हें कुछ इनाम दिया था ?"

"एक कण्ठा दिया था।"

"फिर क्या देखा ?"

"जगन अकेला बाहर गया।"

"उसके हाथ में क्या था ?"

"कुछ कपड़े थे।"

"महाराज वनवीर कब निकले ?"

"घड़ी भर बाद।"

"उनके हाथ में क्या था ?"

"नङ्गी तलवार !"

"उन्होंने कुछ पूछा था ?"

"पूछा था, क्या जगन बाहर गया है ?"

"अच्छा जाओ, जगन नक़ाब उलट दो।"

"बहुत अच्छा महाराज !"

"उस दिन तुम महाराज के साथ महल में गए थे ?"

"हाँ महाराज !"

"महाराज ने महल में जाकर क्या किया ?"

"मेरे हाथ से तलवार लेकर सोते हुए महाराणा का सिर काट लिया !"

"तुम्हें उनका इरादा मालूम था ?"

"नहीं, मैंने समझा था, पहरे की जाँच कर रहे हैं।"

"तुम्हें कुछ इनाम दिया था ?"

"जी हाँ, एक हीरे की कलँगी और एक थैली मुहर। एक हज़ार मुहर देने का और वचन दिया था।"

"महाराणा को मार कर महाराज ने क्या किया ?"

"मुझसे कुँवर का स्थान पूछा।"

"फिर ?"

"मेरे इधर-उधर करने पर भय और लालच दिया।"

"तुमने क्या किया ?"

"मैंने पन्ना को जाकर सचेत कर दिया, फिर उसकी सलाह से कुँवर को कपड़ों में छिपा कर क़िले के बाहर हो, आपके पास आ गया।"

"अच्छी बात है, जाओ। पन्ना, तुम भी घूँघट हटा दो। आगे आओ !"

"बहुत अच्छा महाराज !"

"उस दिन क्या हुआ था—कह जाओ।"

"जग्गू का आना सुन कर मैं जग गई और सब हाल सुन कर मैंने कुँवर को बचाने के लिए उसे कपड़ों में लपेट कर जगन के हवाले कर दिया तथा आपके पास रातोंरात पहुँचाने को कह दिया था।"

"इसके बाद क्या हुआ था ?"

"बनवीर महाराज ने पहुँच कर कहा—बता कुँवर कहाँ है। मैंने पहले ही कुँवर के स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया था। उसी को मैंने कुँवर बता दिया। महाराज ने उसकी छाती में कटार भोंक दी और भाग गए। प्रातःकाल मैं भी भाग कर आपके पास आ गई।"

"अच्छा जाओ ! सरदारो, अब मेरा बयान सुनिए। कुँवर, जग्गू नाई और पन्ना धाय को लेकर मैं तीर्थ-यात्रा को निकल पड़ा। यहाँ की दशा जैसी थी, उसे देखते मुझे यहाँ कुँवर के प्राणों का सदैव भय रहता। १० वर्ष हम दक्षिण में अज्ञात भाव से रहे। हम लोगों ने जैसे बना, कुँवर की रक्षा की। पर मैं दरिद्र ब्राह्मण और ये लोग साधारण सेवक राजपुत्र को उतनी अच्छी तरह नहीं रख सके। हम लोगों से जैसे बना, अपना कर्तव्य पालन किया है। अब कुँवर १२ वर्ष के हो गए हैं। महाराज बनवीर अपराधी हैं, आप सरदार कुँवर को अपनी रक्षा में लीजिए और हमें कर्तव्य से उऋण कीजिए।"

सब सरदार चिल्ला उठे—महाराणा उदयसिंह की जय !

"पन्ना माँ की जय !"

"जग्गू सरदार की जय !"

"सोमनाथ महाराज की जय !"

इसके बाद ही सरदारों ने तलवारें सूत कर हत्यारे बनवीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाला ! और उसीके रक्त से पन्ना ने कुँवर का राजतिलक किया।

* * *

थोड़े जीवन-सूत्र

[महात्मा टॉल्स्टाय]

मनुष्य-जीवन का आधार अत्याचार पर नहीं, प्रेम पर है।

❀

ईश्वर शान्ति ही चाहता है, और ईश्वर की इच्छा के अधीन रहना, यह प्रथम कर्त्तव्य है।

❀

ईश्वरेच्छा का अनुसरण = सरलता।

❀

ईश्वर के कार्यों पर हम अपनी राय नहीं दे सकते; वह हमारे विवेक या विचार के अनुसार नहीं, अपनी इच्छानुसार निश्चय करता है।

❀

ईश्वर अर्थात् प्रेम; जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता।

❀

जैसे-जैसे मनुष्य की ईश्वर विषयक कल्पनाएँ उच्चतर बनती जायँ, वैसे-वैसे वह उसे अधिक पहचाने; उसके अधिक निकट रहे और उसकी दया, भलाई और मानव-प्रेम का अनुकरण करे।

❀

दूसरे किन मन्दिरों में महासागर के समान कुण्ड और आकाश के समान गुम्बद हैं ? सूर्य, चन्द्र और तारों के समान दीपमालिका, और जीते-जागते प्यार करते। परस्पर सहायता करते हुए मनुष्यों के समान मण्डल-प्रतिमाएँ हैं ? ईश्वर के उपकार को समझने के लिए प्राणिमात्र के सुखार्थ सृष्टि भर में फैले हुए असंख्य साधनों के सिवा और किस ज़रिए से अधिक जाना जा सकता है ? और अन्तःकरण में से प्रकट होने वाले नियमों की अपेक्षा सुन्दर नियमावली किस जगह लिखी गई है ? वे कौन से विशिष्ट बलिदान हैं जो प्रेम से छलकती हुई मनुष्य-जाति के पारस्परिक बलिदानों से बढ़ कर हों ? और भले मनुष्यों के हृदयों की अपेक्षा और दूसरी कौन सी यज्ञ-वेदी हो सकती है, जहाँ परमेश्वर बलिदान स्वीकार कर सकता है ?

❀

सारे विश्व में व्याप्त परमात्मा का जिन्हें ख़याल है; उन्हें भगवान सूर्य नारायण की एकाध किरण रूप देवता की आराधना करने वाले मनुष्यों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए।

❀

सर्वत्र एक ही आत्मा है; एक मनुष्य की आत्मा समूची आत्मा का विभाग है। इस विभाग को वह स्वयं ही अच्छा या बुरा बना सकता है। दूसरी आत्माओं के साथ के भेद-भाव को घटाने से और उन्हें अपने समान मान कर चाहने से मनुष्य स्वयं अच्छा बनता है जब कि दूसरे के जीवन-सुखों को हानि पहुँचाने से वह अपना नुक़सान करता है।

❀

आत्मा स्थल और काल से अबोधित है। उसका नाश करने की सामर्थ्य किसी में नहीं ! फिर भले ही वह किसी दूसरी देह में क्यों न हो।

❀

ईश्वरेच्छा के अधीन रहने के लिए बस इतना ही आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अन्तिम साँस तक दूसरों से प्रेम करे और उनका भला करे।

* * *

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

आज मन में कुछ देश की चर्चा करने की लहर उठी है, इसलिए आज जो कुछ लिखूँगा, देश पर ही लिखूँगा। देखिए, इस समय देश में क्या-क्या गुल खिल रहे हैं। जिसे देखिए, अपनी डफ़ली अलग पीट रहा है। वह जो कहावत है कि अधिक जोगियों से मढ़ी उजाड़ हो जाती है, वैसी ही बात है। अङ्गरेज़ी में एक कहावत है, जिसका आशय यह है, कि जहाँ अनेक बावर्ची होते हैं, वहाँ खाना ख़राब ही हो जाता है। जी हाँ, कोई कहता है नमक कम है और डालो, कोई कहता है कि रहने दो, ज़्यादा हो जायगा। कोई मिर्चें झोंके देता है और कोई मसाला घुसेड़े देता है—सब अपनी-अपनी योग्यता ख़र्च करते हैं। नतीजा यह होता है, कि खाना साला सत्यानाश हो जाता है। यही दशा आजकल भारत की है। आजकल यहाँ सब नेता ही नेता हैं। नेताओं का काम दूसरों को सबक़ देना और पाठ पढ़ाना है—नेता लोग स्वयम् किसी से कैसे सबक़ लें—किसी की बात कैसे मानें ? यदि नेता लोग ऐसा करने लगें, तो बस फिर नेता ही काहे के ? नेता की तो परिभाषा यही है कि—अपनी कहो, दूसरे की न सुनो। संसार भर में अपने ही को बुद्धिमान समझो और शेष सारे संसार को वज्र मूर्ख। क्यों सम्पादक जी, कैसी कही ?

भई, अब मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी नेतापन पर कमर बाँध लूँ। अवसर अच्छा है—ऐसी धाँधली में भी जो नेता न बना, उसका मुख सवेरे उठ कर देखना पाप है। बस मैं नेता और मेरा बाप नेता,और जो मुझे नेता न माने उसको हिन्दुस्तान से निकाल दो। वह देश-द्रोही है। मैं भी अपनी एक पार्टी बनाने वाला हूँ। इसके लिए मैं देश भर में बैलगाड़ी पर दौरा लगाऊँगा और लोगों को गहरी छनवा कर अपनी पार्टी में मिलाऊँगा। मैं प्रत्येक नगर में घूम-घूम कर लोगों से कहूँगा—भाइयो, सारा झगड़ा इस हिन्दुस्तान के पीछे है—इस भारत-भूमि के पीछे है, तो क्यों न इसे छोड़ दिया जाय ? चलो कहीं और चल कर डेरा जमावें। संसार में बहुत सी ज़मीन ख़ाली पड़ी है, चलो सब लोग वहीं चल कर बसें। और क्या—न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। चलिए सारा झगड़ा समाप्त होता है। यह बात आज तक किसी भी नेता को न सूझी होगी। सूझे कैसे, सूझे तो तब जब गहरी छाने। हाँ, एक बात और है—हमारी इस पार्टी में वही सम्मिलित हो सकेगा,जो हमारे क्रीड पर हस्ताक्षर कर देगा। हमारा 'क्रीड' क्या है, वह भी सुन लीजिए :—

(१) दोनों वक़्त गहरी छानना।

(२) अपने आगे किसी की कुछ न सुनना, अधिक बड़बड़ाए तो ठोंक देना।

(३) हिन्दुस्तान के बाहर जाने के लिए रेल और जहाज़ का किराया इकट्ठा करना।

(४) बात-बात में अपने को नेता कहना।

(५) अपनी पार्टी में नित्य एक दिन जूता-लात कर लेना।

(६) किसी बात पर कभी जमे न रहना। कभी कुछ कहना और कभी कुछ।

सब से बेहतर वतन पे मरना है !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

हम को दफ़्तर में काम करना है,
किसी सूरत से, पेट भरना है !
अपने मरने का ग़म हमें क्यों हो,
एक न एक रोज़ सब को मरना है !
इस तमन्ना[1] में लोग मिलते हैं।
मिल के साहब से, नाम करना है !
बहरे-ग़म[2] में, न ग़र्क़[3] हम हों कहीं,
कुछ समझ-सोच कर उभरना है !
हसरते कूचए तरक़्क़ी में,
दिल को पैवन्दे ख़ाक करना है !
क्यों न पैवन्दे ख़ाक हो जाऊँ,
ख़ाक में मिल के तो सँवरना है !
आप सच कह रहे हैं ऐ "बिस्मिल"
सब से बेहतर वतन पे मरना है !

* * *

१—इच्छा ; २—समन्दर ; ३—डूबना।

(७) जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोज़ नए-नए स्वाँग लाना। जैसे थिएटर-बायस्कोप वाले रोज़ नया तमाशा दिखाते हैं।

फ़िलहाल अभी यही सात क्रीड हैं—आवश्यकता पड़ेगी तो आगे और बढ़ा लिए जायँगे। मेरी इस पार्टी का नाम होगा—'भारतवर्ष छोड़ कर सारे झगड़े-तोड़क पार्टी।' इस पार्टी का एक टेम्परेरी अधिवेशन भी मैंने कर डाला है। उसमें तय हुआ, कि इस पार्टी का प्रत्येक सदस्य यह प्रयत्न करे कि भविष्य में जब भारतवर्ष का इतिहास लिखा जाय तो उसमें केवल उसी का नाम भारतवासियों के उद्धारकर्त्ता में रहे, किसी दूसरे के नाम की झलक भी न आने पावे। प्रत्येक सदस्य इस बात की चेष्टा करे कि जिस दृष्टिकोण से वह संसार को देखता है, उसी दृष्टिकोण से भारत का प्रत्येक आदमी देखे। न देखे तो उसे ज़बरदस्ती दिखलाओ। सिर पकड़ कर उसी ओर घुमा दो—झख मारेगा देखेगा। अधिक मीन-मेख करे तो चपतिया दो। इस पर भी न माने तो सङ्खिया खिला दो। और क्या, ऐसों का मर जाना ही अच्छा है। ब्रिटिश सरकार से कह दो कि—'लो भाई, हम हिन्दुस्तान ही छोड़ देते हैं—तुम आनन्द से यहाँ डगड पेलो और लोट लगाओ।' सम्पादक जी, इसकी तह में बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। मैं आपसे बताए देता हूँ, मगर उस्ताद किसी से कहना नहीं। तुम सम्पादक लोग पेट के बड़े हल्के होते हो। जहाँ कोई बात सुनी, झट अख़बार में छाप दी। यह निरा लौंडापन है। गम्भीरता तो तुम लोगों में छू नहीं गई। बात का पचाना सीखा ही नहीं। अरे म्याँ, यह गुर हमसे सीखो ! हम लोग इतने गम्भीर हैं कि बात क्या, आदमी निगल जायँ और डकार तक न लें। सो भाई साहब, ऐसे ही आप भी बनने का प्रयत्न कीजिए। हाँ, तो वह गूढ़ रहस्य सुन लीजिए। जब सारे हिन्दुस्तानी इस हिन्दुस्तान को छोड़ कर चले जायँगे, तो अङ्गरेज़ लोग इतने बड़े मुल्क में अकेले १०० बरस भी नहीं टिक सकेंगे। ऊब कर मर जायँगे। हमारे पुराणों में लिखा है कि निर्जन स्थान में भूत-प्रेतों का वास हो जाता है। सो जनाब, ज्योंही हम लोगों ने यह देश छोड़ा, त्यों ही भूत-प्रेतों ने यहाँ अड्डा जमाया। वे ही भूत-प्रेत सबको मार डालेंगे। बस जब मैदान साफ़ हो जायगा तो हम लोग फिर यहीं लौट आवेंगे। फिर क्या—स्वराज्य ही स्वराज्य है। कहिए, कैसी अच्छी तरकीब है ! अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मेरी पार्टी द्वारा ही भारत को स्वराज्य मिलेगा। बस, अब आप चुपचाप हमारे क्रीड पर अपने हस्ताक्षर बना कर मेरे पास भेज दीजिए। मैं एक छकड़ा ख़रीद चुका हूँ—एक काना बैल भी ले लिया है, दूसरा भी शीघ्र ही ख़रीद लूँगा। बस जहाँ यह तैयारी हो गई, मैं दौरे पर निकलूँगा और सारे हिन्दुस्तान में घूम-घूम कर लोगों को अपनी पार्टी में मिला लूँगा। यह काम सरल नहीं है—बड़ा परिश्रम पड़ेगा, बड़ी लात-जूती करनी पड़ेगी। परन्तु मुझे कुछ परवा नहीं, देश के लिए मेरे प्राण भी चले जायँ तो कोई चिन्ता नहीं। मैं भारत को स्वराज्य दिला कर छोड़ूँगा। एक काम आप और कीजिए कि भारत का इतिहास लिखना आरम्भ कर दीजिए। उसमें भारत को स्वराज्य दिलाने वालों में सब से प्रथम मेरा नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दीजिएगा। अपने परिश्रम का मैं केवल इतना ही पुरस्कार चाहता हूँ।

भवदीय,

विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

विदूषक

नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए—इस बात की गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोदपूर्ण और चुने हुए हैं। भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष—सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १)

देवदास

यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं और वह उद्भ्रान्त सा हो जाता है—इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल एवं मुहाविरेदार। मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥)

शैलकुमारी

यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरञ्जकता, शिक्षा, उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घृणा हो जाती है! मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥)

प्राणनाथ

यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाए बिना न रहेंगे। शीघ्रता कीजिए। मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥=)

समाज की चिनगारियाँ

एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अग्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी सदभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। 'समाज की चिनगारियाँ' आपके समक्ष उसी दुर्दान्त दृश्य का एक धुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह धुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे।

पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्ररञ्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव प्रोटेक्टिङ्ग कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा गया है। स्थायी ग्राहकों से २) रु०

ग्रह का फेर

यह बङ्गला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावधानी करने से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई और मुसलमान अपने चङ्गुल में फँसाते हैं। मूल्य ॥)

राष्ट्रीय गान

यह पुस्तक चौथी बार छप कर तैयार हुई है, इसीसे इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है। केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क उठेगा। राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी। यह गाने हारमोनियम पर गाने लायक़ एवं बालक-बालिकाओं को कण्ठ कराने लायक़ भी हैं। मूल्य ।)

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

लाहौल बिलाक़ूवत

[श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

(शेषांश)

सारा कमरा जय-जयकार के कोलाहल से गूँज उठा। मगर मेरा मुँह ख़ाली खुल कर रह गया—आवाज़ न निकली। क्योंकि मेरा तो होश उड़ा हुआ था।

श्यामाचरण—"क्यों मिस्टर सैकूपन, आप चुप क्यों हैं? क्या आप इन बातों को झूठ समझते हैं?"

मैं—"नहीं भाई। मैं तो भुगते हुए हूँ। मेरे बराबर भला दूसरा कौन इन्हें सच समझ सकता है? तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि श्रीमती जी के अनुग्रहीता होने में अभी सत्तरह-अट्ठारह बरस बाक़ी हैं। इतने दिनों तक कैसे सब्र कर सकूँगा?"

जदुनाथ—"अपनी सलामती चाहते हो तो सब्र करना ही पड़ेगा। नहीं जैसे लात खाते अब तक बीते हैं वैसे ही बीतेंगे। भई बुरा न मानना। साफ़-साफ़ कहना अच्छा होता है।"

मैं—"मगर-मगर-हाँ मेरी श्रीमती जी के तो अभी कोई बच्चा ही नहीं है। इसलिए मेरे लिए उनके दिल में जगह अभी ज़रूर ख़ाली रहनी चाहिए।"

लॉजीशियन—"जी, इस मनसूबे में न रहिएगा। बच्चा न हो न सही। होने का मौसम तो उनके सर पर सवार हो गया। जिसमें उनकी रुचि का बदल जाना ज़रूरी है। जैसे जाड़ा पड़ते ही सबको सर्दी लगती है, चाहे किसी के पास जड़ावर हो या न हो, वैसे ही इसको भी समझ लो। सारा खेल उम्र का है भाई।"

लीजिए मेरी रही-सही उम्मीद भी जाती रही।

श्यामाचरण—"अगर पतिव्रताओं को पुरुष जाति की चाहत नहीं रहती तो यह लोग अपने पतियों को निकाल बाहर क्यों नहीं कर देतीं?"

लॉजीशियन—"यह अच्छी कही। निकाल दें तो यह हुकूमत किस पर जतावें? नौकर एक ही फटकार में भाग खड़ा होता है। और किसी में इतनी डाँट-डपट सुनने का दम कहाँ? यह पति ही लोगों में इतना जीवट है कि रात भर अपनी बीबियों की फटकार गुटुर-गुटुर सुना करते हैं, और सुबह को मूँछों पर ताव देकर फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। ऐसे अड़ियल टट्टू को पाकर भला कौन स्त्री निकालना पसन्द कर सकती है, जिसको न दाना देना पड़े, न घास, उल्टे वही कमा-कमा कर खिलावे, और रातो-दिन झिड़कियाँ सुने घाते में?"

जदुनाथ—"धन्य हो महाराज। बलिहारी है आपकी! ख़ूब कहा। मालूम होता है चचा शैतान स्वयं आपकी खोपड़ी पर इस समय विराजमान हैं, वरना इतने मुश्किल सवाल का ठीक-ठीक जवाब देना ग़ैर-मुमकिन था।"

अब तो मुझमें कुछ थोड़ी सी जान फिर आ गई। मुमकिन है श्रीमती जी भी अपने अड़ियल टट्टू को अपने पास बुलाने की कभी ज़रूरत समझें।

लॉजीशियन ने अपना शास्त्र फिर शुरू किया—"ईश्वर इस भेद-विधान से सन्तुष्ट होकर बोले—अच्छा इस मनमोहिनी जीव के लक्षणों का भी कुछ हाल सुनाइए।"

शैतानोवाच—"हे जगत्पति! यों तो इसके लक्षण बहुतेरे हैं, परन्तु मुख्य तीन ही माने जाएँगे। जिनके अनुसार यह निम्न तीन विशेषणों की अधिकारिणी होंगी—(१) पाखण्डी (२) बकवादिनी (३) कङ्कालिनी—यह तीनों ही गुण इसकी प्रत्येक अवस्थाओं में पाए जायँगे, परन्तु इनमें कोई न कोई किसी न किसी अवस्था में विशेष अवश्य रहेगा। जैसे गर्विता में पाखण्ड गुण बलवान होगा। कहने को रात तो यह कहेंगी दिन। पूछिए ज़मीन की तो बताएँगी आसमान की। बस इतने ही में पुरुष-जाति की अक़्ल गुम हो जायगी। इसी तरह पतिव्रता में बकवास लक्षण प्रधान हो जाएगा। पहुँचते ही दिमाग़ चाट लेंगी। हुकूमत, फटकार, शिकायत, कोसना, मुँह फुलाना, माँगना सभी की ऐसी झड़ी लग जाएगी कि पति जी साँस भी न ले सकेंगे और उनके दिमाग़ का अच्छी तरह भर्ता बन जाएगा। अब रहा तीसरा लक्षण वह अपना चमत्कार विशेषकर तीसरी अवस्था में दिखाएगा। इसलिए अनुग्रहीता सब से अधिक कङ्कालिनी होंगी। राह चलते हवा तक से लड़ेंगी। सीधी बात में भी ऐसी बेढब चिनगारियाँ निकलेंगी कि घर का घर झुलस उठेगा। क्योंकि इनका हृदय तो स्वयं इस बात से सदा जला ही करेगा कि हा! पुरुष-जाति कितनी मूर्ख है कि वह गर्विताओं और पतिव्रताओं के फेर में पड़ी हुई है। इति स्त्री-शास्त्रे लक्षण बखान खण्डे। बोलो शैतान काका की जय।"

काका की धूम मच गई। तालियाँ बजा-बजा कर उनके नाम पर बधाइयाँ दी जाने लगीं। मगर लॉजीशियन ने सब को मना करके कहा—"ईश्वर के लिए इतने ज़ोर से नहीं भाई, वरना इस शास्त्र का जहाँ एक शब्द भी किसी स्त्री के कान में पड़ा तहाँ सब गुड़ गोबर हो जाएगा। अच्छा भाई इससे आगे भी झटपट सुन लो। ईश्वर ने जब इसकी प्रकृति के विषय में पूछा तब शैतान देवता एक पैर पर खड़ा होकर बोले—हे करुणानिधान! इसका हाल न पूछिए। यह इतनी विकट, इतनी अथाह, इतनी रहस्य और भ्रमपूर्ण है कि बस इसीको बनाने में तो हमारी सारी शैतानी ख़र्च हो गई है। इसको ठीक-ठीक समझने के लिए संसार में न कोई ज्ञान होगा न विद्या और न बुद्धि। ईश्वर ने कहा कि जब इसकी प्रकृति इतनी कठिन और दुर्गम्य रक्खी जाएगी तो पुरुष-जाति इसे जान कैसे सकेगी?"

शैतानोवाच—"यही तो हमारी शैतानी है भगवन! कि पुरुष-जाति इसकी कभी थाह ही न पावे, तभी तो बड़े-बड़े पण्डितों, बुद्धिमानों और ज्ञानियों का भी गर्व चूर हो सकेगा और अपने कर्मों पर हाथ धर के कहेंगे—त्रियाश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्याः।"

ईश्वर बोले—"इसके रहस्यों का हाल कुछ सुनाइए तो।"

शैतान ने उत्तर दिया—"अच्छा जगत्पति बताता हूँ, परन्तु पुरुष-जाति से यह भेद गुप्त रखिएगा नहीं तो वह सावधान हो जाएगी और तब इसकी ही नहीं, बल्कि संसार की भी रोचकता नष्ट हो जाएगी। अस्तु सुनिए। सब से पहिले नमूने के तौर पर स्त्री-जाति के कुछ शब्दों और वाक्यों के जो असली अर्थ होंगे, कहता हूँ:—

शब्द तथा वाक्य	असली अर्थ
नहीं	हाँ
उहुँक	अच्छा
चलो हटो	और पास आओ
ख़बरदार	बहुत ख़ूब
हमसे मत बोलो	ख़ाली बोलो ही नहीं, बल्कि हाथा-पाई भी करो।
गाली	धन्यवाद
(चुम्बन के बाद)	
यही तो नहीं अच्छा मालूम होता। तुम बड़े ख़राब हो। ...	बलिहारी! एक दफ़े और।
प्यारे	उल्लू
प्राणनाथ.........	महामूर्खाधिराज
तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ ...	तुमसे मेरी कोई ग़रज़ अटकी है?
मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ...	तुम्हें उल्लू बना कर मैं तुमसे कुछ ऐंठना चाहती हूँ।

इतना सुनते ही ईश्वर विचलित होकर बोल उठे—"यह क्या ऊट-पटाङ्ग बकने लगे। बस-बस इस भ्रमकोष को बन्द कीजिए।"

शैतानोवाच—"भगवन, इस जीव के प्रेम के मानी-मतलब ही होंगे तो मैं क्या करूँ? हाँ, पुरुषों के प्रेम का मानी अलबत्ता गधापन होगा। तभी तो वह प्रेमिका को उल्लू की तरह आँखें फाड़-फाड़ कर घूरेंगे और प्रेमिका सदैव तिर्छी नज़रों से नीचे ताकेगी। ताकि इसकी दृष्टि टेंढ पर रहे, अलग न बहकने पाए। मगर उसके मूर्खाधिराज जी अर्थात् प्रेमी महोदय यह समझ कर कि शर्म से आँख नहीं मिलाती और उल्लू बना करेंगे। इसी तरह पुरुष-जाति मूर्खतावश समझेगी कि उसकी पहन-पोशाक को स्त्री जाति पसन्द करती है इसलिए वह इसके आगे छैला बनने की कोशिश करेगी। परन्तु यह उसकी और मूर्खता होगी। क्योंकि स्त्री-जाति सिवाय अपने दूसरे किसी का भी बनाव-चुनाव नहीं देख सकेगी। तभी तो सड़कों पर लम्बी धोती और अच्छी पोशाक वाले पुरुषों को पाते ही घृणा से घूँघट निकाल कर मुँह फेर लेगी और कच्छड़ चढ़ाए गँवारों के आगे मुँह खोले रहेगी। लँगोटी वाले साधुओं और नँगे बाबाओं को पूजेगी। इति स्त्री-शास्त्रे पाखण्डे। बोलो शैतान बाबा की जय।"

श्यामाचरण और जदुनाथ वाह-वाह करके उछल पड़े और मैं भी इस शास्त्र की अनोखी बातों पर फड़क उठा और अपनी बहुत सी ग़लतियों को समझ गया।

मैं—"सचमुच दोस्तो, इस बेढब शास्त्र की बातें बहुत सही मालूम होती हैं। अफ़सोस है कि मैं इसे पहिले से नहीं जानता था। उफ़ ओह! इतनी ज़िन्दगी नाहक़ गधापन में बीती।"

श्यामाचरण—"अजी यह शैतानी शास्त्र है, कोई ठट्ठा थोड़े है। इसकी सच्चाई पर भला कौन शक कर सकता है? बस समझने वाला चाहिए।"

लॉजीशियन—"क्यों नहीं, इसकी सच्चाई ईश्वर तक को माननी पड़ी। वह समझ गए कि पुरुषों के भयङ्कर दिमाग़ को ठिकाने रखने के लिए शैतान बाबा की सलाह सोलहो आने कील-काँटे से दुरुस्त है। तभी तो वह उनके इस नमूने को अपनाने के लिए मजबूर हुए। हाँ, अपने सन्तोष के लिए और संसार में अपने ईश्वरत्व का परिचय देने के लिए इसके गुणों में अपने ईश्वरीय शील-स्वभाव और सुलक्षणों से रद्दोबदल कर कुछ आदर्श रमणियों की भी रचना कर दी। मगर बहुत थोड़ी सी। इसीलिए इनसे यह शास्त्र कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता।"

श्यामाचरण—"तो हमें इनके बारे में जानने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो बस शैतानी कारख़ाने की स्त्रियों के हाल से सरोकार है, जिनसे हम लोगों को पाला पड़ा है। क्यों मिस्टर सैम्सन ?"

मैं और ही धुन में था। इसलिए गड़बड़ा कर बोल उठा—"मगर इस शास्त्र में चुम्बन पर कोई अध्याय नहीं है।"

लॉजीशियन—"वाह ! है क्यों नहीं ? इसमें कौन सी बात नहीं है ? यह तो इतनी अथाह है कि कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। आप ही लोग बीच में पूछ-पाछ करने लगे इसी से बहुत सी बातें छूट गईं। सुनिए, इसके विषय में हमारे शैतान बाबा कहते हैं कि चुम्बन पाने का तो स्त्री का स्वाभाविक हक़ होगा जिसकी रक्षा वह अपनी सभी कलाओं द्वारा करती रहेगी। मगर यह चोरी और छीना-झपटी से लेने की चीज़ है। जो कोई इसे प्रार्थनापूर्वक माँग कर लेना चाहेगा उससे वह ऐसी बिगड़ उठेगी कि फिर उसका कभी मुँह देखना पसन्द न करेगी। मगर यह कार्रवाई हमेशा आँख बचा कर करनी चाहिए। क्योंकि—

"When no tell tale spy is near us,
Eye not sees, nor ear can hear us,
Who would not be kissed ?"

"यानी जहाँ कोई झाँकने ताकने, ताड़ने या सुनने वाला न हो वहाँ भला कौन ऐसी स्त्री है जो चुम्बन न चाहे ? ऐसे सुअवसर में भी पुरुष चूके तो वह स्त्री की दृष्टि में महा बामद होगा और अगर स्त्री परहेज़ करे तो फ़ौरन समझना चाहिए कि उसके ओठों में फुन्सी निकली है या उसके गालों पर नक़ली रङ्ग चढ़ा है जिसकी क़लई खुल जाने का डर है या वह मूली, लहसुन प्याज़ की तरह पर कोई बदबूदार चीज़ खाए हुए है, जिसकी दुर्गन्ध वह छिपाना चाहती है। इति स्त्री-शास्त्रे चूमाचाटी खण्डे।"

जदुनाथ—"वाह रे चचा शैतान क्यों न हो। एक-एक बात लाख-लाख रुपए की कही है। क्या कहना है ! देखिए छीना-झपटी की सलाह कितनी अच्छी और कितनी सच्ची है। कवियों ने भी इसका लोहा माना है" :—

" The girl shall please me best that
No for "Yea" can say ;
And every wanton kiss can season
with a Nay."

श्यामाचरण—"और ओठों पर फुन्सी की बात कितने मार्के की है। इसकी ताईद ज्ञानियों ने भी की है। देखिए :—

" Kisses are women's birth-right and the girl who does not want them has either got a sore lip or desires to hide the awful truth that she has been eating onions."

अब तो चुम्बन के प्रसङ्ग पर मेरे मुँह से राल टपक पड़ी। बड़े ज़ोरों से आह खींच कर मैं बिलबिलाने लगा—"काहे को नौ मन तेल होगा और काहे को राधा नाचेंगी ? यहाँ श्रीमती जी से मिलना ही नहीं तक़दीर में लिखा है, चुम्बन की नौबत हाय ! कैसे आवे ?"

लॉजीशियन—"क्यों ? क्यों ? क्या अभी उनसे भेंट नहीं हुई ? आज ही तो आई हैं। इसी दोपहर की गाड़ी से। क्योंकि मैं तुम्हें ढूँढने के लिए पहिले तुम्हारे मकान पर गया था। वहाँ दरवाज़े पर एक किराए की गाड़ी पर से तुम्हारे ससुर जी के साथ एक ज़नानी सवारी उतरते देखा थी। पता लगाने पर मालूम हुआ कि तुम्हारी श्रीमती जी आई हैं।"

शौक़े-आज़ादी

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

बला से कुछ न मिले, ग़म नहीं; चमन मिल जाय !
वतन के हम हैं ; हमारा हमें वतन मिल जाय !!

अज़ल[1] से शग़्ल रहा, शुक्रे-ग़म अदा करना,
अलावा इसके, ज़माने में काम क्या करना ?
न जानते थे कभी, शिकवा-जौर[2] का करना,
हमें वही, अदबे शेवए[3] वफ़ा करना !

वफ़ाशआर[4] से भी, अपने बेवफ़ाई की !
बदल गई है नज़र, इसलिए .खुदाई की !!

हर एक साँस पे हम, आह-आह करते हैं,
मगर कहाँ वह करम की, निगाह करते हैं !
बिगड़ कर और ज़यादा तबाह करते हैं,
न घर नज़र में, न दिल ही में, राह करते हैं !

फ़लक[5] उलटने को, फ़रियाद लब तक आई है !
सबब यही है, जो इल्ज़ामे-बेवफ़ाई है !!

हम अपना हाल कहें क्या, कि कह नहीं सकते,
वह अपने दिल पे, ज़रा जब्र सह नहीं सकते !
सरिश्क[6] आँखों से, बेकार बह नहीं सकते,
बग़ैर रङ्ग कोई लाए, रह नहीं सकते !

क़रीना[7] कहता है, कौनो-मकाँ की ख़ैर नहीं !
ज़मीं की ख़ैर नहीं, आस्माँ की ख़ैर नहीं !!

पयामे[8] ऐश, हवाए-बहार लाई है,
ख़िज़ाँ के चेहरे पे, पज़मुर्दगी[9]-सी छाई है !
तरह-तरह की, कलेजे ने चोट खाई है,
बहुत दिनों में, मुबारक यह सायत आई है,

क़यामत उट्ठे, जो सरगर्म हों .फ़ुग़ाँ[10] के लिए !
क़फ़स[11]-नसीब, तड़पते हैं आशियाँ[12] के लिए !!

उठा ले हाथ, जफ़ाओं[13] से बदगुमाँ[14] सय्याद !
कभी तो सुन ले, असीरों[15] की दास्ताँ सय्याद !!

दहन[16] में बन्द, अभी तक रही ज़बाँ सय्याद !
यह खुलने वाली है, लेने को इम्तहाँ सय्याद !

बनेगी बन के, दुलहन ग़ैरते-परी डाली !
कुछ और निखरेगी, एक-एक हरी-भरी डाली !!

जो अह्द कर चुके हैं, उसको साफ़ कहना है,
कि हर तरीक़ से, आज़ाद होके रहना है !
निजात[17] के लिए, ज़ञ्जीरो तौक़ गहना है,
यहाँ तो खेल, ग़रज़ हर सितम[18] का सहना है !

बला से कुछ न मिले, ग़म नहीं, चमन मिल जाय
वतन के हम हैं; हमारा हमें वतन मिल जाय !!

हुआ है हुक्म, न ले कोई नामे-आज़ादी !
पहुँचने पाए, न हरगिज़ पयामे-आज़ादी !
रहें .ग़ुलाम, न हो शाद कामे-आज़ादी !
न आए दौर में, भूले से जामे[19] आज़ादी !

असीरे दाम[20] रहें हम, असीरे दाम रहें !
इसी अज़ाब में, दिन रात, सुबहो शाम रहें !!

चमन के सारे फ़िदाई, चमन पे मरते हैं !
हज़ार जान से, तौक़ीरे[21]-मुल्क करते हैं !
कलेजा काँप उठे, यों आह सर्द भरते हैं !
जो काम ज़ब्त से लें, तो कहें, कि डरते हैं !

क़फ़स को ले उड़ें, क़ूव्वत है ऐसी बाज़ू में !
किसी ख़्याल से, लेकिन हैं अपने क़ाबू में !!

वफ़ूरे[22] ग़म से, बुरा हाल है .ख़ुदाई[23] का,
हर एक शख़्स को, रोना है बेवफ़ाई का !
ख़याल जी में, न आए किसी बुराई का !
मिले नसीब से, मौक़ा अगर सफ़ाई का !

बस उठते-बैठते, हसरत है और क्या दिल की !
वह जल्द पूरी हो, जो आरज़ू हो 'बिस्मिल' की !!

१—आदि, २—.ज़ुल्म, ३—.ख़ैरख़्वाही का ध्यान, ४—.ख़ैरख़्वाह, ५—आकाश, ६—आँसू, ७—ढङ्ग, ८—सन्देशा ९—मुर्दनी, १०—आह करना, ११—पिंजड़े में रहने वाले, १२—घोंसला, १३—.ज़ुल्म, १४—बुरे ख़्याल वाला, १५—.क़ैदी,

१६—मुँह, १७—आज़ादी, १८—.ज़ुल्म, १९—प्याला २०—जाल, २१—आदर, २२—बहुत, २३—जनता।

* * *

मैंने बेताब होकर पूछा—"सच कहो। तुम्हें मेरी क़सम ! हाय ! हाय ! आज नौ ही बजे से दफ़्तर में हूँ। और शाम हो गई अभी तक घर जाने का मौक़ा भी नहीं मिला।"

श्रीमती जी के देखने का नशा शुरू पर एकाएक बड़े ज़ोरों से चढ़ बैठा और मैं बदहवास होकर मकान जाने के लिए कमरे से गिरता-पड़ता निकला। वैसे ही लपक कर लॉजीशियन ने मेरा हाथ पकड़ लिया।

मैं—"ईश्वर के लिए भाई मुझे जाने दो।"

लॉजीशियन—"मगर क़सम याद रखना। कहीं भूल न जाना। नहीं ग़ज़ब हो जाएगा।"

मैं—"कैसी क़सम ?"

लॉजीशियन—"स्त्री-शास्त्र सुनने के पहिले तुमने साल भर के बदले दो साल तक अपनी श्रीमती जी से न बोलने की जो क़सम खाई थी। क्या अभी से भूलने लगे ? मेरा क्या, तुम्हीं भुगतोगे भाई।"

"लाहौल बिलाक़ूवत !!"

यह कह कर दोनों हाथों से मैंने अपना सर पीट लिया।

[शेष हाल "लतखोरीलाल" नामक पुस्तक में देखिए]

* * *

[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

इङ्गलैण्ड का वह वज़ीरे-आज़म मि०मैकडॉनल्ड माशा-अल्लाह, 'पोलिटीशियन' है या 'पॉलिटिक्स' का जीता-जागता पुतला! ऐसा 'दिल्ली का लड्डू' दिखाया कि ख़ुदा की क़सम, अपने राम के मुँह में तो अभी तक पानी भर-भर आता है! यही हालत बेचारे मॉडरेट अख़बारों की है। इसके साथ ही कुछ मुसलमानी अख़बार (ख़ासकर छोटे भाई साहब का 'ख़िलाफ़त') तो इतने ख़ुश हैं, कि उनकी, मौ० मोहम्मदअली के ग़म में नम आँखें तक सूख कर सहारा की मरुभूमि बन गई हैं!

❀

'बस, मार लिया! पौ-बारह है!' जो चाहते थे वही मिल गया! कसर सिर्फ़ इतनी ही है, कि समस्त राजनीतिक क़ैदी छोड़ दिए जाएँ, ताकि कॉङ्ग्रेस भी इन्हीं लोगों के स्वर में स्वर मिला कर ब्रिटिश-गुणगान आरम्भ कर दे! दुहाई सरकार की, इतनी मेहरबानी और कर दीजिए तो सारा काम बन जाय। फिर तो आप भी जन्म-जन्मान्तर तक निश्चिन्ततापूर्वक भारत की छाती पर मूँग दलते रहिए और बन्दा भी आपके जाहो-जलाल की ख़ैर मनाता हुआ दोवक़्ता दूधिया छानता रहे! भगवान आपका भला करें, मगर 'फ़ेडरल' दीजिएगा तो, हें, हें, बूटी भी कुछ ज़रूर सस्ती कर दीजिएगा।

❀

तङ्ग आ गए थे, सरकार! इन कॉङ्ग्रेसी पिकेटरों के मारे! जान आफ़त में थी। सच मानिए, इनके मारे भँगघोटना लेकर घर से बाहर निकलना मुश्किल था। देखते ही चारों ओर से घेर लेते थे और दाँत निपोर कर कहने लगते थे,—"गुरू जी, बूटी छानना छोड़ दीजिए, विलायती कपड़े पहनना छोड़ दीजिए, विलायती सिगरेट छोड़ दीजिए—यहाँ तक कि सभी नौकरशाही का 'टोस्ट' खाना भी तर्क कर दीजिए!!!" उफ़! नाकों दम था।

❀

मगर 'दूधों नहाय और पूतों फलें' हमारे मन्त्री महोदय, जिन्होंने कृपा करके यह नायाब तोहफ़ा प्रदान करके भारत की डूबती हुई नैया को हाथोंहाथ बचा लिया है, नहीं तो बेचारे मॉडरेटों की दशा तो उस ग़रीब मशालची सी हो गई थी, जो तेली का तेल जलता देख कर आफ़त में फँस गया था!

❀

मगर ये बङ्गाल के नौजवान लीडर श्री० सुभाषचन्द्र बोस तो अजीब उलटी खोपड़ी के आदमी मालूम पड़ते हैं। बीच ही में छींक के शगुन बिगाड़ दिया! कहते हैं—"कॉङ्ग्रेस की 'वर्किङ्ग कमिटी' को समझौते की बातों पर विचार करने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसका तो काम है, 'कर्मण्ये वाधिकारेषु!' सुलह या जङ्ग का निर्णय तो बस, कॉङ्ग्रेस स्वयं कर सकती है।" बताइए, ऐसे मौक़े पर उन्हें ऐसी बात कहनी चाहिए?

❀

उधर चचा चर्चिल भी 'दाल-भात में मूसरचन्द' बन रहे हैं। हमारा ख़याल था, कि जब सुरूर आता है तभी कुछ बहक जाते हैं, मगर लक्षणों से मालूम होता है कि वे हमारी बूढ़ी कॉङ्ग्रेस के सगी सौत हो रहे हैं। बेचारी को फूटी आँख देखना भी उन्हें पसन्द नहीं। उनकी व्याकुलता देख कर मालूम होता है कि अगर कहीं दादा मुग्धानल देव भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दे दें तो चचा (अफ़सोस! स्त्री न हुए, नहीं तो 'मौसी' शब्द सार्थक हो जाता!) ज़हर खाकर सो रहें!

❀

चचा की राय है कि बस, मारो और चबा-चबा कर ऐसा चूसो कि सिट्ठी भी बाक़ी न रह जाय और अगर कोई चूँ करे तो फ़ौरन गोलाबारी शुरू कर दो। बात चचा ने बावन तोले पाव रत्ती की कही है। हमारी तो राय है कि विलायत वाले एक तोप देकर चचा को फ़ौरन यहाँ भेज दें, नहीं तो बेचारे इस सोने की चिड़िया के हाथ से निकल जाने के ग़म में घुल-घुल कर मर जाएँगे।

❀

ख़ैर, यह तो अच्छा हुआ कि एक साथ ही आधी दर्जन दफ़ाएँ लगा कर कलकत्ता के मजिस्टर बहादुर ने सुभाष बाबू को छः महीने के लिए जेल भेज दिया! अब ज़रूरत इस बात की है कि कहीं बम बरसा कर दो-चार गाँव उड़ा दिए जायँ, या कॉङ्ग्रेस को तोपदम कर दिया जाय, ताकि चचा-चर्चिल की भी चिन्ता दूर हो जाय, नहीं तो इनकी चें-चें बन्द न होगी।

❀

बूढ़े बाबा का यह हाल, कि जेल से निकले तो बिलकुल 'पक्षपातहीन' होकर, मगर लगे वही ग्यारह शर्तों वाला आमोख़्ता दुहराने! अजी हज़रत! जब नमक-कर उठ जाएगा और इस देश के ग़रीबों को बिना पैसे-कौड़ी के नमक मिलेगा, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नाक कैसे रहेगी?

❀

आप कहते हैं—"ग्रेट ब्रिटेन और भारत में हज़ार सद्भाव हो जाय, परन्तु भारतवासियों से यह कैसे कहा जायगा कि विलायती कपड़े पहनो, ख़ूब बोतल पर बोतल चट किए जाओ, ताकि श्रीमती नौकरशाही की आमदनी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जाय?" तो जनाब, अगर यह नहीं होगा तो फिर 'फ़ेडरल' भी नसीब न होगा! जब यह पुरानी मुर्ग़ी सोने के अण्डे ही न देगी, तो इसे पाल कर क्या होगा?

❀

जो हो जनाब, लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते! मालूम होता है, कौंपर-कॉन्फ़्रेन्स में हमारे वचन-वागीशों ने जो लम्बी-लम्बी स्पीचें झाड़ी हैं, वे बिलकुल बेफ़ायदा हो जायँगी। महाप्रभु गौराङ्ग देव ने जो महामधुर 'फ़ेडरल' प्रदान किया है, उसका स्वाद चखने को न मिलेगा और न यह दहमारी बूटी ही सस्ती होगी! किसी ने सच कहा है, कि 'भाग्यम् फलति सर्वत्रम् न विद्या न च पौरुषम्!'

❀

ख़ैर, अब ज़रा दादा सनातनधर्म की विपत्ति का हाल सुनिए। दादा अभी जीते ही हैं और पञ्जाबियों ने 'ज़ात-पाँत मुर्दाबाद' और 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' के नारे लगाना आरम्भ कर दिया! उस दिन लाहौर में 'छत्तीसो क़ौम के' आदमियों ने एक साथ ही खाना खाकर बेचारे धर्म का जीते जी श्राद्ध कर डाला! नाई, धोबी, चमार, कहार, ब्राह्मण और बनिया—कहाँ तक गिनाएँ? हमें तो भय है कि अगर यह अधर्म-काण्ड इसी तरह बढ़ता गया तो 'कलकत्ता इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट' की तरह यमपुर की म्युनिसिपैलिटी को भी एक 'नरक इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट' स्थापित करने की आवश्यकता पड़ जायगी। आख़िर इतने जाति-पाँति-तोड़क पापियों को रौरव और कुम्भीपाक में स्थान कहाँ मिलेगा??

❀

फलतः आश्चर्य नहीं कि इन 'जाति-पाँति-तोड़कों' के मारे यमपुर का मकान-भाड़ा बढ़ जाय और बेचारे धर्मात्माओं के लिए बछिया की पूँछ पकड़ कर वैतरणी पार करना कठिन हो जाय! इसके साथ ही स्वर्ग में सन्नाटा हो जाने की भी सवा सोलह आने सम्भावना है, क्योंकि 'जाति-पाँति-तोड़क' नारकीयों की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए सनातन-धर्मावलम्बियों को चाहिए कि मसलहतन इस समय स्वर्गधाम जाने का किराया (?) कुछ कम कर दें, नहीं तो भगवान विष्णु की राजधानी की रौनक़ ज़रूर फीकी पड़ जायगी।

❀

श्री० अमृतलाल ठक्कर की कृपा से बोरसद (सूरत) की पुलिस की बहादुरी का विशद वर्णन अख़बारों में पढ़ कर श्री० १०,००८ जगद्गुरु जी महाराज ऐसे मगन हुए जैसे 'मगन होइ गुड़ खाइ, मूक स्वाद किमि कहि सकै!' बात यह हुई, कि बोरसद की महिलाओं ने एक बड़ा सा जुलूस निकाल कर सभी नौकरशाही का सारा सौभाग्य-सिन्दूर ही धो डालने का आयोजन कर डाला था! इस समय, अगर पुलिस वहाँ पहुँच कर सैकड़ों महिलाओं का सिर न फोड़ डालती तो ख़ुदा जाने, ब्रिटिश साम्राज्य आज रसातल में होता या तलातल में! इसलिए हमारी राय है कि स्वराष्ट्र-सचिव श्रीमान क्रेरार बहादुर शीघ्र ही एक रोज़ बोरसद पुलिस के 'टोस्ट-पान' का आयोजन कर डालें और एक 'स्पेशल केबिल' द्वारा यह सुसम्वाद चचा-चर्चिल को भी भेज दें, ताकि वे भी अपना शोकाश्रु पोंछ कर बाल्डविन कमिटी से इस्तीफ़ा वापस ले लें!

❀

बोरसद की पुलिस ने बच्चों को बेतों से पीटा, स्त्रियों को बाल पकड़ कर घसीटा, उनकी छातियों में घूँसे मारे, 'भठियारख़ानवी' ज़बान में उन्हें चुनी हुई गालियाँ दीं और सिर, कमर तथा पीठ का विचार किए बिना, उन पर लाठियों की स्निग्ध-शीतल वर्षा करके 'सार्वभौमिकता' की भी नाक रख दी। बतलाइए, इससे बढ़ कर बहादुरी का काम और क्या हो सकता है? फलतः बोरसद की पुलिस की कृपा से सभी नौकरशाही की बड़ी भारी बला, बात की बात में टल गई। बस, अब 'बाल न बाँका करि सके जो जग बैरी होय!'

❀

'पॉयोनियर' ने सुना है, कि बलिया आदि ज़िलों की तरह इलाहाबाद ज़िले में भी फ़ौजी सिपाहियों की टोलियाँ घुमाई जायगी। यही नहीं, इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के आदेशानुसार देहाती पाठशालाओं के शिक्षक अपने छात्रों के साथ सेना के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए रास्तों पर हाज़िर रहेंगे और जब फ़ौज के सिपाही 'लेफ़्ट-राइट! लेफ़्ट-राइट!' करते हुए उधर से निकलेंगे, तो लड़के उन्हें झुक कर सलाम करेंगे! व्यवस्था बुरी नहीं जनाब, जिनके द्वारा जानो-माल की रक्षा होती है, जिनके 'चव्य-चूस्य' तथा 'लेह्य पेय' के लिए दरिद्र भारत को अपनी गाढ़ी कमाई का सब से बड़ा हिस्सा अर्पण कर देना पड़ता है और

चचा तुरङ्गज़ई की आफ़त से जिन्होंने भारत को बाल-बाल बचा लिया है, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करना तो भारतवासियों का धर्म ही ठहरा !

❀

श्रीजगद्गुरु की राय है, कि जिस समय अपने सबूट चरणों की 'मचर-मचर' ध्वनि से दिगन्त को मुखरित करती हुई यह सेना किसी स्कूल के पास गुज़रे, उस समय लड़के 'दण्डवत्' ज़मीन पर लेट जायँ और उसकी चरण-रज लेकर माथों पर लगा लें तथा थोड़ी सी अपने अभिभावकों के लिए भी बटोर लें ! क्योंकि, आख़िर उन बेचारों को भी स्वर्ग-यात्रा के लिए कुछ सम्बल चाहिए या नहीं ! लम्बे सफ़र का मामला ठहरा, चुटकी भर साथ रहेगी तो बड़ा काम देगी। फिर तो मजाल नहीं अल्लाह मियाँ की, जो बिहिश्त में जगह न दें।

❀

कोमल मति ग्रामीण बच्चों के निर्विकार हृदयों पर अभी से ग़ुलामी की अमिट मुहर लगा देने की निहायत अच्छी युक्ति सोची है इलाहाबाद के मैजिस्ट्रेट श्री० बमफोड़ (Mr. Bomford) महोदय ने ! ईश्वर आपको दीर्घायु करे ! ऐसे विलक्षण बुद्धिशाली मैजिस्ट्रेट तमाम ज़िलों पर तैनात कर दिए जायँ तो माशा अल्लाह, बात की बात में सारी क़बाहत दूर हो जाय और भारत में अङ्गरेज़ी राज्य महाप्रलय के बाद तक के लिए अटल-अचल हो जाय !

❀

क्या कहें, दइमारे जगदीश्वर को ! जगद्गुरुत्व के जाल में ऐसा जकड़ दिया कि स्वर्ग-प्राप्ति के सुलभ साधन अर्थात् वंशवृद्धि से सोलह आने महरूम रह जाना पड़ गया, नहीं तो अपने वंशधर जी को फ़ौरन इलाहाबाद के किसी देहाती स्कूल में ब्रिटिश सेना को सलाम करने के लिए भेज देता और फिर दनदनाता हुआ पहुँच जाता अल्लाह मियाँ के पायतख़्त तक ! थी किसी की मजाल जो रास्ते में रोक लेता ?

❀

भई, यों तो एक से एक बढ़ कर तक़दीर के साँड इस देश में मौजूद हैं, परन्तु जैसी तक़दीर हमारे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की है, वैसी किसी की नहीं ! झगड़ा, विवाद, मतभेद और दलबन्दी तो इसकी दुम के पीछे ऐसे लगे रहते हैं, जैसे ग़लीज़ की गोली के पीछे गोबरौरे ! कहावत है, कि 'जहँ-जहँ चरन पड़ें सन्तन के तहँ-तहँ बन्टाधार !' हज़रत गोरखपुर गए तो 'तू-तू मैं-मैं' साथ गई ! मुज़फ़्फ़रपुर पहुँचे तो लट्ठबाज़ी को हमराह लेते गए ! अब की कलकत्ता तशरीफ़ ले गए हैं, तो सुनते हैं वहाँ भी जङ्गोजदल की तैयारियाँ हो रही हैं ; मर्दे-मैदान हथियार थाम कर अखाड़े में उतर पड़े हैं। किसी के हाथ में हज़रत की दुम है तो किसी के हाथ में नकेल ! ठीक उस अभागे दो बीवियों वाले शौहर की दशा है, जिसे 'छोटी बीबी' चोटी पकड़ कर ऊपर खींचती थी और 'बड़ी' टाँग पकड़ कर नीचे !

❀

बतलाइए, ऐसी कशमकश में पड़ा हुआ कोई पुरुष कितने दिन जी सकता है ? यहाँ आर्थिक अवस्था ऐसा स्वच्छल (?) कि चूहे दिन-रात दण्ड पेल रहे हैं ! पुराने बिहीख़्वाहों को सख़ी नौकरशाही की नाज़बरदारी से ही फ़ुर्सत नहीं ! और तो और, 'इन बहूरानियों को सीख' देने वाले प्रधान-मन्त्री जी भी किसी 'कृष्ण-भवन' में 'सी' क्लास या 'बी' क्लास के मज़े ले रहे हैं ! ऐसी दशा में अगर तबेले में 'घासलेटी' लतिहाउन न होती तो क्या नाक कट जाती ?

❀

स्वतन्त्रता ही केवल स्वतन्त्रता के युद्ध का अन्त कर सकती है

साहस, निर्भीकता, त्याग और सहनशीलता के पूर्ण विकास का नाम ही स्वतन्त्रता है

भारतवासियों को चेतावनी

स्वतन्त्रता के अतिरिक्त, कोई वस्तु स्वतन्त्रता के युद्ध का अन्त नहीं करेगी।

भारतीय संग्राम की वास्तविकता तथा उद्देश्य स्पष्ट हैं।

शान्तिमय संग्राम हमारा साधन है, पूर्ण-स्वराज्य हमारा ध्येय है।

स्वतन्त्रता—भारत तथा इङ्गलैण्ड में सम्मानयुक्त समझौते तथा पूर्ण-स्वराज्य के ध्येय में बाधक नहीं होती।

भारतवासियों की स्वतन्त्रता पर कोई रुकावट, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा मानसिक अधिकारों में कोई बाधा, पूर्ण-स्वराज्य के ध्येय के विरुद्ध है।

महात्मा गाँधी तथा देश के अन्य नेताओं की रिहाई, स्वतन्त्रता-संग्राम की गति-विधि तथा ध्येय को बदल नहीं सकती।

यह छुटकारा न नेताओं की और न देश की माँग के फल-स्वरूप है।

यह रिहाई हमारे शासकों के हृदय-परिवर्तन तथा नीति-परिवर्तन को सूचित नहीं करती।

एक ओर यरवदा जेल के किवाड़ खोल कर देश के नेताओं को छोड़ा जाता है, दूसरी ओर सुभाष इत्यादि अनेकों वीर और वीराङ्गनाओं को, जिनका अपराध केवल राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लगन है, जेलों में ठूँसा जा रहा है।

परन्तु आज देश की वर्तमान परिस्थिति क्या बताती है ? करेला में स्वयंसेविकाओं को एक-एक वर्ष की कड़ी क़ैद, कलकत्ते में लाठी-प्रहार तथा मद्रास में गिरफ़्तारियाँ इत्यादि समाचार भारतवर्ष के कोने-कोने से आ रहे हैं, इन सबका आशय प्रत्यक्ष है।

स्वतन्त्रता का संग्राम तब तक जारी रहेगा, जब तक हम स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर लेंगे।

स्वतन्त्रता कोई ऐसा प्रसाद नहीं है, जोकि पार्लामेण्ट, मैकडॉनल्ड, अथवा इर्विन हमारे सदाचार से प्रसन्न होकर हमारे हाथ पर धर देंगे।

साहस, निर्भीकता त्याग और सहनशीलता के पूर्ण विकास का नाम ही स्वतन्त्रता है।

भारतवर्ष स्वतन्त्रता के लिए उतना ही अग्रसर होगा, जितना कि भारतवासी इन गुणों को अपने व्यक्तिगत तथा जातीय जीवन में अपनाएँगे।

स्वतन्त्रता का मार्ग बहुत लम्बा है, हमारा ध्येय दूर है।

सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं, जेल से लौटे हुए नेताओं का स्वागत आज स्वतन्त्र भारत नहीं कर रहा है और न नवागत नेता स्वयं स्वतन्त्र हैं। ग़ुलाम देश के ग़ुलाम नेता राष्ट्रीय अखाड़े में फिर से काम करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं।

यह समय ख़ुशी का नहीं, आज अपना हिसाब-किताब परखना होगा। २६ जनवरी, १९३० से लेकर,

---

कानपुर के यमुना कूले वाले 'मनसुखा' जी पूछते हैं—......"घर का काम सँभालूँ, या कॉङ्ग्रेस कमिटी की बलिवेदी पर जीवन को भेंट चढ़ावें। जो कहिए, सो करें !!" बस, जो करते आए हैं, वही करते रहिए। 'वर्तमान' बन्द हो जाय तो 'मनसुखा' निकालिए, 'मनसुखा' बन्द हो 'वर्तमान' निकालिए। 'इस कोठिले का धान उस कोठिले' में भरते रहिए ! 'बेकार न रह कुछ किया कर, गुदड़ी उधेड़ कर सिया कर !'

❀

कॉङ्ग्रेस कमिटी के झगड़े में पड़ना भले आदमी का काम नहीं। सुनते हैं, वहाँ भङ्ग-बूटी का बिलकुल इन्तज़ाम नहीं और खाने को बाजरे और ज्वार की मोटी रोटियाँ मिलती हैं। बक़ौल आपके वहाँ न 'ए० बी० रोड का ख़ोनचा' है, न मङ्गली हलवाई की कचौड़ियाँ ! इसीलिए तो अभी तक यह मसला ज़ेर तजवीज़ ही पड़ा हुआ है कि 'छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं ?' अपने राम की भी देश के नौजवानों को यही नेक सलाह है कि भई, माता-पिता की नाज़ो-नेमत से पाली हुई देह इसलिए नहीं है कि उसे देश-सेवा की ज़हमत में डाल दिया जाय !!

❀

जब कि पूर्ण-स्वराज्य की घोषणा की गई थी—आज तक पूरे एक वर्ष में हमारे लाभ तथा हानियों की मात्रा क्या है ?

मैकडॉनल्ड की शर्तों पर सोच-विचार करने का प्रश्न तब उठेगा, जब भारतवासी स्वतन्त्रतापूर्वक आपस में बैठ कर परामर्श कर सकेंगे, जब देश अपने त्याग द्वारा इतना अधिकार प्राप्त कर लेगा कि उसके राजनैतिक क़ैदियों को सरकार दया-भाव से नहीं, अपितु उनका अधिकार मान कर छोड़ने पर बाधित हो जाएगी। यह समय तब आवेगा, जब गुजरात के वीर किसानों, सीमा-प्रान्त के बहादुर पठानों, शोलापुर के अभागे युवकों तथा भारतवर्ष के स्त्री-पुरुषों, जिन्होंने कि लाठी-प्रहार, कारावास, अपमान तथा दूसरी विपत्तियों का सामना इस राष्ट्रीय संग्राम में किया है, उन सबका पूर्ण रूप से बदला चुका लिया जावेगा।

महात्मा जी तथा पं० जवाहरलाल इत्यादि नेता अपने ध्येय—पूर्ण स्वराज्य—की प्राप्ति के लिए स्वातन्त्र्य युद्ध का नेतृत्व करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यदि मैकडॉनल्ड तथा इर्विन शुद्ध-हृदय हैं, तो उन्हें भारतीय नेताओं से उचित रूप में मिल कर ऐसा समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसे कि भारत तथा इङ्गलैण्ड दोनों सम्मानपूर्ण समझें।

चाहे मैकडॉनल्ड तथा इर्विन सच्चे हों या झूठे, प्रत्येक भारतवासी का धर्म है कि वह स्वतन्त्रता-संग्राम के ध्येय—पूर्ण स्वराज्य—पर दृढ़ रहे।

देश को याद दिलाने के लिए हम लाहौर-कॉङ्ग्रेस के प्रस्ताव का मुख्य अंश दुहराते हैं :—

"हम ऐसे शासन के, जिसके फल-स्वरूप हमारा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पतन हुआ है, अधीन रहना ईश्वर तथा मनुष्य के प्रति अपराध समझते हैं। इसलिए हम पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए समय-समय पर कॉङ्ग्रेस की आज्ञाओं का पालन करने का निश्चय करते हैं।"

और कॉङ्ग्रेस का आदेश है कि युद्ध जारी रक्खो ! भारतवासियों का कर्त्तव्य स्पष्ट है।

—"फ़्री प्रेस जर्नल" (अङ्गरेज़ी)

* * *

अब केवल बातों से काम न चलेगा

'राउण्डटेबिल तमाशे' के अन्त में मिस्टर रैमज़े मैकडॉनल्ड का जो भाषण हुआ है, उससे यह नहीं मालूम होता कि प्रधान-मन्त्री किसी गिरजे में उपदेश दे रहे हैं या भारत के प्रतिनिधियों से कुछ कह रहे हैं। मालूम होता है कि उन्हें यह मालूम हो गया है कि ये भारत के स्वयंभू नेता भारत के असली प्रतिनिधि नहीं हैं और इसलिए इन्हें वे केवल अपने साथ एक ही मेज़ पर खाना खिला कर तथा थोड़ा सा स्वागत करके ख़ुश कर सकते हैं। इसमें परिषद् की सफलता के विषय में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। परिषद में दो दल मिले, उन्होंने वाद-विवाद किया और दुआ-सलाम के बाद अपने-अपने घर को रवाना हुए। अब वे परिषद के कार्य को अपने देशवासियों को समझाएँगे और विपक्षियों के आक्षेपों से बचावेंगे। इस कार्य में भारत के सदस्यों को तो बहुत कठिनता पड़ेगी। भारतीयों ने प्रधान सचिव की गोल-गोल बातों का ख़ूब अध्ययन कर लिया है। उसके अध्ययन से तो उन्हें यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि इङ्गलैण्ड की मज़दूर-सरकार भारत को स्वराज्य का तो नाम-मात्र देना चाहती है। यह स्वराज्य ऐसा होगा जिसमें अङ्गरेज़ों के स्वार्थ की रक्षा को मुख्य स्थान दिया जावेगा और उसके बाद भारतीयों को अधिकार देने की बात सोची जावेगी। केन्द्रीय शासन में भारतीयों को जो अधिकार दिए जा रहे हैं, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का कोई भी उपनिवेश, एक क्षण के लिए भी स्वीकार न करेगा। ये अधिकार चारों ओर से बँधे हुए हैं और इसके अतिरिक्त सेना तथा विदेशी सम्बन्ध इत्यादि प्रमुख विषयों पर भारतीयों का कुछ अधिकार ही नहीं रक्खा गया है। क्या कनाडा या दक्षिण अफ़्रिका ऐसे देश इस शासन-प्रणाली को स्वीकार कर सकते हैं ? फिर भारत ही इसे क्यों स्वीकार करे ?

मिस्टर मैकडॉनल्ड की एक बात से और रोष उत्पन्न होता है। वे कहते हैं कि इङ्गलैण्ड ने तो भारत को स्वराज्य देने का वचन दिया है। भारत-निवासी अब इतने मूर्ख नहीं रहे कि वे केवल वचनों को पाकर ख़ुश हो जावेंगे। इङ्गलैण्ड ने कितनी बार भारत को स्वराज्य देने का वचन दिया है, और कितनी बार उसे तोड़ा है। इस बार उसकी दाल न गलेगी, केवल स्वराज्य-घोषणा से काम न चलेगा। उन्होंने भारत के युवकों को, जो शान्ति तथा क्षमता का उपदेश दिया है, उससे भी उनका कुछ मतलब हल न होगा। शान्ति तथा क्षमता की वास्तविक शिक्षा तो उन्हें यहाँ महात्मा गाँधी से मिल रही है। अहिंसात्मक सत्याग्रह-संग्राम में उन्होंने इसे कार्यरूप भी दिया है। मिस्टर मैकडॉनल्ड शान्ति के उपासक बनने का ढोंग करते हैं, परन्तु अपने कार्यों द्वारा वे संसार के दो देशों के बीच में कलह तथा घृणा का बीज बो रहे हैं। वे भारत को स्वराज्य देने का ढोंग करते हैं, परन्तु उसमें यह निश्चय कर लेते हैं कि इस 'स्वराज्य' में भारत का असली मालिक कौन रहेगा; भारत या इङ्गलैण्ड ? प्रधान-मन्त्री ने भारत के लिए जिस शासन-प्रणाली की रचना की है, उसमें भारत का असली शासक इङ्गलैण्ड ही रहेगा। फिर क्या वे भारतीयों को इतना मूर्ख समझते हैं कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे।

—"बॉम्बे क्रॉनिकल" (अङ्गरेज़ी)

* * *

गोलमेज़ का निर्णय

"हिन्दुस्तान कभी ऐसी योजना को स्वीकार नहीं कर सकता। वह तो आज़ादी के लिए तड़प रहा है। उसी की बलिवेदी पर वह सब कुछ अर्पण कर चुका है और कर रहा है। उसी के लिए वह लाठियाँ खा रहा है, जायदाद नीलाम कर रहा है, जेलों को भर रहा है, गालियों और अपमान का शिकार बन रहा है तथा तरह-तरह का निर्यासन सह रहा है। यदि इतने ही पर उसे राज़ी होना था तो ऐसी-ऐसी तकलीफ़ें क्यों उठाता ? इतने के लिए ही वह घर-बार क्यों नष्ट कराता, डण्डे क्यों सहता, गोलियों के सामने छाती क्यों तानता, गालियाँ क्यों सुनता, अपमानों को क्यों सहता ? इतना तो ज़ुबान खोलते ही मिल जाता। इसलिए लन्दन में जो कुछ भी हुआ हो और उसके कारण चाहे क्यों न हमारे चन्द भाई फूले अङ्ग न समाते हों, पर हिन्दुस्तान को उसमें ख़ुश होने की कुछ भी वजह नहीं है। उसकी दिली मुराद इससे पूरी नहीं हो सकती और जब तक मुराद हासिल न हो तब तक उसे विराम कहाँ, आराम कहाँ, सुख-चैन कहाँ ? उसे अपनी चेष्टा, अपना प्रयत्न अभी जारी रखना है और यदि वह कुछ दिनों तक अपने मनसूबों पर डटा रहा तो आज़ादी अवश्य उसकी लाड़िली बन कर ही रहेगी।"

—"देश" पटना

* * *

गाँधी टोपियों की होली

"हमारी इस ख़बर की पुष्टि कई भारतीय पत्र करते हैं कि भुवनेश्वर फ़ायर ब्रिगेड के पास गाँधी टोपियों की होली जलाई गई। यह बात बिलकुल स्पष्ट है, सार्जन्टों ने लोगों से गाँधी टोपियाँ छीनीं। बहिष्कार करने वाले स्वयंसेवक अगर विलायती टोपियाँ छीनते तो उनको जेल जाना पड़ता। शायद उन पर हमला करने का, डाका डालने का, चोरी करने का और इसके सिवाय ग़ैरक़ानूनी संस्था को सहायता देने का अपराध लगाया जाता। पर सार्जन्टों का वीर कृत्य दूसरी प्रकार का है और हम यह जानना चाहते हैं कि डाइरेक्टर ऑफ़ इन्फ़ारमेशन क्या कहते हैं। शायद वे चुप्पी का बुद्धिमानी मार्ग ही स्वीकार करेंगे। पर यह जानना बड़ा ही उपयोगी होगा कि लड़कों पर छोटी-छोटी होलियाँ जलाने की आज्ञा है अथवा नहीं, या ये सब बातें जलाने वाली वस्तु और जलाने वाले व्यक्तियों पर ही निर्भर रहती हैं।

—"बॉम्बे क्रॉनिकल" (अङ्गरेज़ी)

* * *

वैज्ञानिक उन्नति तथा भावी युद्ध

[राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी]

बहुधा लोग यह कहते हैं कि आजकल की वैज्ञानिक उन्नति ही हमारे युद्धों का कारण है। वे यह भी कहते हैं कि उसमें होने वाले असह्य कष्ट भी उसीके फल हैं। पर यह मत सर्वथा असत्य है, विज्ञान स्वतः युद्ध का कारण नहीं है। मनुष्यों के प्राण लेने वाली क्रिया का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का युद्ध से वही सम्बन्ध है, जो कि चाक़ू बनाने वाले लुहार का एक हत्या से। यदि इसी चाक़ू से एक हत्यारा किसी के प्राण ले लेवे तो उसके लिए लुहार ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह !इन सब युद्धों के लिए आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक ज़िम्मेदार नहीं है। वह तो अधिकतर मनुष्योपयोगी आविष्कार ढूँढ़ने में लगा रहता है, और युद्ध सम्बन्धी चीज़ों में अपनी शक्ति नहीं लगाता। परन्तु राष्ट्र के राजनैतिक नेता और शासक इन कामों में राष्ट्र का तमाम रुपया ख़र्च करते हैं, और वैज्ञानिकों को वेतन देकर उनसे ये काम करवाते हैं। बहुधा ऐसा भी होता है कि मनुष्योपयोगी आविष्कार करते समय वैज्ञानिकों को बहुत सी ऐसी बातें मिल जाती हैं, जो कि युद्ध में भी काम आ सकती हैं। देश के शासक उसका उपयोग करते हैं, अपने फ़ौजी कारख़ानों में उसे काम में लाते हैं। ये कारख़ाने राष्ट्र के रुपयों से चलते हैं, जो कि टैक्स द्वारा इकट्ठा किया जाता है। इस तरह राष्ट्र की सारी प्रजा इन सब दुरुपयोगों के लिए ज़िम्मेदार है।

वैज्ञानिक बहुधा शान्ति-प्रिय होते हैं। गत महायुद्ध में काम करने वाले वैज्ञानिकों में से शायद ही कोई ऐसा होगा, जो कि उपयोगी आविष्कारों को छोड़ कर युद्ध के काम को पसन्द करता। गत महायुद्ध तो यदि नवीन आविष्कार न भी होते तब भी वह अवश्य होता। और ज़हरीली गैस, फ़्लेस थ्रोअर इत्यादि आविष्कार तो महायुद्ध शुरू हो जाने के बाद हुए हैं।

इन हथियारों के न होने पर भी युद्ध अवश्य होता। इसमें सन्देह नहीं कि हम लोग फिर भी लड़े बग़ैर न रहते, क्योंकि चोटें पहुँचाने में घूँसे, भाले, तलवार इत्यादि बन्दूक़ या बम से कुछ कम सफलता न पाएँगे। फ़र्क़ बस इतना ही है कि उनका काम धीरे-धीरे होता है और बम इत्यादि का जल्दी। इसीलिए जैसा कि हमें इतिहास से मालूम होता है, वैज्ञानिक आविष्कार के पहले १०० बरस तक चलने वाले युद्ध हुआ करते थे। उस समय चार साल का युद्ध तो केवल एक मामूली झगड़ा समझा जाता; पर आज चार साल के युद्ध ने सारे संसार को हिला दिया है।

युद्ध को रोकने के लिए वैज्ञानिकों का नहीं, वरन् राजनीतिज्ञों का विरोध करने की आवश्यकता है। राजनैतिक नेता तथा उनके साथी धनी पुरुष ही राजवैभव के मद से चूर होकर देशों को युद्ध में डालते हैं।

युद्ध में लगे हुए वैज्ञानिक गत युद्ध के बाद शीघ्र ही उद्योग-धन्धों के कामों में लग गए। क्या यह विज्ञान का दोष है कि हवाई जहाज़ों की उन्नति करने की रक़म युद्ध के हवाई जहाज़ों में आग लगा दी गई? क्या युद्ध-काल के रेडियो तथा एक्सरे के आविष्कार आज हज़ारों मनुष्यों को सुख और शान्ति नहीं पहुँचा रहे हैं?

कुछ लोग वैज्ञानिकों का इसलिए विरोध करते हैं कि उन्होंने युद्ध को अति भयानक बना दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण युद्ध भयानक अवश्य हो गया है, पर संसार में और बहुत सी सुख तथा सुविधा की चीज़ें भी बन गई हैं। विज्ञान ने चाहे युद्ध को भयानक बना दिया हो, पर विज्ञान के बिना युद्ध की दशा और भी शोचनीय होती। बम से आहत पुरुष की दशा भाले से मारे गए व्यक्ति से चाहे ज़्यादा ख़राब हो, पर वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण अब पहिले से बहुत कम घायल मरते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा निकाला हुआ हथियार चाहे दुरुपयोग में पड़ कर हज़ारों को मारता हो तब भी विज्ञान इससे बीस गुना ज़्यादा मनुष्यों को अच्छा करता है। कीड़े मारने वाले आविष्कारों से संसार में जितने लोगों के प्राण बचे हैं उनकी संख्या गत शताब्दी के युद्धों में मरे हुए लोगों से कहीं ज़्यादा है।

विज्ञान तो युद्ध कराने के बजाय उसका अन्त कर सकेगा। धार्मिक झगड़े ज़्यादातर वैज्ञानिक उन्नति से ही कम हुए हैं। सस्ते सामान ढोने की सुविधाओं का आविष्कार होने के कारण व्यापार बढ़ रहा है और उन्नतिशील देशों में अकाल तो अब कहीं नज़र ही नहीं आता।

रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज़ों के आविष्कार से अब संसार की सारी जातियाँ एक-दूसरे से मिल सकती हैं; एक-दूसरे के रस्म-रिवाजों को समझ सकती हैं। इस तरह उनमें मित्रता बढ़ सकती है। ये आविष्कार मनुष्यों में उदारता तथा प्रेम-भाव उत्पन्न कर सकते हैं। जो व्यक्ति विज्ञान के छोटे-छोटे दोषों को देखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे पहले उसके अद्भुत गुणों का निरीक्षण करें। यह मत सच ज़रूर है कि विज्ञान का सदुपयोग तो हो ही रहा है, परन्तु उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। परन्तु यह भी सच है कि इसके लिए विज्ञान ज़िम्मेदार नहीं है। इन सामाजिक त्रुटियों को दूर करने के लिए मनुष्य जाति की उन्नति करने की आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि विज्ञान का नाश कर दिया जावे।

* * *

Registered No. A—2085

Printed and Published by R. SAIGAL—(Editor), at the Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.